दृष्टि The Vision

मेन्स
आंसर राइटिंग
(Consolidation)

मई
2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 3

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 4
- भूगोल 6
- संस्कृति 9

सामान्य अध्ययन पेपर–2 11

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 11
- राजव्यवस्था 13
- सामाजिक न्याय 22

सामान्य अध्ययन पेपर–3 24

- अर्थव्यवस्था 24
- आंतरिक सुरक्षा 33
- पर्यावरण 36
- विज्ञान-प्रौद्योगिकी 38

सामान्य अध्ययन पेपर–4 43

- केस स्टडीज़ 43
- सैद्धांतिक प्रश्न 51

निबंध 62

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- वैकोम सत्याग्रह का परिचय लिखिये।
- इसमें शामिल प्रमुख हस्तियों का परिचय देते हुए इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वैकोम सत्याग्रह, जिसका आयोजन वर्ष 1924-25 में त्रावणकोर रियासत (वर्तमान केरल) में हुआ था, भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इसने अस्पृश्यता और जाति उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य भाग:

वैकोम सत्याग्रह का महत्त्व:

- **मंदिर प्रवेश आंदोलनों में अग्रणी:** यह हिंदू मंदिरों और आस-पास के जगहों में निवास करने वाली निचली जातियों के प्रवेश की मांग करने वाला पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसे जाति प्रदूषण (Caste Pollution) की धारणा के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था।
  - मंदिर में प्रवेश का मुद्दा पहली बार वर्ष 1917 में एझावा नेता टी. के. माधवन ने उठाया था और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने अस्पृश्यता विरोधी मुद्दा उठाया।
  - इसने अंततः त्रावणकोर (वर्ष 1936) में मंदिर प्रवेश उद्घोषणा को जन्म दिया, जिससे निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिली और संपूर्ण भारत में बाद के मंदिर प्रवेश आंदोलनों के लिये एक व्यवस्था तैयार हुई।
- **चर्चित अहिंसक आंदोलन:** के. केलप्पन जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में हुए सत्याग्रह में अहिंसक सविनय अवज्ञा और शांतिपूर्ण विरोध के गांधीवादी सिद्धांतों को नियोजित किया गया।
  - इससे आंदोलन को अधिक वैधता और गति मिली।
  - इसने राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षित किया और भविष्य में होने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया।
- **अंतर-सामुदायिक एकता:** यह आंदोलन विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ लेकर आया। जॉर्ज जोसेफ और समाज सुधारक ई.वी. रामासामी (पेरियार) जैसे ईसाई नेता ने सामाजिक असमानता के खिलाफ एकजुट संघर्ष का प्रदर्शन करते हुए भाग लिया।
  - जातिगत हिंदुओं के प्रति-आंदोलन और हिंसा का सामना करने के बावजूद, आंदोलन को 600 से अधिक दिनों तक जारी रखने के लिये यह एकजुटता महत्त्वपूर्ण थी।
- **सामाजिक सुधार को अग्रभूमि में लाना:** बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन के बीच, वैकोम सत्याग्रह ने सामाजिक सुधार और अस्पृश्यता के उन्मूलन को राजनीतिक एजेंडे में सबसे आगे ला दिया।

निष्कर्ष:

वैकोम सत्याग्रह ने अग्रिम सुधारों के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया और स्वतंत्र भारत में अस्पृश्यता के संवैधानिक उन्मूलन की नींव रखी।

प्रश्न : आत्मनिर्भर भारत पर बल देने का दृष्टिकोण स्वदेशी आंदोलन से साम्यता रखता है। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक लक्ष्यों एवं रणनीतियों तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के समकालीन प्रयासों के बीच तुलना एवं अंतर के बिंदुओं पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिचय लिखिये।
- उनके आर्थिक लक्ष्यों का वर्णन कीजिये।
- उदाहरण के साथ उनकी रणनीतियों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज भारत के इतिहास में एक सतत् विषय है। स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के समकालीन प्रयास, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, कुछ समान आर्थिक लक्ष्य साझा करते हैं, लेकिन उनके ऐतिहासिक संदर्भ तथा रणनीतिक तरीकों में उल्लेखनीय अंतर भी हैं।

नोट :

मुख्य भाग:

आर्थिक लक्ष्य:

- **स्वदेशी आंदोलन:** इसका मुख्य उद्देश्य भारत पर ब्रिटिश आर्थिक पकड़ को कमज़ोर करना था।
  - इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना और पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना शामिल था।
  - यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक हिस्से के रूप में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध विरोध का एक स्वरूप था।
- **आत्मनिर्भर भारत:** यह भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक आघातों का विरोध करना और प्रमुख क्षेत्रों को मज़बूत करना है।
  - यह आर्थिक सुरक्षा और विकास की इच्छा से प्रेरित है।

रणनीतियाँ:

- **स्वदेशी आंदोलन:**
  - ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, जैसे- ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों को जलाना और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार, जैसा कि असहयोग आंदोलन (वर्ष 1920-1922) के दौरान प्रदर्शित किया गया था।
  - स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, जैसे- खादी को बढ़ावा देना और महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना, ताकि भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से वस्त्रों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना, जैसे- ब्रिटिश मिल मालिकों द्वारा कपड़ा श्रमिकों के शोषण के विरोध में वर्ष 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल।
  - आत्मनिर्भरता पर ज़ोर, जैसे- बाल गंगाधर तिलक द्वारा "स्वदेशी आंदोलन" को बढ़ावा देना, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का समर्थन किया गया था।
- **आत्मनिर्भर भारत:**
  - आयात प्रतिस्थापन, जैसे कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिये कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज।
  - प्रोत्साहन और नीतिगत सुधार, उदाहरण के लिये कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में कमी एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यातित उत्पादों पर शुल्क तथा करों की छूट योजना की शुरुआत आदि।
  - आपूर्ति शृंखलाओं का विकास, उदाहरण के लिये आपूर्ति शृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने और रसद लागत को कम करने, स्थानीय सोर्सिंग को बढ़ावा देने तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने के लिये राष्ट्रीय रसद नीति।
  - कौशल विकास और नवाचार, उदाहरण के लिये- उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये स्टार्टअप इंडिया पहल तथा स्कूलों व विश्वविद्यालयों में नवाचार एवं उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये अटल नवाचार मिशन।

निष्कर्ष:

स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत, जिसमें तकरीबन एक शताब्दी का अंतराल है, लेकिन दोनों ही आंदोलन "भारत पहले (India First)" तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के मूल आदर्श को साझा करते हैं। हालाँकि उनके तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों ही आंदोलन घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने तथा बाहरी ताकतों पर निर्भरता कम करने के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं।

भारतीय समाज

प्रश्न: क्षेत्रवाद द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं शासन के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को बताते हुए राजनीतिक स्थिरता तथा सामाजिक-आर्थिक विकास पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- क्षेत्रवाद को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।
- क्षेत्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास पर क्षेत्रवाद के निहितार्थों पर गहराई से विचार कीजिये।
- क्षेत्रवाद से निपटने के उपाय सुझाइये।
- क्षेत्रीय एकीकरण का सुझाव देते हुए एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

क्षेत्रवाद का तात्पर्य प्राय: राष्ट्रीय हितों से परे क्षेत्र या राज्य के प्रति अतिरंजित लगाव से है। इसमें अक्सर क्षेत्र की अद्वितीय सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर **अधिक स्वायत्तता, नियंत्रण या निर्णय लेने की शक्ति** का समर्थन करना शामिल है।

नोट :

मुख्य भाग:

क्षेत्रवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ:

- **स्वायत्तता/अलगाववाद की मांग:** क्षेत्रवाद अधिक स्वायत्तता या यहाँ तक कि अलगाव की मांग को बढ़ावा दे सकता है, जैसा कि **पंजाब (खालिस्तान आंदोलन) और पूर्वोत्तर (नागा विद्रोह, बोडोलैंड आंदोलन)** जैसे राज्यों में देखा गया है, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रीय अखंडता को खतरा है।
- **जातीय/भाषायी संघर्ष:** जातीयता या भाषा के आधार पर क्षेत्रीय पहचान का दावा संघर्ष को जन्म दे सकता है, जैसा कि **मणिपुर (कुकी-मैतेई संघर्ष), असम (बोडो-बंगाली संघर्ष), श्रीलंका (तमिल अल्पसंख्यक मुद्दा)** में देखा गया है।
- **सत्ता-साझाकरण के मुद्दे:** क्षेत्रवाद केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता-साझाकरण को जटिल बना देता है, जिससे प्राय: संसाधन आवंटन, नीति कार्यान्वयन का विरोध होता है, जैसा कि केंद्र तथा **तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल** जैसे राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों में देखा गया है।
- **नीति कार्यान्वयन में बाधाएँ:** सत्ता में क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय हितों पर क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है।
  - उदाहरण के लिये जैसे कि **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** को कुछ राज्यों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
- **नौकरशाही का राजनीतिकरण:** अधिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता की मांग से **क्षेत्रीय आधार** पर नौकरशाही एवं शासन संरचनाओं का राजनीतिकरण हो सकता है, जैसा कि **उत्तर प्रदेश तथा बिहार** जैसे राज्यों में देखा गया है।

क्षेत्रवाद के निहितार्थ:

- राजनीतिक स्थिरता:
  - **बार-बार चुनाव और अस्थिर सरकारें:** क्षेत्रीय दलों के उदय से केंद्र में खंडित जनादेश, लगातार चुनाव एवं अस्थिर गठबंधन सरकारें हो सकती हैं, जिससे दीर्घकालिक नीति योजना और कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है, जैसा कि वर्ष 1990 के दशक के अंत में केंद्र में लगातार सरकार में परिवर्तन देखा गया था।
  - **कानून और व्यवस्था के मुद्दे:** क्षेत्रवाद विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों और कानून व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे संभावित रूप से राज्य प्राधिकरण का क्षरण एवं केंद्रीय बलों का दुरुपयोग हो सकता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान देखा गया था।
  - **बाहरी हस्तक्षेप:** सीमा पार जातीय या भाषायी संबंधों वाले क्षेत्र बाहरी हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे राष्ट्र के लिये सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा कि पूर्वोत्तर विद्रोह में चीन और म्याँमार के कथित प्रभाव में देखा गया है।
- सामाजिक-आर्थिक विकास:
  - **असमान विकास:** क्षेत्रवाद संसाधनों के असमान वितरण का कारण बन सकता है, जिससे विकास संबंधी असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखा गया है, जहाँ कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हैं जबकि अन्य इससे उपेक्षित हैं।
  - **प्रतिभा पलायन:** कथित भेदभाव कुछ क्षेत्रों से कुशल पेशेवरों के प्रवास को गति दे सकता है, जिससे प्रतिभा पलायन हो सकता है जैसा कि **केरल** राज्य में देखा गया है।

क्षेत्रवाद से निपटने के उपाय:

- **शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना:** एकता, विविधता और राष्ट्रीय गौरव पर ज़ोर देने के लिये स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रमों को संशोधित करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय एकता यात्रा जैसी पहल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में छात्र संवाद को प्रोत्साहित करना।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** संसाधनों को समान रूप से आवंटित करके आर्थिक असमानताओं को दूर करना, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे अविकसित क्षेत्रों में केंद्रीय संस्थान स्थापित करना तथा वंचित ज़िलों के लिये विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **सहकारी संघवाद को मज़बूत करना: राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता के साथ सशक्त बनाना**, नीति आयोग और अंतर-राज्य परिषद जैसे निकायों के माध्यम से सहयोगात्मक नीति-निर्माण में संलग्न होना।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** शासन के लिये प्रगति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना और **CPGRAMS** के माध्यम से वास्तविक समय पर शिकायत निवारण प्रदान करना, केंद्र एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** राष्ट्रीय सांस्कृतिक त्योहारों के माध्यम से विविधता को अपनाना, **देखो अपना देश जैसे अभियानों** के माध्यम से **अंतर-क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा** देना और प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना।

नोट :

- **सुचारु अंतर-क्षेत्रीय गतिशीलता: भाषायी और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा** करना, केंद्रीय संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय कॅरियर सेवा के माध्यम से **अंतर-क्षेत्रीय गतिशीलता एवं नौकरी के अवसरों को बढ़ावा** देना।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय हितों के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करना **भारत की स्थिरता, सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास** के लिये महत्त्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना, **संवाद एवं विकेंद्रीकरण** के माध्यम से क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करना तथा क्षेत्रवाद की चुनौतियों से निपटने के लिये **सहकारी संघवाद को अपनाना** शामिल है।

भूगोल

प्रश्न : 'एशिया के वाटर टॉवर' के रूप में हिमालय की भूमिका तथा भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय जलवायु एवं जैवविविधता पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- हिंदूकुश हिमालय का वर्णन करते हुए उत्तर का परिचय लिखिये।
- वॉटर टावर ऑफ एशिया के रूप में हिमालय की भूमिका बताइये।
- क्षेत्रीय जलवायु और जैवविविधता पर हिमालय के प्रभाव का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

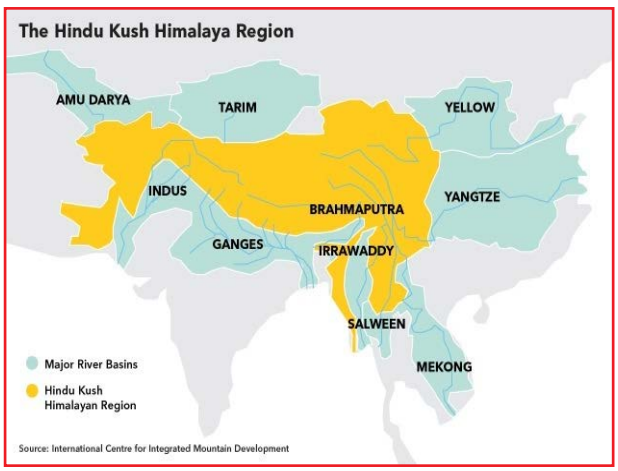

परिचय:

हिमालय या विशेष रूप से **हिंदूकुश हिमालय** को प्राय: **'वॉटर टावर ऑफ एशिया'** कहा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय जलवायु और जैवविविधता को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह **आर्कटिक तथा अंटार्कटिका** के बाहर हिम एवं बर्फ की पाई जाने वाली सबसे बड़ी मात्रा में से एक है।

मुख्य भाग:

वॉटर टावर ऑफ एशिया के रूप में हिमालय की भूमिका:

- **हिमनद जलाशय और स्राव:** आर्कटिक और अंटार्कटिका की ध्रुवीय हिम से पृथक हिमालय में ग्लेशियरों की सबसे बड़ी सघनता है।
  - ये ग्लेशियर विशाल प्राकृतिक जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं, जो **सर्दियों की बर्फबारी (जैसे- गंगोत्री ग्लेशियर)** को संग्रहित करते हैं और शुष्क ग्रीष्मकाल के दौरान पिघलते हैं, जिससे **सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र** जैसी प्रमुख नदियों को जल मिलता है।
  - यह भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों लोगों के लिये मीठे जल का एक महत्त्वपूर्ण और सतत् स्रोत प्रदान करता है।
- **विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों का समर्थन:** हिमालय द्वारा पोषित बारहमासी नदियाँ पारिस्थितिकी प्रणालियों के एक विशाल संजाल (Network) का निर्माण करती हैं।
  - ये नदियाँ उपजाऊ मैदानों (जैसे- सिंधु-गंगा के मैदान) और आर्द्रभूमि (जैसे- **सुंदरबन के** मैंग्रोव वन) के लिये जीवन रेखा के रूप में कार्य करती हैं।
  - यह संपूर्ण उपमहाद्वीप में वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री (Tapestry Of Flora and Fauna) का समर्थन करता है।

क्षेत्रीय जलवायु और जैवविविधता पर हिमालय का प्रभाव:

- क्षेत्रीय जलवायु पर प्रभाव:
  - **तापमान में कमी:** हिमालय, मध्य एशिया से आने वाली शीतल पवनों से भारतीय गंगा के मैदानों की रक्षा करता है, ताकि भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यधिक शीतल तापमान को रोका जा सकता है।
    - इसके विपरीत हिमालय के निचले क्षेत्र में स्थित **तिब्बती पठार**, वर्षा छाया प्रभाव के कारण बहुत अधिक कठोर और शुष्क जलवायु का अनुभव करता है।

नोट :

- **मानसून निर्माण:** हिमालय भारतीय मानसून प्रणाली के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - यह **आर्द्रता युक्त पवनों को आगे** बढ़ने में मदद करता हैं, जिससे उपमहाद्वीप के दक्षिणी ढालों पर संघनन और भारी वर्षा होती है।
  - यह मौसमी परिघटना, कृषि के लिये वर्षा हेतु महत्त्वपूर्ण है और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है।
  - पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय के साथ संपर्क से **उत्तरी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों** में वर्षा पैटर्न प्रभावित होते हैं।
- **स्थानीयकृत मौसमी परिघटना:** हिमालय की जटिल स्थलाकृति, इसकी गहरी घाटियाँ स्थानीयकृत मौसमी परिघटनाओं का निर्माण करती है, जिसमें घाटी की पवनें (Valley Wind), पर्वतीय पवनें और फोह्न पवनें शामिल हैं।
  - **असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और कश्मीर घाटी** में आस-पास की हिमालय शृंखलाओं के प्रभाव के कारण अलग-अलग सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों का अनुभव होता है।

- जैवविविधता पर प्रभाव: Impact on Biodiversity:
  - **ऊँचाई वाले क्षेत्र:** हिमालय उष्णकटिबंधीय (उदाहरण के लिये, तराई क्षेत्र) से लेकर अल्पाइन (उदाहरण के लिये, लद्दाख) तक ऊँचाई वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत शृंखला प्रदर्शित करता है, जो विविध पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों का समर्थन करता है।
    - नेपाल और सिक्किम की मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में **रोडोडेंड्रोन वन, कश्मीर में गुलमर्ग की अल्पाइन घास** के मैदान एवं **लद्दाख के शीत रेगिस्तान** विभिन्न ऊँचाइयों पर पाए जाने वाले अद्वितीय आवासों के उदाहरण हैं।
  - **स्थानिक प्रजातियाँ:** हिमालय कई स्थानिक प्रजातियों का घर है, जैसे- **हिमालयन तहर, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग।**
  - **प्रवासी मार्ग:** हिमालय डेमोइसेल क्रेन जैसी प्रजातियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रवासी गलियारे के रूप में कार्य करता है।
    - **कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व** प्रवासी जल पक्षियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

निष्कर्ष:

हिमालय केवल एक शानदार पर्वत शृंखला नहीं है, बल्कि यह **भारतीय उपमहाद्वीप की जीवनधारा** है, जो एशिया के प्राथमिक जल स्रोत, जलवायु नियामक और अद्वितीय जैवविविधता के केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस प्रतिष्ठित प्राकृतिक संपत्ति का संरक्षण न केवल इसकी सुंदरता के लिये बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के सतत् विकास और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिये भी आवश्यक है।

प्रश्न : मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग (Marine Cloud Brightening) क्या है? जलवायु परिवर्तन के शमन के संदर्भ में इसके संभावित लाभों एवं जोखिमों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।
- MCB के संभावित लाभों का वर्णन कीजिये।
- इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण जोखिमों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग (MCB) एक प्रस्तावित भू-अभियांत्रिकी तकनीक है, जिसका उद्देश्य निम्न-स्तरीय समुद्री मेघों की परावर्तनशीलता को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है, जिससे अधिक आने वाली सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित किया सके और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा को कम किया जाता है।

- इस प्रक्रिया के अंतर्गत वायुमंडल में समुद्री जल के कणों की एक महीन धुंध का छिड़काव शामिल है, जो मेघ संघनन नाभिक के रूप में कार्य करता है और उज्जवल, अधिक परावर्तक मेघों के निर्माण को बढ़ावा देता है।
- इन मेघों में उच्च अल्बेडो (परावर्तनशीलता) होता है और यह आने वाली सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से पृथ्वी की सतह शीतल हो सकती है।

नोट :

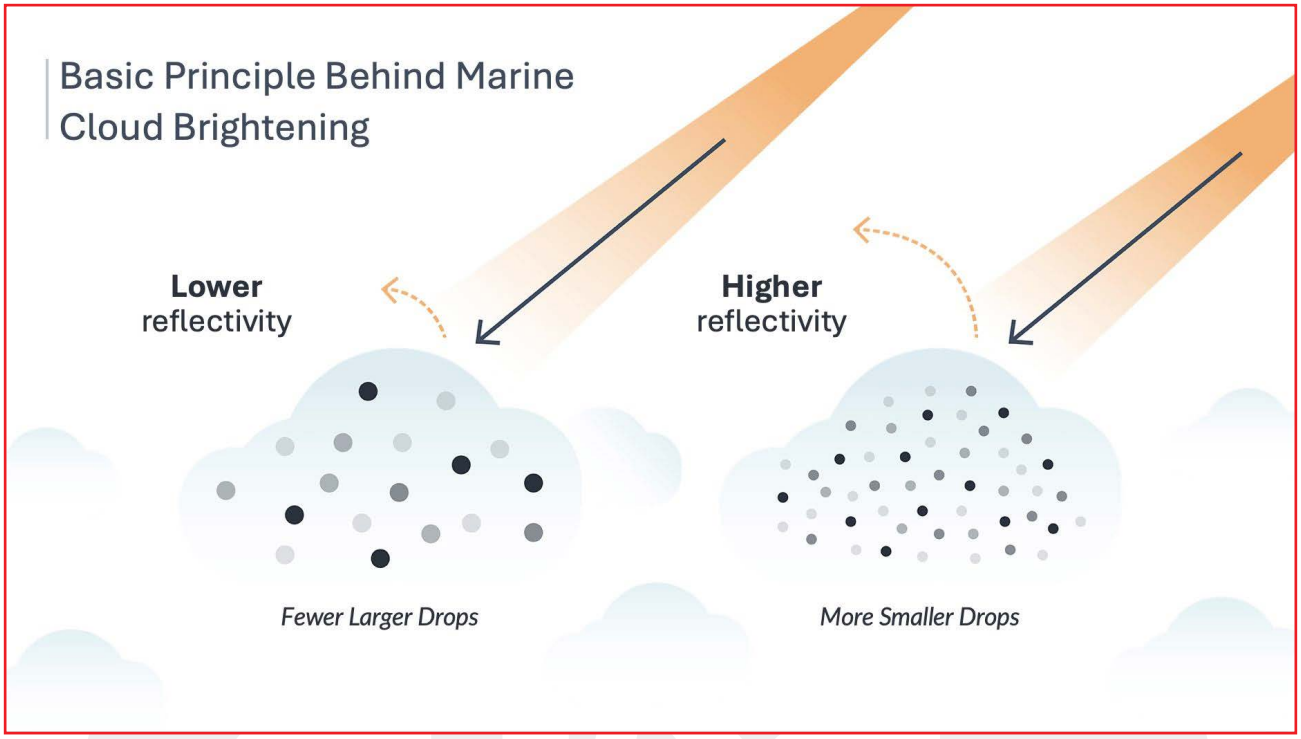

मुख्य भाग:

संभावित लाभ:

- **शीतलन प्रभाव:** यह MCB में अधिक सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करके वैश्विक तापमान को कम करने की क्षमता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संभावित रूप से कम किया जा सकता है।
  - MCB अत्यधिक समुद्री हीट को कम कर सकता है, संभावित रूप से ब्लीचिंग के खतरों का सामना करने वाली प्रवाल भित्तियों जैसे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर सकता है।
- **उत्सर्जन में कटौती के लिये खरीदारी का समय:** जब हम स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं तो MCB एक बफर प्रदान कर सकता है।
  - खरीदारी का यह समय उत्सर्जन में गहन कटौती (Deeper Cut) की अनुमति दे सकता है और ध्रुवीय हिमों की परतों के अपरिवर्तनीय विगलन जैसे विनाशकारी टिपिंग पॉइंट्स तक पहुँचने से बच सकता है।
- **स्थानीयकृत प्रभाव:** वैश्विक शीतलन प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाली अन्य भू-अभियांत्रिकी तकनीकों के विपरीत, MCB को विशिष्ट क्षेत्रों में लक्षित किया जा सकता है, जिससे अधिक स्थानीयकृत जलवायु हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है।
  - उदाहरण के लिये MCB को विशेष रूप से समुद्र के बढ़ते स्तर या अत्यधिक हीट इवेंट्स के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है।
- **उत्क्रमणीयता:** MCB का प्रभाव अपेक्षाकृत अल्पकालिक होता है और यदि इसे रोक दिया गया, तो पृथ्वी की जलवायु कुछ वर्षों के भीतर अपनी विगत स्थिति में वापस आ जाएगी, जिससे यह संभावित रूप से प्रतिवर्ती तकनीक (Potentially Reversible Technique) बन जाएगी।
- **लागत-प्रभावशीलता:** अन्य भू-अभियांत्रिकी तकनीकों की तुलना में MCB को अपेक्षाकृत सस्ता और तकनीकी रूप से व्यवहार्य माना जाता है।

संभाव्य जोखिम:

- **अनपेक्षित परिणाम:** पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में किसी भी बड़े पैमाने के हस्तक्षेप की तरह, MCB में अनपेक्षित परिणामों का जोखिम होता है जिनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, जैसे वर्षा पैटर्न में बदलाव, महासागर परिसंचरण और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान आदि।
- **सीमित दायरा:** MCB सभी क्षेत्रों में प्रभावी नहीं हो सकता है। मेघों के प्रकार और वायुमंडलीय स्थितियाँ इसकी प्रभावशीलता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।

नोट :

- **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में MCB** तैनात करने से, जहाँ मेघ पहले से ही काफी प्रतिबिंबित होते हैं, ग्लोबल वॉर्मिंग पर न्यूनतम प्रभाव पड़ने की संभावना है।

- **स्थानिक परिवर्तनशीलता:** MCB के शीतलन प्रभाव समान रूप से वितरित नहीं हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ और संसाधन आवंटन तथा तैनाती पर संभावित संघर्ष की संभावना है।
- **नैतिक संकट:** MCB की कथित प्रभावशीलता संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों, जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, को संबोधित करने की तात्कालिकता को कम कर सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शासन:** MCB को एकतरफा तैनात करने से अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। हालाँकि ज़िम्मेदार कार्यान्वयन के लिये प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

MCB एक संभावित जलवायु परिवर्तन शमन रणनीति के रूप में वादा करता है, बड़े पैमाने पर इसकी तैनाती के लिये जोखिमों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी, साथ ही ज़िम्मेदार कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत शासन ढाँचे एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

संस्कृति

प्रश्न : भारतीय इतिहास में स्मारकों एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों की संकल्पना तथा निर्माण पर भारतीय दर्शन एवं परंपरा के प्रभावों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भारतीय दर्शन और परंपरा को संक्षिप्त रूप से समझाइये।
- भारतीय दर्शन और परंपरा ने विभिन्न अवस्थाओं में भारतीय स्मारकों एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों को कैसे प्रभावित किया, इसका विस्तृत रूप से वर्णन कीजिये।
- संपूर्ण इतिहास में संबंधित स्थापत्य के उदाहरणों का उपयोग करते हुए उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय दर्शन भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित दार्शनिक परंपराओं को संदर्भित करता है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन सहित अन्य दर्शन शामिल हैं।

भारत में दर्शन और धर्म के बीच अविभाज्य संबंध ने कलात्मक अभिव्यक्ति के लिये एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में कार्य किया है। यह प्रभाव प्रारंभिक बौद्ध स्मारकों से लेकर हिंदू मंदिरों की भव्यता तक, बाद में निर्मित मस्जिदों और चर्चों में भी धार्मिक संरचनाओं के वर्णक्रम में स्पष्ट है, ये सभी अपने-अपने धर्मों के अद्वितीय दार्शनिक आधार को दर्शाते हैं।

मुख्य भाग:

- **प्रारंभिक सभ्यताएँ:**
  - सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा) ने उन्नत शहरी नियोजन प्रदर्शित किया और स्वस्तिक जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जो एक सुविकसित दार्शनिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली को रेखांकित करता था, जिसने बाद में हिंदू धर्म को प्रभावित किया।
- **वैदिक काल:**
  - इस अवधि के दौरान स्थापित वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित किया और शहरों के विकास को प्रभावित किया।
  - वैदिक ग्रंथों ने अनुष्ठानों और मान्यताओं के साथ-साथ दार्शनिक अवधारणाओं की खोज की। अग्नि एवं आकाश जैसे प्रकृति देवताओं की उपासना के कारण अग्नि वेदियों का निर्माण हुआ, जो आज भी महत्त्वपूर्ण है।
- **बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय:**
  - अजंता और एलोरा जैसे स्थानों में गुफा चित्र (Cave Painting) एवं मूर्तियाँ इन दार्शनिक शिक्षाओं को चित्रित करने के लिये शक्तिशाली साधन बन गईं।
  - बुद्ध के जीवन चक्र और जैन तीर्थंकरों की छवियाँ इसका उदाहरण हैं।
  - आजीवक, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित तपस्वियों को ध्यान के लिये स्थानों की आवश्यकता होती थी। लोमस ऋषि, अजंता या एलोरा जैसी चट्टानों को काटकर निर्मित गुफाएँ भिक्षुओं एवं संतों के लिये एकांत स्थान प्रदान करने के लिये बनाई गई थीं।
- **अशोक का शासनकाल:**
  - बौद्ध दर्शन ने अशोक के स्तंभों और स्तूपों के डिज़ाइन को काफी प्रभावित किया। स्तंभ का चक्र धर्म चक्र की गति का प्रतीक है, स्तूप का छत्र बौद्ध धर्म के तीन रत्नों का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :

- **गुप्त काल और उसके बाद:**
  - हिंदू मंदिर स्थापत्य नागर, वेसर और द्रविड़ जैसी विशिष्ट शैलियों के साथ विकसित हुईं। हिंदू महाकाव्यों तथा पौराणिक कथाओं की कहानियों एवं पात्रों को चित्रित करने वाली मूर्तियाँ मंदिरों की शोभा बढ़ाती हैं।
  - खजुराहो मंदिर का क्षेत्र तीन त्रिकोणों में विभाजित है जो तीन लोकों या त्रिलोकीनाथ और पाँच ब्रह्मांडीय पदार्थों या पंचभूतेश्वर के हिंदू प्रतीकों को प्रतिबिंबित करने के लिये एक पंचकोण का निर्माण करते हैं।
- **पल्लव एवं चोल राजवंश:**
  - इन शासकों के अधीन मंदिर सामाजिक केंद्र बन गए। इन्होंने महाबलीपुरम के "रथ" मंदिरों और पल्लवों द्वारा कैलाशनाथर एवं वैकुंठपेरुमल मंदिरों जैसी शानदार संरचनाओं का निर्माण किया।
- **मध्यकाल:**
  - मुगल सम्राट अकबर धर्म का एकीकरण, दीन-ए-इलाही का प्रयास, दार्शनिक संश्लेषण का उदाहरण है। संस्कृतियों के इस सम्मिश्रण ने विभिन्न क्षेत्रों में नवीन कलात्मक अभिव्यक्तियों को जन्म दिया।
- **आधुनिक भारत:**
  - ब्रिटिश शासन के दौरान यूरोपीय स्थापत्य शैली ने लोकप्रियता हासिल की, एक अनूठी इंडो-सारसेनिक शैली उभरी, जिसमें इंडो-इस्लामिक और यूरोपीय प्रभावों का मिश्रण था।

निष्कर्ष:

भारतीय दर्शन ने देश के इतिहास में कलात्मक अभिव्यक्ति के लिये निरंतर प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक, इसने एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य को पीछे छोड़ते हुए शहरों, स्मारकों एवं कला के डिज़ाइन को आकार दिया है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पश्चिम एशिया के राजनीतिक विकास से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इन चुनौतियों से निपटने के तरीके बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- पश्चिम एशिया में राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- इन चुनौतियों से निपटने के तरीके बताइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पश्चिम एशिया से होने वाले तेल के स्थिर एवं पूर्वानुमानित आयात पर काफी हद तक निर्भर है। हालाँकि ईरान एवं सऊदी अरब के बीच संवेदनशील सुलह प्रयास, इराक से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर अनिश्चितताएँ तथा इस क्षेत्र में घरेलू अशांति व सत्तावादी प्रवृत्तियों के बढ़ने जैसे हालिया राजनीतिक घटनाक्रम इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह आपूर्ति शृंखला संवेदनशील हुई है। ऐतिहासिक रूप से, पश्चिम एशिया की भारत के कच्चे तेल के आयात में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और इसकी कुल कच्चे तेल के आयात में 80% से अधिक की हिस्सेदारी है।

मुख्य भाग:

पश्चिम एशिया में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के आलोक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ:

- **आपूर्ति में व्यवधान तथा मूल्य में उतार-चढ़ाव:**
  - पश्चिम एशिया में राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें संघर्ष तथा गृह युद्ध (जैसे- इराक, सीरिया और यमन में) शामिल हैं, से तेल एवं गैस की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस व्यवधान से भारत का ऊर्जा आयात प्रभावित होने के साथ इसकी कमी होने से कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये होर्मुज जलडमरूमध्य (जिसकी वैश्विक तेल शिपमेंट में काफी भूमिका है) में संघर्ष से भारत की तेल आपूर्ति पर तत्काल एवं गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- **कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता:**
  - तेल एवं गैस आपूर्ति के लिये कुछ पश्चिम एशियाई देशों पर भारत की अधिक निर्भरता, इन देशों में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति इसे संवेदनशील बनाती है।
    - उदाहरण के लिये भारत के तेल आयात में सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों की प्रमुख हिस्सेदारी है। इन देशों में कोई भी राजनीतिक अस्थिरता या नीति परिवर्तन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकता है।
- **भू-राजनीतिक गठबंधन एवं प्रतिद्वंद्विता:**
  - पश्चिम एशिया जटिल भू-राजनीतिक गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता का क्षेत्र है, जिसमें न केवल सऊदी अरब, ईरान एवं तुर्की जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ शामिल हैं बल्कि अमेरिका, रूस तथा चीन जैसी बाहरी शक्तियाँ भी शामिल हैं।
    - भारत के लिये स्थिर ऊर्जा आयात बनाए रखते हुए इस गतिशीलता को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण है। इस क्षेत्र में विरोधी गुटों के साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता से भारत की विदेश नीति एवं ऊर्जा रणनीतियों में जटिलता आ सकती है।
- **प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ:**
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध (विशेष रूप से ईरान जैसे देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध) महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं।
    - उदाहरण के लिये ईरान की अनुकूल शर्तों के बावजूद, भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से अपने तेल आयात को कम करना पड़ा है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के तरीके:

- **पश्चिम एशिया से परे तेल आयात में विविधीकरण:**
  - भारत को अफ्रीका, मध्य एशिया तथा अमेरिका में अन्वेषण एवं उत्पादन परियोजनाओं में निवेश करके अपने तेल तथा गैस आयात स्रोतों में विविधता लाने के अपने प्रयासों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है।
- **रणनीतिक साझेदारी:**
  - ईरान-सऊदी अरब के बीच संबंधों को मज़बूत करते हुए, भारत को दोनों देशों एवं अन्य प्रमुख उत्पादकों के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखने चाहिये।

नोट :

- इससे आपूर्ति में व्यवधानों से बचाव के साथ प्रतिस्पर्द्धी कीमतों को सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है।

- **घरेलू उत्पादन एवं रणनीतिक भंडारण को बढ़ावा देना:**
  - घरेलू अन्वेषण एवं शोधन क्षमताओं में निवेश करने से भारत की आयातित तेल पर निर्भरता में काफी कमी आ सकती है, जिससे बाहरी असंतुलन का असर कम हो सकता है।
  - भारत को क्षेत्रीय अस्थिरता या मूल्य अस्थिरता के कारण संभावित आपूर्ति व्यवधानों से बचने के लिये अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बढ़ावा देना चाहिये।
- **क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना:**
  - भारत, पश्चिम एशिया में संवाद तथा शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिये अपने बढ़ते प्रभाव का लाभ उठा सकता है।
  - अधिक स्थिर क्षेत्र से अधिक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति वातावरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश:**
  - सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में त्वरित निवेश से लंबे समय में पश्चिम एशिया के जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
- **परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर ध्यान देना:**
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वच्छ, आधारभूत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे अस्थिर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आ सकती है।
  - परमाणु प्रौद्योगिकी में निवेश से भारत के ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूती मिल सकती है तथा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

निष्कर्ष:

पश्चिम एशिया की हाल की राजनीतिक अनिश्चितताओं से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगा है। भारत को इस जटिल परिदृश्य से निपटने तथा अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिये तेल आयात में विविधता लाने एवं रणनीतिक साझेदारी बनाने के साथ घरेलू उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना चाहिये।

प्रश्न : क्षेत्रीय शक्तियों एवं गुटों का उदय वैश्विक व्यवस्था को नया आकार दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसी स्थापित बहुपक्षीय संस्थाओं के संदर्भ में इसके संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- बदलती वैश्विक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए परिचय लिखिये।
- वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने वाली क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों पर गहनता से चर्चा कीजिये।
- संयुक्त राष्ट्र जैसी स्थापित बहुपक्षीय संस्थाओं के लिये इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है। क्षेत्रीय शक्तियों और गुटों का उदय संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापित श्रेष्ठता को चुनौती दे रहा है। यह गतिशीलता संयुक्त राष्ट्र के लिये दोधारी तलवार प्रस्तुत करती है, जिसमें नवीन उद्देश्य के अवसरों के साथ-साथ प्रासंगिकता में संभावित गिरावट भी शामिल है।

मुख्य भाग:

वैश्विक व्यवस्था को नवीन आकार प्रदान करने वाली क्षेत्रीय शक्तियाँ और ब्लॉक:

- **नवीन आर्थिक शक्तियों का उदय:** क्षेत्रीय ब्लॉकों का उदय वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को परिवर्तित कर रहा है।
  - उदाहरण के लिये ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) का बढ़ता आर्थिक प्रभाव G7 जैसी पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देता है।
- **विकसित होते सुरक्षा परिदृश्य:** क्षेत्रीय ब्लॉक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को आकार दे रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) इसका एक प्रमुख उदाहरण है और रूस-यूक्रेन संघर्ष में इसका प्रभाव इसकी विकसित होती भूमिका को दर्शाता है।
- **वैकल्पिक विकास मॉडल:** एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसे- क्षेत्रीय विकास बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के लिये वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल पेश करते हैं, जिन पर पारंपरिक रूप से पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व है।
  - यह विकास वित्त और अवसंरचना परियोजनाओं पर प्रभाव में बदलाव को दर्शाता है, जो संभावित रूप से अधिक बहुध्रुवीय दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।

नोट :

- **उभरते मानक ढाँचे:** क्षेत्रीय ब्लॉक वैकल्पिक मानदंडों और मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - सदस्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आसियान का ज़ोर पश्चिमी शक्तियों द्वारा कभी-कभी पसंद किये जाने वाले हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण के विपरीत है।

संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थापित बहुपक्षीय संस्थानों के निहितार्थ:

- **चुनौतियाँ:**
  - **बहुपक्षवाद का क्षरण:** क्षेत्रीय शक्तियाँ बहुपक्षीय सहयोग पर अपने हितों और क्षेत्रीय गठबंधनों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जो संभावित रूप से संवाद एवं सहयोग के लिये वैश्विक मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमज़ोर कर सकता है।
    - **उदाहरण:** चीन के नेतृत्व वाली बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) एक क्षेत्रीय ढाँचे के भीतर बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जो संभावित रूप से वैश्विक बुनियादी ढाँचे की योजना बनाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को दरकिनार कर देती है।
  - **प्रतिस्पर्द्धी हित और गतिरोध:** क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों के बीच अलग-अलग हित तथा प्राथमिकताएँ संयुक्त राष्ट्र के भीतर विखंडन एवं गतिरोध को जन्म दे सकती हैं, जिससे वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की इसकी क्षमता में बाधा आ सकती है।
    - **उदाहरण:** मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच असहमति ने ज़मीन खोजने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को पंगु बना दिया है।
  - **संयुक्त राष्ट्र के अधिकार के लिये चुनौतियाँ:** क्षेत्रीय शक्तियाँ और ब्लॉक संयुक्त राष्ट्र के अधिकार तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर तेज़ी से सवाल उठा सकते हैं, उन्हें पुराना एवं वर्तमान वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व न करने वाला मान सकते हैं।
    - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चल रही रूसी-यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में असमर्थता ने उभरती शक्तियों के सुधार और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को उजागर किया है।
- **अवसर:**
  - **सुधार और अनुकूलन के उत्प्रेरक:** क्षेत्रीय शक्तियों का उदय संयुक्त राष्ट्र के भीतर अति आवश्यक सुधारों के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, जो अधिक समावेशी और प्रतिनिधि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा।
    - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिये भारत की आवाज़, जिसे कई क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग को दर्शाता है ताकि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके।
  - **अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान:** संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों के साथ सहयोग कर सकता है क्योंकि वह बहुमूल्य संसाधनों एवं विशेषज्ञता में योगदान दे सकता है ताकि महामारी तथा आतंकवाद जैसी सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता वाली अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
  - **बहुपक्षीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाना:** क्षेत्रीय शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र के भीतर सेतु-निर्माता के रूप में कार्य कर सकती हैं, आम सहमति बना सकती हैं और विभाजन को पाट सकती हैं।
    - विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में भारत की भूमिका इसका प्रमुख उदाहरण है।

निष्कर्ष:

क्षेत्रीय शक्तियों का उदय संयुक्त राष्ट्र के लिये एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। संस्था को क्षेत्रीय शक्तियों का लाभ उठाकर, अपनी सीमाओं को संबोधित करके, अधिक समावेशी, प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देकर अनुकूलन करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का भविष्य सामूहिक हित के लिये क्षेत्रवाद की शक्ति का दोहन करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है।

राजव्यवस्था

प्रश्न : भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर वर्ष 1990 के बाद के चुनाव सुधारों के प्रभाव तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत जैसे लोकतंत्र में चुनाव सुधारों के महत्त्व के साथ शुरुआत कीजिये।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली पर चुनाव सुधारों के प्रभावों का उल्लेख कीजिये।
- लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चुनाव सुधारों का प्रभाव बताइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

चुनाव सुधार देश के लोकतांत्रिक ढाँचे को आकार देने, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत में वर्ष 1990 के बाद के युग में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली और समग्र लोकतांत्रिक शासन को मज़बूत करने के उद्देश्य से दूरगामी सुधारों की एक शृंखला के साथ एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखा गया।

मुख्य भाग:

वर्ष 1990 के बाद के चुनाव सुधारों का प्रभाव:

- **भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर:**
  - **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM):** वर्ष 1992 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 61A शामिल की और EVM के उपयोग को वैध बनाने एवं चुनावों में उनके उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने वाले नियम बनाए। ECI ने वर्ष 1998 में व्यापक रूप से EVM का उपयोग शुरू किया।
    - जयललिता और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2002) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावों में EVM का इस्तेमाल संवैधानिक रूप से वैध है।
  - **वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (VVPAT):** वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने संशोधित चुनाव संचालन नियम, 1961 को अधिसूचित किया, जिससे ECI को EVM के साथ VVPAT का उपयोग करने में सक्षम बनाया गया।
    - ADR बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में यादृच्छिक रूप से 5% सत्यापन के साथ VVPAT के उपयोग की वैधता को बरकरार रखा।
  - **चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति:** मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें व कार्यालय की अवधि) अधिनियम 2023 ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिये एक चयन समिति की स्थापना की, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं विपक्ष के नेता शामिल हैं।
    - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप बरणवाल बनाम भारत संघ मामले (2023) में चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) की सिफारिशों पर ज़ोर दिया।
    - इन रिपोर्टों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिये प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता के साथ एक समिति का प्रस्ताव रखा गया।
- **लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में:**
  - **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन:** चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान समय के आवंटन को लेकर ईसीआई अधिसूचना, 2003 ने राजनीतिक चर्चा को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों को मतदाताओं तक पहुँचने की अनुमति मिल गई है।
    - इस प्रावधान ने पक्षपातपूर्ण मीडिया के प्रभाव को कम कर दिया है, मतदाताओं के बीच सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा दिया है।
  - **नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं):** नोटा को वर्ष 2013 में चुनावों में पेश किया गया था, जो मतदाताओं को मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से परहेज़ करने की क्षमता प्रदान करता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों दोनों में उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) विकल्प शामिल करने का निर्देश दिया।
  - **एग्जिट पोल पर प्रतिबंध:** वर्ष 2009 का एक प्रावधान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल आयोजित करने एवं प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाता है।
    - एग्जिट पोल मतदाता के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे चुनाव के शुरुआती चरण में एक दल के हावी होने पर रुचि-आधारित मतदान से जन-आधारित मतदान की ओर बदलाव हो सकता है।
  - **मतदाता भागीदारी और आत्मविश्वास में वृद्धि:** राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल और मतदाता हेल्पलाइन जैसे मतदाता सुविधा उपायों ने मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता में सुधार किया है, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष:

वर्ष 1990 के बाद के चुनाव सुधारों ने ECI की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे यह स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये सशक्त हो गया है। हालाँकि इन सुधारों का लोकतांत्रिक शासन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन मौजूदा चुनौतियाँ एवं चिंताएँ जैसे कार्यकारी हस्तक्षेप, चुनावों में धन की शक्ति तथा तकनीकी कमज़ोरियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को और अधिक मज़बूत करने के लिये संबोधित करने की आवश्यकता है।

नोट :

प्रश्न : "न्यायिक अतिरेक लोकतंत्र के विचार के प्रतिकूल हो सकता है"। दिये गए कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- न्यायिक अतिरेक की अवधारणा को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- दिए गए कथन के समर्थन में तर्क दीजिये।
- दिए गए कथन के विरोध में तर्क देते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

न्यायिक अतिरेक एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब ऐसा लगता है कि न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया है। यह तब होता है जब न्यायपालिका सरकार के विधायी या कार्यकारी अंगों की उचित कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, यानी न्यायपालिका अपने स्वयं के कार्य से परे कार्यकारी एवं विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करती है।

मुख्य भाग:

न्यायिक अतिरेक से लोकतंत्र कमज़ोर होता है, इसके समर्थन में तर्क:

- **विधायी कार्यों में हस्तक्षेप:**
  - भारतीय संसद कानून बनाने वाली प्राथमिक संस्था है। जब न्यायालय लोकतांत्रिक तरीके से पारित कानूनों को रद्द करती हैं तो इससे विधायिका के अधिकार के साथ लोकतंत्र की भावना कमज़ोर होती है।
- **शक्ति का संकेंद्रण:**
  - इससे न्यायाधीशों के हाथों में शक्ति केंद्रित होने से जवाबदेहिता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। संसद के निर्वाचित सदस्यों (सांसदों) के विपरीत, न्यायाधीश सीधे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं।
    - **उदाहरण:** राजमार्गों पर शराब की बिक्री में प्रतिबंध लगाने या धार्मिक प्रथाओं को विनियमित करने जैसे मुद्दों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को न्यायिक अतिरेक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें विधि निर्माण एवं सार्वजनिक विमर्श के माध्यम से हल किया जा सकता है।
- **विशेषज्ञता की कमी:**
  - न्यायाधीशों के पास आवश्यक नहीं है कि आर्थिक या सामाजिक मुद्दों पर जटिल नीतिगत निर्णय लेने के लिये आवश्यक विशेषज्ञता हो। इससे अनपेक्षित परिणामों के साथ अतार्किक नियम बन सकते हैं।
    - उदाहरण: मोहित मिनरल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि GST परिषद के फैसले राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं।
      - ❖ इस निर्णय से व्यवसाय बाधित होने एवं कर प्रशासन में जटिलता आने के साथ GST के उचित लाभों को प्राप्त करने में व्यवधान हो सकता है।

न्यायिक अतिरेक से लोकतंत्र कमज़ोर होता है, इसके विपक्ष में तर्क:

- **मूल अधिकारों की रक्षा:** न्यायपालिका, संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने की इसकी शक्ति व्यक्तियों को मनमाने सरकारी कृत्यों से बचाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **उदाहरण:** उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार होने के साथ शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया।
    - यह निर्णय आगे चलकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के पारित होने का आधार बना।
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलना:** न्यायपालिका समानता को बढ़ावा देने तथा वंचित समूहों की रक्षा करने वाले कानूनों की व्याख्या करके सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - **उदाहरण:** ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर स्थित समुदायों के लिये आरक्षण नीतियों को बढ़ावा देने वाले निर्णय सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करते हैं।
- **विधायिका की निष्क्रियता:** कभी-कभी न्यायिक अतिरेक का संबंध महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई करने में विधायिका की विफलता से उत्पन्न होता है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ न्यायपालिका इस कमी को पूरा करने के संदर्भ में भूमिका निभा सकती है, जिससे उचित हस्तक्षेप की सीमाएँ धुँधली हो जाती हैं।
  - **उदाहरण:** अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती थी।
    - हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिला है।
    - इस फैसले के बाद, संसद ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक कानून पारित किया।

नोट :

निष्कर्ष:

न्यायिक अतिरेक वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के लिये खतरा बन सकता है। हालाँकि पूरी तरह से नियंत्रित न्यायपालिका की अधिकारों के रक्षक एवं सत्ता पर नियंत्रण के रूप में भूमिका कमज़ोर होती है। शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करते हुए न्यायिक सक्रियता एवं अतिरेक के बीच संतुलन बनाना एक जीवंत भारतीय लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।

प्रश्न : धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों के संबंध में हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख पहलुओं तथा उसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- ED और उसके PMLA लागू करने के अधिदेश का परिचय लिखिये।
- उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कीजिये।
- विभिन्न निर्णयज विधियों का हवाला देते हुए इसके निहितार्थों का उल्लेख कीजिये।
- पाठ्यक्रम से संबंधित शब्दों का उपयोग करते हुए निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-विषयक एजेंसी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जाँच के लिये ज़िम्मेदार है।

- यह अपराध से अर्जित संपत्तियों का पता लगाकर, संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करके और अपराधियों पर मुकदमा चलाकर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों को लागू करता है।

मुख्य भाग:

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं:

फैसले के प्रमुख पहलू:

- **अभिरक्षा की शक्तियों पर सीमा:** उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विशेष न्यायालय द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ED, PMLA की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
  - यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ED की शक्ति को कम कर देता है और आरोपी को PMLA प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग से बचाता है।
  - यह विधि सम्यक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारियाँ न्यायिक जाँच के अधीन हैं।
- **हिरासत में पूछताछ:** यदि ED अग्रिम जाँच के लिये आरोपी की हिरासत चाहती है, तो उसे विशेष न्यायालय में आवेदन करना होगा और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को उचित ठहराना होगा।
  - न्यायालय केवल तभी हिरासत प्रदान करेगा, जब वह संतुष्ट हो कि इसकी आवश्यकता है, भले ही आरोपी को प्रारंभ में गिरफ्तार नहीं किया गया हो।
  - यह सुरक्षा अनुचित हिरासत में पूछताछ को रोकती है और आरोपी के अधिकारों का सम्मान करती है।
- **ज़मानत संबंधी प्रावधान:** निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि एक आरोपी जो समन के अनुसार न्यायालय के समक्ष पेश होता है, उसे CrPC की धारा 437 के तहत नियमित ज़मानत के लिये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  - यह आरोपी को PMLA के तहत ज़मानत के लिये कड़ी दोहरी शर्तों से राहत प्रदान करता है और अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

आशय:

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रक्रिया को कायम रखना:** निकेश ताराचंद शाह मामले (वर्ष 2017) का निर्णय निर्धारित सिद्धांतों को बरकरार रखता है, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने माना था कि वैध कानून द्वारा स्थापित निष्पक्ष, न्यायसंगत तथा उचित प्रक्रिया से परे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जा सकती है।
- **न्यायिक निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करना:** यह विजय मदनलाल चौधरी मामले (2022) के अनुरूप है, जिसमें PMLA के तहत मनमानी अभिरक्षा के खिलाफ न्यायिक निगरानी और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था।
- **संज्ञान के बाद अभिरक्षा शक्तियों को सीमित करना:** संज्ञान के बाद ED की गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करके, निर्णय पंकज बंसल मामले (वर्ष 2023) में उजागर किये गए मुद्दे को संबोधित करता है, जहाँ उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करनी पड़ी।
- **ज़मानत प्रणाली में विफलताओं को संबोधित करना:** यह फैसला सतेंद्र कुमार अंतिल मामले (वर्ष 2022) में उठाई गई चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को पहचानने और ज़मानत देने में देश की ज़मानत प्रणाली की विफलताओं को स्वीकार किया था।
  - राजस्थान राज्य बनाम बालचंद (वर्ष 1977) मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि ज़मानत नियम है और जेल अपवाद।
- **जाँच शक्तियों और वैयक्तिक अधिकारों को संतुलित करना:** यह निर्णय जाँच शक्तियों और वैयक्तिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है जैसा कि वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उल्लेख करते हुए रेखांकित किया है कि "इस संतुलन का मूल' उचित प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता है।

नोट :

- **शीघ्र जाँच पर संभावित प्रभाव:** यह जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शीघ्र जाँच करने की ED की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष:

उच्चतम न्यायालय का फैसला PMLA के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए सम्यक प्रक्रिया, निष्पक्षता और वैयक्तिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह एक संवैधानिक प्रहरी के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को मज़बूत करता है और जाँच शक्तियों एवं मौलिक अधिकारों के बीच उचित संतुलन बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।

प्रश्न : भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- CVC और संथानम समिति का परिचय लिखिये।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में CVC की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप की गई थी।
- यह भारत का सर्वोच्च सरकारी निकाय है, जो देश के लोक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार है।

मुख्य भाग:

केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका:

- **जाँच और पूछताछ:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों के लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच का कारण बनता है, जैसा कि विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ (वर्ष 1998) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।
  - अखिल भारतीय सेवाओं, समूह 'A' अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जाँच करता है।
- **निरीक्षण और अधीक्षण:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जाँच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (CBI) के कामकाज का अधीक्षण करता है।
  - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिये लंबित आवेदनों की प्रगति की निगरानी करता है।
- **सलाहकार और नियामक भूमिका:** केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों को संदर्भित मामलों पर सलाह देता है।
  - केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम तथा विनियम बनाने में केंद्र सरकार के साथ परामर्श करता है।
- **मुखबिरों की सुरक्षा और शिकायतों का निपटान:** जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों पर विचार करता है तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
- **नियुक्तियाँ एवं चयन समितियाँ:** केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति और प्रवर्तन उप निदेशक के स्तर से ऊपर की नियुक्तियों के लिये अधिकारियों की सिफारिश करने के लिये ज़िम्मेदार चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष:

अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते हुए, CVC भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सुशासन सुनिश्चित करता है तथा जनता के विश्वास में वृद्धि करता है।

प्रश्न : भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड (QUAD) समूह के महत्त्व का आकलन कीजिये। भारत के रणनीतिक हितों एवं उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु इसके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर की शुरुआत QUAD समूह के परिचय के साथ कीजिये।
- क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत के रणनीतिक हितों पर QUAD के महत्त्व का उल्लेख कीजिये।
- उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच क्वाड में प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड समूह, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा, भू-राजनीति एवं भारत के रणनीतिक हितों के दूरगामी प्रभाव के साथ, भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के रूप में उभरा है।

नोट :

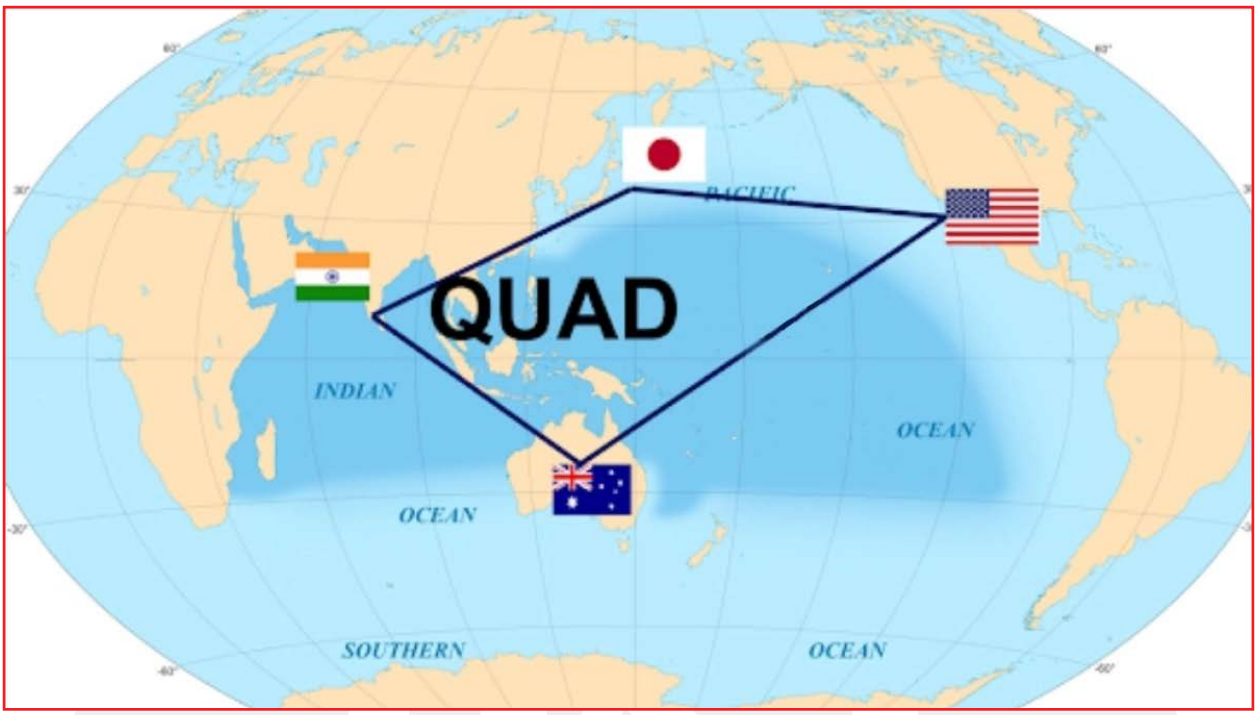

मुख्य भाग:

QUAD का महत्त्व:

- **क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में:**
  - **चीन की मुखरता का सामना:** क्वाड देशों को दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे मुद्दों पर सामूहिक सौदेबाज़ी की शक्ति प्रदान करता है, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करता है।
  - **सहकारी सुरक्षा स्थापत्य:** क्वाड सुरक्षा चुनौतियों के लिये एक सहकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
    - मालाबार अभ्यास, 2024 जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास एकतरफा कार्रवाइयों को रोकते हुए, स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिये एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करते हैं।
  - **साझा मूल्य और मानदंड:** क्वाड UNCLOS के पालन, नेविगेशन की स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर ज़ोर देता है।
    - इस मानक ढाँचे का लक्ष्य इंडो-पैसिफिक में नियम-आधारित व्यवस्था को कायम रखना है।
- **भारत के रणनीतिक हितों के संदर्भ में:**
  - **चीन के खिलाफ बचाव की रणनीति:** चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और हिंद महासागर में जिबूती जैसे सैन्य अड्डों की स्थापना ने भारत की समुद्री सुरक्षा एवं उसके रणनीतिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिये चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
    - क्वाड भारत को चीन के उदय के खिलाफ रणनीतिक बचाव प्रदान करता है।
  - **निर्बाध व्यापार को सुरक्षित करना:** क्वाड भारत को मलक्का जलडमरूमध्य और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के माध्यम से निर्बाध व्यापार एवं ऊर्जा प्रवाह के अपने प्राथमिक समुद्री हित को सुनिश्चित करने के लिये समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ सहयोग करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में QUAD:

- **संभावित हथियारों की होड़:** चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिये क्वाड के प्रयासों से दोनों पक्षों द्वारा सैन्य व्यय और आधुनिकीकरण के प्रयासों में वृद्धि हो सकती है, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है।
  - चीन की पहले से ही क्वाड के बारे में "एशियाई नाटो" के रूप में धारणा है।
- **औपचारिक संरचना का अभाव:** क्वाड में औपचारिक सामूहिक संरचना का अभाव है। यह अस्पष्टता संकट के समय प्रत्येक सदस्य द्वारा की जाने वाली प्रतिबद्धता के स्तर के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न करती है।

नोट :

- **भारत की कूटनीतिक घेराबंदी:** रणनीतिक हितों के लिये क्वाड का लाभ उठाने और ब्रिक्स एवं SCO जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से चीन के साथ स्थिर संबंधों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखना भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
- **ताइवान की दुविधा:** ताइवान की स्थिति पर QUAD का रुख एक संभावित फ्लैशप्वाइंट है। प्रत्येक सदस्य द्वारा ताइवान को दी जाने वाली राजनयिक मान्यता के अलग-अलग मतों को देखते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाना कठिन है।

निष्कर्ष:

क्वाड के आस-पास उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता को देखते हुए, भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा हेतु क्वाड का लाभ उठाने और राजनयिक चैनलों के माध्यम से चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने के बीच एक नाज़ुक संतुलन बनाना होगा। आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमताओं सहित अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को मज़बूत करने से भारत-प्रशांत क्षेत्र की जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता से निपटने में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता एवं सौदेबाज़ी की शक्ति में वृद्धि होगी।

प्रश्न : वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन तथा वर्ष 1967 के इसके प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय हेतु उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिये। इसके साथ ही भारत के समक्ष विद्यमान शरणार्थी चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- वर्ष 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का परिचय लिखिये।
- कन्वेंशन और इसके प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय के कारणों का उल्लेख कीजिये।
- भारत के समक्ष आने वाली वर्तमान शरणार्थी चुनौतियों पर गहराई से चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र संधि, शरणार्थियों, उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिये राज्य के दायित्वों को परिभाषित करती है। वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल ने वैश्विक स्तर पर अपना दायरा बढ़ाया।

- ये शरणार्थी संरक्षण के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानूनी ढाँचा का निर्माण करते हैं, जिसमें न्यायालयों, रोज़गार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उपचार के लिये गैर-वापसी तथा न्यूनतम मानक शामिल हैं।
- इसे जुलाई,1951 में जिनेवा में हस्ताक्षर के लिये आमंत्रित किया गया था, हालाँकि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये।

मुख्य भाग:

वर्ष 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय के निम्न कारण हैं:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** भारत की अपने पड़ोसियों के साथ सीमाएँ खुली हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में किसी भी संघर्ष या संकट के कारण बड़े पैमाने पर शरणार्थी आ सकते हैं।
  - इससे स्थानीय बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव पड़ सकता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसाँख्यिकीय संतुलन बिगड़ सकता है, जो पहले से ही संवेदनशील हैं।
  - शरणार्थियों के रूप में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों, उग्रवादियों या अन्य राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों से संभावित खतरों के बारे में चिंता हैं।
- **संसाधन की कमी:** एक विकासशील देश के रूप में भारत पहले से ही अपनी आबादी को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये संघर्ष कर रहा है।
  - बड़ी सँख्या में शरणार्थियों को प्रदान करने के लिये कानूनी दायित्व लेने से सीमित संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है और विकास के प्रयासों में बाधा आ सकती है।
  - उदाहरण: वर्ष 1971 में बाँग्लादेश से 10 मिलियन से अधिक शरणार्थियों के आने से संसाधनों की बर्बादी हुई, जिसके कारण हैज़ा फैल गया।
- **नीतियों के लचीलेपन को बनाए रखना:** कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने से भारत कानूनी रूप से गैर-वापसी (कोई जबरन प्रत्यावर्तन नहीं) जैसे सिद्धांतों से बँध जाएगा, जो ज़मीनी हकीकत के आधार पर शरणार्थी प्रवाह को प्रबंधित करने की इसकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
  - भारत अद्वितीय क्षेत्रीय चुनौतियों और घरेलू समस्याओं से निपटने के लिये अपनी शरणार्थी नीतियों में लचीलापन बनाए रखना पसंद करता है।
- **शरणार्थी संरक्षण की मानवीय परंपरा:** हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं होने के बावजूद, भारत के पास मानवीय आधार पर विस्थापित लोगों को शरण प्रदान करने का एक लंबा इतिहास है।
  - उदाहरण के लिये तिब्बती शरणार्थियों को दशकों से भारत में आश्रय मिला है। भारत का तर्क है कि उसकी मौजूदा प्रथाएँ शरणार्थी सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।

नोट :

- **द्विपक्षीय समझौतों पर ध्यान:** भारत पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से शरणार्थी स्थितियों को संभालना पसंद करता है। यह दृष्टिकोण प्रत्येक स्थिति की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिक अनुरूप समाधानों की अनुमति प्रदान करता है।

भारत के समक्ष वर्तमान शरणार्थी चुनौतियाँ:

- **रोहिंग्या शरणार्थी संकट:** भारत बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों की मेज़बानी करता है जो म्याँमार में उत्पीड़न के कारण भागकर आए हैं।
  - संभावित सुरक्षा खतरों और संसाधनों पर बोझ संबंधी चिंताओं के साथ, उनकी कानूनी स्थिति तथा अधिकार विवादास्पद बने हुए हैं।
  - **उदाहरण:** UNHCR का कहना है कि रोहिंग्या सहित म्याँमार के लगभग 79,000 शरणार्थी भारत में निवास करते हैं।
- **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी स्थिति:** भारत ने श्रीलंका में गृहयुद्ध से भागकर आए बड़ी संख्या में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की मेज़बानी की है।
  - हालाँकि कुछ को वापस भेज दिया गया है या नागरिकता प्रदान की गई है, लगभग 58,000 श्रीलंकाई शरणार्थी अभी भी तमिलनाडु में 104 शिविरों में निवास कर रहे हैं।
- **अफगान शरणार्थियों का आना:** अफगानिस्तान में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के साथ, भारत में अफगान शरणार्थियों तादाद बढ़ी है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में पूर्व के संघर्षों के दौरान भारत में शरण मांगी थी।
- **वैधानिक ढाँचे का अभाव:** शरणार्थी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से भारत की अनुपस्थिति के कारण शरणार्थी मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक व्यापक वैधानिक ढाँचे की कमी हो गई है, जिसके कारण तदर्थ नीतियाँ तथा विभिन्न शरणार्थी समूहों के साथ असंगत व्यवहार हो रहा है।
- **शरणार्थी शिविरों में चुनौतियाँ:** भारत में शरणार्थी शिविरों और बस्तियों को प्राय: भीड़भाड़, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच एवं सुरक्षा व संरक्षण संबंधी चिंताओं जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष:

सुरक्षा, संसाधनों और नीतिगत लचीलेपन के बारे में भारत की चिंताओं ने शरणार्थी कन्वेंशन पर उसके रुख को आकार दिया है, उभरती शरणार्थी चुनौतियाँ इस महत्त्वपूर्ण मानवीय मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने तथा कमज़ोर आबादी के संरक्षण के लिये भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिये एक मज़बूत कानूनी एवं संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

प्रश्न : क्षेत्रीय शक्तियों एवं गुटों का उदय वैश्विक व्यवस्था को नया आकार दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसी स्थापित बहुपक्षीय संस्थाओं के संदर्भ में इसके संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- बदलती वैश्विक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए परिचय लिखिये।
- वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने वाली क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों पर गहनता से चर्चा कीजिये।
- संयुक्त राष्ट्र जैसी स्थापित बहुपक्षीय संस्थाओं के लिये इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है। क्षेत्रीय शक्तियों और गुटों का उदय संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापित श्रेष्ठता को चुनौती दे रहा है। यह गतिशीलता संयुक्त राष्ट्र के लिये दोधारी तलवार प्रस्तुत करती है, जिसमें नवीन उद्देश्य के अवसरों के साथ-साथ प्रासंगिकता में संभावित गिरावट भी शामिल है।

मुख्य भाग:

वैश्विक व्यवस्था को नवीन आकार प्रदान करने वाली क्षेत्रीय शक्तियाँ और ब्लॉक:

- **नवीन आर्थिक शक्तियों का उदय:** क्षेत्रीय ब्लॉकों का उदय वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को परिवर्तित कर रहा है।
  - उदाहरण के लिये ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) का बढ़ता आर्थिक प्रभाव G7 जैसी पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देता है।
- **विकसित होते सुरक्षा परिदृश्य:** क्षेत्रीय ब्लॉक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को आकार दे रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) इसका एक प्रमुख उदाहरण है और रूस-यूक्रेन संघर्ष में इसका प्रभाव इसकी विकसित होती भूमिका को दर्शाता है।

नोट :

- **वैकल्पिक विकास मॉडल:** एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसे- क्षेत्रीय विकास बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के लिये वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल पेश करते हैं, जिन पर पारंपरिक रूप से पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व है।
  - यह विकास वित्त और अवसंरचना परियोजनाओं पर प्रभाव में बदलाव को दर्शाता है, जो संभावित रूप से अधिक बहुध्रुवीय दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।
- **उभरते मानक ढाँचे:** क्षेत्रीय ब्लॉक वैकल्पिक मानदंडों और मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - सदस्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आसियान का ज़ोर पश्चिमी शक्तियों द्वारा कभी-कभी पसंद किये जाने वाले हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण के विपरीत है।

संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थापित बहुपक्षीय संस्थानों के निहितार्थ:

- **चुनौतियाँ:**
  - **बहुपक्षवाद का क्षरण:** क्षेत्रीय शक्तियाँ बहुपक्षीय सहयोग पर अपने हितों और क्षेत्रीय गठबंधनों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जो संभावित रूप से संवाद एवं सहयोग के लिये वैश्विक मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमज़ोर कर सकता है।
    - **उदाहरण:** चीन के नेतृत्व वाली बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) एक क्षेत्रीय ढाँचे के भीतर बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जो संभावित रूप से वैश्विक बुनियादी ढाँचे की योजना बनाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को दरकिनार कर देती है।
  - **प्रतिस्पर्द्धी हित और गतिरोध:** क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों के बीच अलग-अलग हित तथा प्राथमिकताएँ संयुक्त राष्ट्र के भीतर विखंडन एवं गतिरोध को जन्म दे सकती हैं, जिससे वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की इसकी क्षमता में बाधा आ सकती है।
    - **उदाहरण:** मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच असहमति ने ज़मीन खोजने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को पंगु बना दिया है।
  - **संयुक्त राष्ट्र के अधिकार के लिये चुनौतियाँ:** क्षेत्रीय शक्तियाँ और ब्लॉक संयुक्त राष्ट्र के अधिकार तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर तेज़ी से सवाल उठा सकते हैं, उन्हें पुराना एवं वर्तमान वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व न करने वाला मान सकते हैं।
    - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चल रही रूसी-यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में असमर्थता ने उभरती शक्तियों के सुधार और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को उजागर किया है।
- **अवसर:**
  - **सुधार और अनुकूलन के उत्प्रेरक:** क्षेत्रीय शक्तियों का उदय संयुक्त राष्ट्र के भीतर अति आवश्यक सुधारों के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, जो अधिक समावेशी और प्रतिनिधि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा।
    - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिये भारत की आवाज़, जिसे कई क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग को दर्शाता है ताकि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके।
  - **अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान:** संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों के साथ सहयोग कर सकता है क्योंकि वह बहुमूल्य संसाधनों एवं विशेषज्ञता में योगदान दे सकता है ताकि महामारी तथा आतंकवाद जैसी सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता वाली अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
  - **बहुपक्षीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाना:** क्षेत्रीय शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र के भीतर सेतु-निर्माता के रूप में कार्य कर सकती हैं, आम सहमति बना सकती हैं और विभाजन को पाट सकती हैं।
    - विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में भारत की भूमिका इसका प्रमुख उदाहरण है।

निष्कर्ष:

क्षेत्रीय शक्तियों का उदय संयुक्त राष्ट्र के लिये एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। संस्था को क्षेत्रीय शक्तियों का लाभ उठाकर, अपनी सीमाओं को संबोधित करके, अधिक समावेशी, प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देकर अनुकूलन करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का भविष्य सामूहिक हित के लिये क्षेत्रवाद की शक्ति का दोहन करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

प्रश्न : सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारत की सकारात्मक नीतिगत कार्रवाईयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए इससे संबंधित चुनौतियों एवं संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भारत की सकारात्मक नीतिगत कार्रवाईयों के परिचय के साथ कीजिये।
- सामाजिक न्याय की भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिये।
- सकारात्मक कार्रवाई में आवश्यक निरंतर चुनौतियों और संभावित सुधारों का मूल्यांकन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिये लागू की गई हैं। शिक्षा एवं रोज़गार में आरक्षण सहित इन नीतियों का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जैसे हाशिये पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना है।

- भारत में सकारात्मक कार्रवाई की बुनियाद संविधान में रखी गई है, जिसमें अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) जैसे प्रावधान हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनुमति देते हैं। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने जाति-आधारित असमानताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए OBC को शामिल करने के लिये आरक्षण का और विस्तार किया।

मुख्य भाग:

सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता:

1. सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण:

- सकारात्मक कार्रवाई से शिक्षा और रोज़गार में हाशिये पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।
- 01.01.2016 तक केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में SC, ST एवं OBC का प्रतिनिधित्व बढ़कर क्रमश: 17.49%, 8.47% तथा 21.57% हो गया।

2. राजनीतिक प्रतिनिधित्व:

- सकारात्मक कार्रवाई ने राजनीतिक सशक्तीकरण की सुविधा प्रदान की है, विधायिकाओं में आरक्षित सीटों से हाशिये पर रहने वाले समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।
- उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों को भेदभाव और हिंसा से बचाना है।

3. शैक्षिक अवसर:

- आरक्षण नीतियों ने हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये शिक्षा तक पहुँच बढ़ा दी है, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता में योगदान हुआ है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन ने वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करके इस उद्देश्य को आगे बढ़ाया है।

चुनौतियाँ:

1. क्रीमीलेयर और एलीट कैप्चर:

- क्रीमीलेयर की अवधारणा की आलोचना इस बात के लिये की गई है कि आरक्षित श्रेणियों के समृद्ध व्यक्तियों को लाभ मिलता है, जिससे वास्तव में हाशिये पर रहने वाले लोग नुकसान में रह जाते हैं।
- अभिजात्य वर्ग का कब्ज़ा आरक्षित श्रेणियों के भीतर राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रभुत्व को संदर्भित करता है, जो सबसे हाशिये पर रहने वाले लोगों तक लाभ सीमित करता है।

2. गुणवत्ता बनाम मात्रा पर बहस:

- आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण योग्यता और गुणवत्ता से समझौता करता है, जिससे शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।
- शैक्षिक योग्यता और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच बेमेल चिंता का विषय रहा है, जो सकारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहा है।

3. सामाजिक कलंक और भेदभाव:

- आरक्षण के बावजूद, हाशिये पर रहने वाले समुदायों को सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका समग्र विकास बाधित हो रहा है।
- रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का कायम रहना हाशिये पर रहने वाले समुदायों के समाज में एकीकरण के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

नोट :

4. विरोध और प्रतिक्रिया:

- प्राय: प्रमुख समूहों की ओर से विरोध होता है जो इन नीतियों को अनुचित मानते हैं, जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष होते हैं।

संभावित सुधार:

1. कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ बनाना:

- सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को बढ़ाना।
- उल्लंघनों को रोकने के लिये आरक्षण मानदंडों का अनुपालन न करने पर सख्त दंड लागू करना।

2. क्रीमी लेयर और एलीट कैप्चर को संबोधित करना:

- लाभार्थियों की पहचान करने के लिये आय मानदंड पेश करना, यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण से आरक्षित श्रेणियों के भीतर आर्थिक रूप से वंचित लोगों को लाभ हो।
- कुलीन वर्ग के कब्ज़े को रोकने और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

3. सामाजिक समावेशन और जागरूकता को बढ़ावा देना:

- सामाजिक समावेशन के महत्त्व और भेदभाव के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अभियान शुरू करना।
- विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने, समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम लागू करना।

4. सामाजिक-शैक्षणिक सूचकांक:

- एकाधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण, जो व्यक्तियों की जाति के अतिरिक्त उनकी सामाजिक-शैक्षिक स्थिति पर विचार करता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समूह के सबसे हाशिये पर रहने वाले लोगों को लाभ मिले।

5. लाभार्थियों का विविधीकरण:

- सकारात्मक कार्रवाई नीतियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों एवं विकलांगों जैसे अन्य हाशिये पर रहने वाले समूहों को शामिल करने से उन्हें और अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि क्रीमीलेयर मुद्दे, गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ और सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने और सभी के लिये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उनके लक्ष्य को साकार करने के लिये कार्यान्वयन को मज़बूत करने, अभिजात वर्ग के कब्ज़े को संबोधित करने एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने वाले सुधारों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

■■■

The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : भारत में क्षेत्रीय स्तर पर बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। देश में PPPs मॉडल के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सक्षम वातावरण बनाने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण

- भारत में बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण की आवश्यकता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करने में PPPs की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- PPPs मॉडल से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- भारत PPPs के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपाय बताइये।
- एक नवोन्मेषी P4 मॉडल के महत्त्व को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये

परिचय:

भारत **सकल घरेलू उत्पाद के 5%** से भी अधिक मूल्य के बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के अंतराल का सामना कर रहा है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के क्रम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी इसमें निर्णायक रूप में उभरी है।

मुख्य भाग:

बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करने में PPPs की भूमिका:

- **महत्त्वपूर्ण उद्यमों के विकास में तीव्रता आना:** PPPs से **दिल्ली हवाई अड्डे के विस्तार** जैसे महत्त्वपूर्ण उद्यमों में तेज़ी आने के साथ यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बने हुए हैं।
  - इसी तरह के सफल मॉडलों ने देश भर में **राजमार्ग कनेक्टिविटी को बढ़ाया** है, जिसका उदाहरण चेन्नई बाईपास परियोजना है।
- **तकनीकी उन्नति एवं नवाचार:** निजी क्षेत्र की दक्षता से अत्याधुनिक सुविधाएँ मिलती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **मुंबई मेट्रो परियोजना** में न्यूनतम व्यवधानों के साथ इसके त्वरित निर्माण हेतु सुरंग बनाने वाली उन्नत मशीनरी को अपनाया गया।
- **साझा जवाबदेहिता:** PPPs परियोजना से जोखिमों का समान रूप से वितरण होता है। निजी भागीदार निर्माण में होने वाली देरी के साथ बजट का प्रबंधन करते हैं, जबकि सरकार द्वारा नियामक अनिश्चितताओं का समाधान किया जाता है।
  - इस संतुलित दृष्टिकोण से **परिचालन दक्षता एवं परियोजना की गुणवत्ता को प्रोत्साहन** मिलता है।
- **परिचालन दक्षता:** निजी क्षेत्र की परिचालन विशेषज्ञता से सेवा वितरण मानकों को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि **जयपुर-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे** से पता चलता है, इससे यात्रा के समय में काफी कमी आने के साथ समग्र यात्री अनुभव तथा आर्थिक दक्षता में वृद्धि हुई।
- नवोन्वेषी वित्तपोषण: PPPs के तहत अग्रणी वित्तपोषण तंत्र की सुविधा मिलती है, जैसे कि **हैदराबाद आउटर रिंग रोड** जैसी परियोजनाओं में नियोजित टोल-आधारित राजस्व मॉडल में देखा गया।
- सतत् विकास: भारत में PPPs द्वारा अब बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सतत् प्रथाओं को एकीकृत किया जा रहा है।
  - उदाहरण के लिये गुजरात सोलर पार्क, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने एवं उसके पर्यावरण प्रबंधन की क्षमता का परिचायक है।

इन लाभों के बावजूद महत्त्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं:

- परियोजना चयन और व्यवहार्यता: लाभप्रदता पर अदूरदर्शी (Myopic) फोकस ग्रामीण सड़कों या स्कूलों जैसी सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की उपेक्षा का कारण बन सकता है। इससे क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ सकती हैं और कुछ समुदाय वंचित हो सकते हैं।
- अनुबंध जटिलता: जटिल समझौते विवादों का कारण बन सकते हैं, जैसा कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की शुरुआती निर्माण में देखा गया था।
- जोखिम आवंटन: सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच जोखिमों को निष्पक्ष रूप से साझा करना एक चुनौती है। लागत में कटौती पर अधिक ज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र पर दीर्घकालिक रखरखाव देनदारियों का बोझ डाल सकता है।
- भ्रष्टाचार के लिये प्रजनन भूमि: अपारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया और अनुबंध देने में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।

नोट :

भारत में प्रभावी PPPs कार्यान्वयन के उपाय:

- **मानकीकृत PPPs टूलकिट:** विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकृत अनुबंधों, व्यवहार्यता अध्ययन और सर्वोत्तम प्रथाओं का एक केंद्रीकृत भंडार विकसित करना।
  - यह "PPPs टूलकिट" परियोजना की शुरुआत को सुव्यवस्थित करेगा और लेन-देन की लागत को कम करेगा।
- **जोखिम रेटिंग और बीमा योजनाएँ:** PPPs परियोजनाओं के लिये एक जोखिम रेटिंग ढाँचा विकसित करना, जिससे निजी भागीदारों को अनुकूलित बीमा उत्पादों तक पहुँच प्राप्त हो सके जो विशिष्ट परियोजना जोखिमों को कम करते हैं। इससे अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **PPPs "शार्क टैंक" पिच:** ऑनलाइन "शार्क टैंक" शैली के कार्यक्रम आयोजित करना, जहाँ सरकारी एजेंसियाँ एवं निजी निवेशक प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये PPPs सौदों पर बातचीत करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिये एक साथ आते हैं।
  - यह सार्वजनिक हितों को बढ़ा सकता है, नवीन प्रस्तावों को आकर्षित कर सकता है और PPPs परियोजना के चयन के लिये अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्द्धी वातावरण को बढ़ावा दे सकता है।
- **विश्वविद्यालय-उद्योग PPPs लैब:** बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों के लिये नवीन समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त प्रयोगशालाएँ स्थापित करना।
  - यह शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाट देगा, विशेष रूप से PPPs परियोजनाओं के लिये अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
- **PPPs के लिये सामाजिक प्रभाव बॉण्ड:** ग्रामीण विद्युतीकरण या जल उपचार संयंत्रों जैसी सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण PPPs परियोजनाओं की सफलता से जुड़े सामाजिक प्रभाव बॉण्ड जारी करना।
  - निवेशकों को पूर्व-निर्धारित सामाजिक प्रभाव लक्ष्यों को प्राप्त करने, व्यापक सामाजिक लाभ वाली परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के आधार पर रिटर्न प्राप्त होगा।

निष्कर्ष:

PPP का भविष्य और भी अधिक समावेशी मॉडल में निहित हो सकता है: सार्वजनिक, निजी, जन भागीदारी (PPPP) या P4। यह ढाँचा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में नागरिक भागीदारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। नवाचार, पारदर्शिता और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत अपनी बुनियादी ढाँचा क्रांति को बढ़ावा देने तथा सभी के लिये अधिक समृद्ध एवं न्यायसंगत भविष्य का निर्माण करने के लिये PPP व PPP की वास्तविक क्षमता के लिये नए मार्ग प्रदान कर सकता है।

प्रश्न : भारत में कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस संबंध में किसानों को सशक्त बनाने के क्रम में सरकार द्वारा की गई विभिन्न ई-पहलों पर विस्तार से प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- कृषि क्षेत्र के महत्त्व और ई-प्रौद्योगिकी के दोहन की आवश्यकता का परिचय लिखिये।
- कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- किसानों को सशक्त बनाने के लिये सरकार की ई-पहलों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ऐसे देश में जहाँ कृषि क्षेत्र आधे से अधिक कार्यबल को रोज़गार देता है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15-17% का योगदान देता है, इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को जानने के लिये ई-प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों (ICT) का लाभ उठाकर, सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बाज़ार पहुँच में सुधार और किसानों की आजीविका को समृद्ध करने के उद्देश्य से कई ई-पहलों को संचलित कर रही है।

मुख्य भाग:

कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- **सटीक खेती:** ई-प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग, जीपीएस-आधारित मृदा मानचित्रण और परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी (Variable Rate Technology) जैसी सटीक कृषि तकनीकों को सक्षम बनाती है, जो संसाधन उपयोग को अनुकूलित करती है, अपशिष्ट को कम करती है और उत्पादकता बढ़ाती है।
  - रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि-आईओटी (Ag-IoT) का उपयोग सटीक खेती के साथ जल के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
- **मौसम और जलवायु के वास्तविक समय की जानकारी:** किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान, जलवायु डेटा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तक पहुँच सकते हैं, जिससे बेहतर योजना एवं निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

नोट :

- AccuWeather, MAUSAM (IMD द्वारा विकसित) जैसे ऐप मौसम की सहज और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल पहुँच प्रदान करते हैं। इसके अनुसार उपयोगकर्त्ता मौसम, पूर्वानुमान, रडार छवियों तक पहुँच सकते हैं और आसन्न मौसमी घटनाओं की सक्रियता से सतर्क रह सकते हैं।

- **बाज़ार आसूचना:** ई-प्लेटफॉर्म किसानों को बाज़ार की कीमतों, मांग के रुझान और आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने तथा अपनी उपज के लिये बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सशक्त बनाया जाता है।

- **कृषि विशेषज्ञता तक पहुँच:** ई-प्रौद्योगिकी ऑनलाइन मंचों, वीडियो ट्यूटोरियल और आभासी सलाहकार सेवाओं के माध्यम से कृषि ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसानों तथा विशेषज्ञों के बीच अंतर कम होता है।
  - एम किसान, किसान सुविधा आदि जैसे- पोर्टल/ऐप उर्वरक, सब्सिडी, मौसम और बाज़ार कीमतों जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। वे किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में कृषि कार्यों का प्रबंधन करने में भी सहायक हो सकते हैं।

- **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** डिजिटल समाधान कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करते हैं, कुशल ट्रैकिंग, ट्रेसबिलिटी और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को सक्षम करते हैं, अपशिष्ट को कम करते हैं तथा उपज की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं।
  - IIT रोपड़ ने एम्बिटैग नामक एक IoT उपकरण विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, शरीर के अंगों और रक्त, टीकों आदि के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है।
    - एम्बिटैग तापमान डेटा लॉग उपयोगकर्त्ता को सलाह देता है, कि परिवहन की गई वस्तु उपयोग योग्य है या परिवहन के दौरान कोल्ड चेन से समझौता किया गया है।

- **वित्तीय समावेशन:** मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी ई-प्रौद्योगिकियों ने किसानों के लिये वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्हें ऋण, बीमा और सरकारी सब्सिडी तक आसान पहुँच प्रदान की गई है।
  - क्लिक्स कैपिटल जैसी कुछ एनबीएफसी अपने निजी या अर्द्ध-सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों और कृषि-तकनीकी स्टार्ट-अप को शामिल करके अनुकूलित ऋण उत्पाद पेश करती हैं।

किसानों को सशक्त बनाने के लिये सरकारी ई-पहल:

- **डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):** इसका उद्देश्य किसानों के लिये पारदर्शी और कुशल भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण करना है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: यह किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है जिसमें मृदा की पोषक स्थिति और अनुशंसित उर्वरक खुराक शामिल है, जिससे बेहतर मृदा प्रबंधन एवं उत्पादकता संभव हो पाती है।
- ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM): एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो किसानों को देश भर के खरीदारों से जोड़ता है, बेहतर मूल्य खोज (Price Discovery) को सक्षम बनाता है और बिचौलियों को कम करता है।
- किसान सुविधा मोबाइल ऐप: यह किसानों को मौसम, बाज़ार मूल्य, पौधों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं सहित अन्य जानकारी प्रदान करता है।
- कृषि-उड़ान: होनहार नवप्रवर्तकों को संस्थागत निवेशकों से जोड़कर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने की एक पहल।
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A): सूचना प्रसार, इनपुट प्रबंधन और बाज़ार लिंकेज सहित किसानों को शुरू से अंत तक डिजिटलीकृत सेवाएँ प्रदान करना।

सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिये विभिन्न ई-पहल शुरू की हैं, फिर भी डिजिटल विभाजन को खत्म करने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने और कृषि क्षेत्र में ई-प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिकतम करने के लिये अंतिम-मील तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं कृषि-तकनीक स्टार्टअप के साथ सहयोग ई-प्रौद्योगिकी को अपनाने में और तेज़ी ला सकता है, भारतीय कृषि में परिवर्तन ला सकता है।

प्रश्न : भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर की अस्थिरता के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनिमय दरों को प्रबंधित करने के लिये क्या उपाय अपनाए जाते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- विनिमय दर अस्थिरता की अवधारणा का परिचय लिखिये।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर अस्थिरता के प्रभाव का उल्लेख कीजिये।
- विनिमय दरों को प्रबंधित करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उपायों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

विनिमय दर वह दर है, जिस पर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा से विनिमय होता है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का आशय किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं की तुलना में महत्त्वपूर्ण और निरंतर उतार-चढ़ाव होना है। भारत के लिये इसका अर्थ अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं के सामने रुपए के मूल्य में तीव्र बदलाव से है। विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का व्यापार, निवेश और समग्र आर्थिक स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण बहुआयामी प्रभाव पड़ सकता है।

मुख्य भाग:

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर की अस्थिरता का प्रभाव:

- **निर्यात और आयात की अलग-अलग लागत:**
  - रुपए में गिरावट वैश्विक बाज़ार में भारतीय निर्यात को सस्ता बना सकती है, जिससे निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि यह एक साथ आयात की लागत को बढ़ाता है, जिससे घरेलू स्तर पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है।
  - इसके विपरीत, रुपए में वृद्धि का विपरीत प्रभाव हो सकता है, जिससे निर्यात में कमी आती है जबकि आयात सस्ता होता है।
- **अनिश्चित विदेशी निवेश:**
  - अस्थिर विनिमय दरें विदेशी निवेशकों के लिये अनिश्चितता लाती हैं, जिससे संभावित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो निवेश हतोत्साहित होते हैं।
  - यह घरेलू व्यवसायों और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण विदेशी पूंजी तक पहुँच को सीमित कर सकता है।
- **बाहरी ऋण बोझ:**
  - भारत का वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक ऋण-से-GDP अनुपात 81% है।
  - बाहरी ऋण का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं में दर्शाया जाता है।
  - रुपए में गिरावट से ऋण के भार में वृद्धि होती है, जिससे सरकारी वित्त पर दबाव पड़ता है।
- **सट्टा विनिमय दर :**
  - उच्च अस्थिरता विदेशी मुद्रा बाज़ार में सट्टा गतिविधि को आकर्षित कर सकती है।
  - सट्टेबाज़ विनिमय दर में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं, जिससे बाज़ार में अस्थिरता बढ़ सकती है तथा उत्पन्न हो सकती है।

विनिमय दर प्रबंधन के लिये RBI के उपकरण:

- **बाज़ार में हस्तक्षेप:**
  - RBI डॉलर या अन्य प्रमुख मुद्राओं को खरीदकर या बेचकर विदेशी मुद्रा बाज़ार में सीधे हस्तक्षेप कर सकता है।
    - **डॉलर बेचना:** जब रुपया अत्यधिक मूल्यह्रास कर रहा हो, तो RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेच सकता है। इससे बाज़ार में रुपए की वृद्धि होती है, जिससे रुपए की आपूर्ति बढ़ती है और मूल्यह्रास को रोका जा सकता है।
    - **डॉलर खरीदना:** इसके विपरीत, यदि रुपया बहुत तेज़ी से मूल्यह्रास कर रहा हो, तो RBI बाज़ार से डॉलर खरीद सकता है। इससे रुपए की आपूर्ति कम हो जाती है और मूल्यह्रास को धीमा करने में मदद मिल सकती है।
- **ब्याज दर समायोजन:**
  - RBI की मौद्रिक नीति रेपो दरों को समायोजित करने का उपकरण विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करके अप्रत्यक्ष रूप से विनिमय दर को प्रभावित कर सकता है।
    - **उच्च रेपो दरें:** रेपो दरों को बढ़ाकर, RBI विदेशी निवेशकों के लिये भारत में उधार लेना अधिक आकर्षक बनाता है। इससे विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है, जिससे रुपए में मूल्यह्रास हो सकता है।
    - **न्यूनतम रेपो दरें:** इसके विपरीत, रेपो दरों को कम करने से विदेशी निवेशकों के लिये भारत में ऋण लेना कम आकर्षक हो सकता है, जिससे संभावित रूप से पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है और रुपए का मूल्यह्रास हो सकता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार:** विदेशी मुद्रा भंडार, मार्च 2024 के अंत तक 646.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह भंडार विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिये बफर के रूप में कार्य करता है।
  - **स्थिरीकरण:** उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान, RBI अपने भंडार का उपयोग बाज़ार में रुपए खरीदने के लिये कर सकता है जब यह अत्यधिक मूल्यह्रास करता है, या अत्यधिक तेज़ मूल्यवृद्धि को रोकने के लिये रुपए बेच सकता है।
  - उदाहरण के लिये : बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS) का उपयोग RBI द्वारा बॉण्ड और प्रतिभूतियों के जारी करने के माध्यम से बाज़ार से अतिरिक्त तरलता निकालने के लिये किया जाता है।

नोट :

निष्कर्ष:

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। बाज़ार में हस्तक्षेप, ब्याज दर समायोजन तथा विदेशी मुद्रा भंडार के उपयोग के माध्यम से RBI का सक्रिय प्रबंधन नकारात्मक प्रभावों को कम करने एवं स्थिर विनिमय दर वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे आर्थिक वृद्धि व विकास को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिये एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है और RBI की प्रभावशीलता इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे विभिन्न बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।

प्रश्न : देश के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के तहत भारत के पशुधन क्षेत्र के बहुमुखी आर्थिक योगदान का परीक्षण कीजिये। इसके साथ ही भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकार की पहलों का भी उल्लेख कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के पशुधन क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण योगदान का परिचय लिखिये।
- देश की गरीबी, आय आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के भीतर भारत के पशुधन क्षेत्र के बहुआयामी आर्थिक योगदान का विश्लेषण कीजिये।
- भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत का पशुधन क्षेत्र, जिसमें मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी जैसे पशु शामिल हैं, ग्रामीण आजीविका की रीढ़ है तथा देश के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में पशुधन की विशाल आबादी है, जिसकी मात्रा लगभग 535.78 मिलियन है, जो पशुधन जनगणना वर्ष 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

भारत के पशुधन क्षेत्र का बहुमुखी योगदान:

- **सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार:**
  - पशुधन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) में पशुधन का योगदान 24.38 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 30.19 प्रतिशत (2021-22) हो गया है।
  - यह क्षेत्र लाखों छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों के लिये आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है, जहाँ पशुधन पालन प्राय: आय का प्राथमिक स्रोत होता है।
- **पोषण सुरक्षा:**
  - पशुधन आवश्यक प्रोटीन, दूध और अंडे प्रदान करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि वर्ष 2022 में विश्व औसत 322 ग्राम प्रतिदिन है (खाद्य आउटलुक जून 2023)।
  - यह आहार विविधता, बाल विकास और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **आय सृजन और महिला सशक्तीकरण:**
  - पशुधन पालन, विशेष रूप से मुर्गी और बकरी जैसे छोटे जानवरों के पालन के लिये न्यूनतम भूमि तथा निवेश की आवश्यकता होती है, जो इसे सीमांत किसानों एवं महिलाओं के लिये आदर्श बनाता है।
  - दूध की बिक्री के माध्यम से आय सृजन महिलाओं को सशक्त बनाता है, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और घरेलू कल्याण में योगदान देता है।
- **मूल्यवान उपोत्पाद और स्थिरता:**
  - पशुधन खाद्य जैसे मूल्यवान उपोत्पाद प्रदान करता है, जो एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो सतत् कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
  - गोबर से उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल:

- **नस्ल सुधार और अवसंरचना विकास:**
  - **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):**
    - यह स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण पर केंद्रित है। यह बेहतर प्रजनन प्रथाओं के लिये कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन तकनीक तथा DNA-आधारित जीनोमिक चयन को बढ़ावा देता है।
    - इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य बेहतर जानकारी के लिये पशुधन की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने से है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):**
  - इसका उद्देश्य कोल्ड चेन अवसंरचना का निर्माण करके और प्रसंस्करण सुविधाओं को मज़बूत करके दुग्ध की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

नोट :

- यह अवसंरचना उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करके डेयरी सहकारी समितियों का समर्थन करता है।

- **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF):**
  - यह डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्द्धन इकाइयों की स्थापना, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद वैविध्यकरण को बढ़ावा देने के लिये ऋण एवं ब्याज अनुदान प्रदान करता है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):**
  - यह डेयरी, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्रों और मवेशियों, भैंसों, भेड़, बकरियों तथा सूअरों के लिये नस्ल सुधार अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाना:**
  - **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):**
    - इसका उद्देश्य पोल्ट्री फॉर्म, भेड़ और बकरी प्रजनन इकाइयाँ, सूअर पालन तथा चारा सुविधाएँ स्थापित करने के लिये प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करना है।
    - यह उद्यमिता, रोज़गार सृजन और मांस, अंडे एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देता है।
  - **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH&DC) कार्यक्रम:**
    - यह टीकाकरण अभियानों के माध्यम से पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहचान के लिये पशुओं के कान पर टैग लगाता है तथा टीकाकरण कवरेज को ट्रैक करता है।
  - **डेयरी किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):**
    - यह सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को खेत सुधार तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिये ऋण तक पहुँच प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

भारत का पशुधन क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुआयामी भूमिका निभाता है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी सरकारी पहलों को लागू करके, यह क्षेत्र लाखों भारतीयों के लिये आजीविका सुरक्षा, पोषण सुरक्षा तथा आर्थिक विकास का स्रोत बना रह सकता है।

प्रश्न : देश के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के तहत भारत के पशुधन क्षेत्र के बहुमुखी आर्थिक योगदान का परीक्षण कीजिये। इसके साथ ही भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकार की पहलों का भी उल्लेख कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के पशुधन क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण योगदान का परिचय लिखिये।
- देश की गरीबी, आय आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के भीतर भारत के पशुधन क्षेत्र के बहुआयामी आर्थिक योगदान का विश्लेषण कीजिये।
- भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत का पशुधन क्षेत्र, जिसमें मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी जैसे पशु शामिल हैं, ग्रामीण आजीविका की रीढ़ है तथा देश के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में पशुधन की विशाल आबादी है, जिसकी मात्रा लगभग 535.78 मिलियन है, जो पशुधन जनगणना वर्ष 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

भारत के पशुधन क्षेत्र का बहुमुखी योगदान:

- **सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार:**
  - पशुधन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) में पशुधन का योगदान 24.38 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 30.19 प्रतिशत (2021-22) हो गया है।
  - यह क्षेत्र लाखों छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों के लिये आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है, जहाँ पशुधन पालन प्राय: आय का प्राथमिक स्रोत होता है।
- **पोषण सुरक्षा:**
  - पशुधन आवश्यक प्रोटीन, दूध और अंडे प्रदान करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि वर्ष 2022 में विश्व औसत 322 ग्राम प्रतिदिन है (खाद्य आउटलुक जून 2023)।
  - यह आहार विविधता, बाल विकास और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- **आय सृजन और महिला सशक्तीकरण:**
  - पशुधन पालन, विशेष रूप से मुर्गी और बकरी जैसे छोटे जानवरों के पालन के लिये न्यूनतम भूमि तथा निवेश की आवश्यकता होती है, जो इसे सीमांत किसानों एवं महिलाओं के लिये आदर्श बनाता है।
  - दूध की बिक्री के माध्यम से आय सृजन महिलाओं को सशक्त बनाता है, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और घरेलू कल्याण में योगदान देता है।
- **मूल्यवान उपोत्पाद और स्थिरता:**
  - पशुधन खाद्य जैसे मूल्यवान उपोत्पाद प्रदान करता है, जो एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो सतत् कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
  - गोबर से उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल:

- **नस्ल सुधार और अवसंरचना विकास:**
  - **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):**
    - यह स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण पर केंद्रित है। यह बेहतर प्रजनन प्रथाओं के लिये कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन तकनीक तथा DNA-आधारित जीनोमिक चयन को बढ़ावा देता है।
    - इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य बेहतर जानकारी के लिये पशुधन की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने से है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):**
  - इसका उद्देश्य कोल्ड चेन अवसंरचना का निर्माण करके और प्रसंस्करण सुविधाओं को मज़बूत करके दुग्ध की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
  - यह अवसंरचना उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करके डेयरी सहकारी समितियों का समर्थन करता है।
- **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF):**
  - यह डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्द्धन इकाइयों की स्थापना, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद वैविध्यकरण को बढ़ावा देने के लिये ऋण एवं ब्याज अनुदान प्रदान करता है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):**
  - यह डेयरी, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्रों और मवेशियों, भैंसों, भेड़, बकरियों तथा सूअरों के लिये नस्ल सुधार अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाना:**
  - **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):**
    - इसका उद्देश्य पोल्ट्री फॉर्म, भेड़ और बकरी प्रजनन इकाइयाँ, सूअर पालन तथा चारा सुविधाएँ स्थापित करने के लिये प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करना है।
    - यह उद्यमिता, रोज़गार सृजन और मांस, अंडे एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देता है।
  - **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH&DC) कार्यक्रम:**
    - यह टीकाकरण अभियानों के माध्यम से पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहचान के लिये पशुओं के कान पर टैग लगाता है तथा टीकाकरण कवरेज को ट्रैक करता है।
  - **डेयरी किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):**
    - यह सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को खेत सुधार तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिये ऋण तक पहुँच प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

भारत का पशुधन क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुआयामी भूमिका निभाता है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी सरकारी पहलों को लागू करके, यह क्षेत्र लाखों भारतीयों के लिये आजीविका सुरक्षा, पोषण सुरक्षा तथा आर्थिक विकास का स्रोत बना रह सकता है।

प्रश्न : सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) की अवधारणा गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में एक संभावित उपकरण के रूप में लोकप्रिय हो रही है। भारत में UBI को लागू करने से संबंधित संभावित आर्थिक प्रभावों एवं चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- UBI की अवधारणा का परिचय लिखिये।
- इसके संभावित आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालिये।
- इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों पर गहराई से विचार कीजिये।
- UBI को लागू करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

यूनिवर्सल बेसिक इनकम/सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) एक सामाजिक कल्याण अवधारणा है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को सरकार से नियमित, बिना शर्त नकद भुगतान मिलता है, चाहे उनकी रोज़गार स्थिति या आय कुछ भी हो।

- भारत, अपनी बड़ी आबादी और महत्त्वपूर्ण गरीबी के साथ, UBI की खोज के लिये एक आकर्षक मामला (Compelling Case) प्रस्तुत करता है।

मुख्य भाग:

संभावित आर्थिक प्रभाव:

- **गरीबी उन्मूलन:** UBI लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालकर बुनियादी आय का आधार प्रदान कर सकता है। (वर्ष 2024 में लगभग 3.44 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं।)
  - यह आय असमानता को दूर करने में मदद कर सकती है, जो अभी भी भारत में उच्च बनी हुई है। (हालाँकि कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा कुल आबादी के शीर्ष 10% के पास है।)
- **आर्थिक प्रोत्साहन और खपत:** UBI प्रयोज्य आय (Disposable Income) को बढ़ा सकता है और घरेलू खपत को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा (निजी अंतिम उपभोग व्यय भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% है।)
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे कृषि और फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।
- **मानव पूंजी विकास:** UBI शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण तक पहुँच में सुधार कर सकता है, जिससे लंबे समय में मानव पूंजी तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसे सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों ने शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।
- **उद्यमिता को बढ़ावा:** UBI वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्ति उद्यमशीलता के जोखिम उठा सकते हैं और नवीन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
  - इससे नवाचार, रोज़गार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:** UBI महिलाओं को घर के भीतर वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करके उन्हें सशक्त बना सकता है।
  - इससे महिलाओं और बच्चों के लिये बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

UBI के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ:

- **राजकोषीय बोझ:** एक व्यापक UBI कार्यक्रम को लागू करने के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे सरकारी वित्त पर दबाव पड़ेगा।
  - वर्ष 2023-24 के लिये सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% होने का अनुमान है, जो बड़े पैमाने पर UBI कार्यक्रम हेतु राजकोषीय स्थान को सीमित करता है।
- **कार्यान्वयन और वितरण संबंधी चुनौतियाँ:** लक्षित लाभार्थियों की पहचान करना और उन तक पहुँचना, विशेष रूप से दूरदराज़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण तार्किक चुनौती हो सकती है।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी मौजूदा योजनाओं को कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसे UBI कार्यक्रम के साथ बढ़ाया जा सकता है।
- **मुद्रास्फीति का दबाव:** UBI के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में नकदी के आवागमन से संभावित रूप से अति-मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आय हस्तांतरण की क्रय शक्ति कम हो सकती है।
- **काम करने के लिये हतोत्साहित करना:** एक चिंता यह है कि UBI लोगों को काम करने से हतोत्साहित कर सकता है, मूलत: कम वेतन वाली नौकरियों के संबंध में। यह संभावित रूप से श्रम बल की भागीदारी को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे श्रम बाज़ार में विकृतियाँ और आर्थिक उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
  - पहले ही भारत की 20% से भी कम महिलाएँ वेतन वाली नौकरियों में संलग्न हैं।
- **राजनीतिक और सामाजिक विचार:** UBI को लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति और सार्वजनिक समर्थन की आवश्यकता होगी क्योंकि इसे विभिन्न हितधारकों एवं वैचारिक दृष्टिकोणों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
  - कार्यक्रम की स्थिरता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, मूलत: भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं आबादी वाले देश में।

नोट :

इसलिये भारत में UBI को लागू करने के लिये निम्नलिखित बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है:

- दिल्ली और मध्यप्रदेश की तरह पायलट अध्ययन करना तथा व्यवहार्यता, चुनौतियों एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिये कठोर प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- राजकोषीय समेकन उपाय करना और UBI के लिये राजकोषीय स्थान के निर्माण हेतु वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की खोज करना।
- UBI की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे में पूरक नीतियों एवं सुधारों को लागू करना।
- गरीबी और असमानता को दूर करने के लिये सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं, नकारात्मक आयकर या सशर्त नकद हस्तांतरण जैसे वैकल्पिक विधियों की खोज करना।

निष्कर्ष:

UBI एक नीतिगत पहल के रूप में काफी आशाजनक है, फिर भी इसका सफल कार्यान्वयन सावधानीपूर्वक नियोजन और भारत के विशिष्ट आर्थिक परिदृश्य की गहन समझ पर निर्भर करता है, ताकि इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिये सतत् एवं न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित हो सकें।

प्रश्न : सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) की अवधारणा गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में एक संभावित उपकरण के रूप में लोकप्रिय हो रही है। भारत में UBI को लागू करने से संबंधित संभावित आर्थिक प्रभावों एवं चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- UBI की अवधारणा का परिचय लिखिये।
- इसके संभावित आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालिये।
- इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों पर गहराई से विचार कीजिये।
- UBI को लागू करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यूनिवर्सल बेसिक इनकम/सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) एक सामाजिक कल्याण अवधारणा है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को सरकार से नियमित, बिना शर्त नकद भुगतान मिलता है, चाहे उनकी रोज़गार स्थिति या आय कुछ भी हो।

- भारत, अपनी बड़ी आबादी और महत्त्वपूर्ण गरीबी के साथ, UBI की खोज के लिये एक आकर्षक मामला (Compelling Case) प्रस्तुत करता है।

मुख्य भाग:

संभावित आर्थिक प्रभाव:

- **गरीबी उन्मूलन:** UBI लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालकर बुनियादी आय का आधार प्रदान कर सकता है। (वर्ष 2024 में लगभग 3.44 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं।)
  - यह आय असमानता को दूर करने में मदद कर सकती है, जो अभी भी भारत में उच्च बनी हुई है। (हालाँकि कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा कुल आबादी के शीर्ष 10% के पास है।)
- **आर्थिक प्रोत्साहन और खपत:** UBI प्रयोज्य आय (Disposable Income) को बढ़ा सकता है और घरेलू खपत को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा (निजी अंतिम उपभोग व्यय भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% है।)
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे कृषि और फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।
- **मानव पूंजी विकास:** UBI शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण तक पहुँच में सुधार कर सकता है, जिससे लंबे समय में मानव पूंजी तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसे सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों ने शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।
- **उद्यमिता को बढ़ावा:** UBI वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्ति उद्यमशीलता के जोखिम उठा सकते हैं और नवीन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
  - इससे नवाचार, रोज़गार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:** UBI महिलाओं को घर के भीतर वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करके उन्हें सशक्त बना सकता है।
  - इससे महिलाओं और बच्चों के लिये बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

UBI के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ:

- **राजकोषीय बोझ:** एक व्यापक UBI कार्यक्रम को लागू करने के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे सरकारी वित्त पर दबाव पड़ेगा।
  - वर्ष 2023-24 के लिये सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% होने का अनुमान है, जो बड़े पैमाने पर UBI कार्यक्रम हेतु राजकोषीय स्थान को सीमित करता है।
- **कार्यान्वयन और वितरण संबंधी चुनौतियाँ:** लक्षित लाभार्थियों की पहचान करना और उन तक पहुँचना, विशेष रूप से दूरदराज़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण तार्किक चुनौती हो सकती है।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी मौजूदा योजनाओं को कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसे UBI कार्यक्रम के साथ बढ़ाया जा सकता है।
- **मुद्रास्फीति का दबाव:** UBI के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में नकदी के आवागमन से संभावित रूप से अति-मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आय हस्तांतरण की क्रय शक्ति कम हो सकती है।
- **काम करने के लिये हतोत्साहित करना:** एक चिंता यह है कि UBI लोगों को काम करने से हतोत्साहित कर सकता है, मूलत: कम वेतन वाली नौकरियों के संबंध में। यह संभावित रूप से श्रम बल की भागीदारी को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे श्रम बाज़ार में विकृतियाँ और आर्थिक उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
  - पहले ही भारत की 20% से भी कम महिलाएँ वेतन वाली नौकरियों में संलग्न हैं।
- **राजनीतिक और सामाजिक विचार:** UBI को लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति और सार्वजनिक समर्थन की आवश्यकता होगी क्योंकि इसे विभिन्न हितधारकों एवं वैचारिक दृष्टिकोणों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
  - कार्यक्रम की स्थिरता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, मूलत: भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं आबादी वाले देश में।

इसलिये भारत में UBI को लागू करने के लिये निम्नलिखित बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है:

- दिल्ली और मध्यप्रदेश की तरह पायलट अध्ययन करना तथा व्यवहार्यता, चुनौतियों एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिये कठोर प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- राजकोषीय समेकन उपाय करना और UBI के लिये राजकोषीय स्थान के निर्माण हेतु वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की खोज करना।
- UBI की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे में पूरक नीतियों एवं सुधारों को लागू करना।
- गरीबी और असमानता को दूर करने के लिये सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं, नकारात्मक आयकर या सशर्त नकद हस्तांतरण जैसे वैकल्पिक विधियों की खोज करना।

निष्कर्ष:

UBI एक नीतिगत पहल के रूप में काफी आशाजनक है, फिर भी इसका सफल कार्यान्वयन सावधानीपूर्वक नियोजन और भारत के विशिष्ट आर्थिक परिदृश्य की गहन समझ पर निर्भर करता है, ताकि इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिये सतत् एवं न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित हो सकें।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : भारत के कुछ क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के बने रहने के पीछे के प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिये। इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक रणनीतिक उपाय बताइये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) की स्थिति को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- इसके बने रहने के पीछे के कारकों का उल्लेख कीजिये।
- वामपंथी उग्रवाद के समाधान हेतु वर्तमान रणनीतियों को परिभाषित कीजिये।
- वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये रणनीतिक उपाय सुझाइये।
- समाधान सिद्धांत के साथ समापन कीजिये।

परिचय:

वामपंथी उग्रवाद, जिसे आमतौर पर **नक्सली आंदोलन** के रूप में जाना जाता है, भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। जबकि 2010 से 2022 तक वामपंथी चरमपंथी हिंसा की रिपोर्ट करने वाले **ज़िलों में 53% की गिरावट आई** है, लेकिन मध्य और पूर्वी भारत के वंचित एवं आदिवासी क्षेत्र में आर्थिक रूप से यह अभी भी कायम है।

नोट :

मुख्य भाग:

वामपंथी उग्रवाद के बने रहने के पीछे के कारक:

- **सामाजिक-आर्थिक असमानता:** स्थानिक गरीबी और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, माओवादियों के लिये बुनियाद का निर्माण करती है।
  - इसके अलावा, जैसा कि डी बंदोपाध्याय समिति के अनुसार, विकास नीतियों में सामाजिक अन्याय और भेदभाव को प्राय: नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
  - ये असमानताएँ उन आंदोलनों को जन्म देती हैं, जो दलित और आदिवासी शिकायतों को वामपंथी विचारधारा के साथ जोड़ देते हैं।
- **संसाधनों का बेदखली और अधूरे वादे:** खनन परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण भूमि का हस्तांतरण प्राय: वामपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
  - इसका ताज़ा उदाहरण ओडिशा की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नियमगिरि पहाड़ियों में खनन परियोजना है।
- **शासन में कमी और कमज़ोर शिकायत निवारण तंत्र:** दूरदराज़ के इलाकों में राज्य की कमज़ोर उपस्थिति माओवादियों को एक समानांतर प्रशासन स्थापित करने और सरकारी संस्थानों में विश्वास की कमी का फायदा उठाने की अनुमति देती है।
  - उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ में CRPF गश्ती दल पर माओवादी हमले की हालिया घटना में क्षेत्र की सुदूरता और सीमित सुरक्षा उपस्थिति को योगदान कारकों के रूप में उद्धृत किया गया था।
- **सीमा पार से घुसपैठ और समर्थन जाल:** भारत में सक्रिय वामपंथी उग्रवादी समूहों को कभी-कभी पड़ोसी देशों के साथ खुली सीमाओं के पार समर्थन और सुरक्षित पनाहगाह मिलते हैं।
  - कथित तौर पर भारत में ऐसी गतिविधियों में शामिल एक शीर्ष माओवादी नेता की नेपाल में गिरफ्तारी इस मुद्दे को उजागर करती है।

वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने वाली वर्तमान रणनीतियाँ:

- **समावेशी विकास और सशक्तीकरण:** वन अधिकार, पेसा और मनरेगा जैसी योजनाएँ हाशिये पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाती हैं, मूल कारणों को संबोधित करती हैं तथा वामपंथी उग्रवाद के प्रति संवेदनशीलता को कम करती हैं।
- **बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा लोगों की बाज़ारों एवं सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में अलगाव को कम करने के साथ उग्रवाद को कम करने में भूमिका निभाई जा रही है।
- **शिक्षा और कौशल:** एकलव्य मॉडल स्कूल और कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रम चरमपंथी विचारधाराओं के लिये समर्थन को कम करते हुए विकल्प प्रदान करते हैं।
- **जनजातीय और ग्रामीण विकास मॉडल:** झारखंड वैकल्पिक विकास पहल, केरल कुदुंबश्री कार्यक्रम, तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिये आंध्रप्रदेश सोसायटी जैसी पहल विकास के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिये प्रभावी रणनीतियों का प्रदर्शन करती हैं।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये रणनीतिक उपाय:

- **तकनीक-संचालित इंटेलिजेंस:** नक्सली गतिविधियों पर नज़र रखने और ट्रैक करने, खुफिया जानकारी एकत्रित करने एवं लक्षित अभियानों की योजना बनाने के लिये उन्नत तकनीकों तथा डेटा एनालिटिक्स को नियोजित करना।
  - इसके अतिरिक्त, प्रति-कथा अभियानों (Counter-Narrative Campaign) के लिये सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से नक्सली प्रचार एवं वैचारिक विचारधारा का सामना करने में सहायता मिल सकती है।
- **फास्ट-ट्रैक विकास निगम:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिये समर्पित विकास निगम या प्राधिकरण स्थापित करना, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है।
  - इन निगमों के पास विकास पहलों का त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विशेष शक्तियाँ एवं संसाधन हो सकते हैं।
- **कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र स्थापित करना, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय स्थापना में सहायता तथा बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करना शामिल है।
  - यह युवाओं को सशक्त बना सकता है, वैकल्पिक आजीविका के अवसर उत्पन्न कर सकता है और नक्सली विचारधारा को कम कर सकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करना, विकास, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये निजी क्षेत्र के संसाधनों एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
- इससे इन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी पहल को भी बढ़ावा मिल सकता है।

नोट :

- **मनोवैज्ञानिक संचालन:** नक्सली विचारधारा को कमज़ोर करने, भर्ती प्रयासों को बाधित करने और आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिये लक्षित संदेश, प्रचार एवं प्रभावित करने वाली रणनीति का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक संचालन (PsyOps) को आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में एकीकृत करना।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** नेपाल, भूटान और म्याँमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, जहाँ नक्सली सुरक्षित पनाहगाह या पारगमन मार्ग तलाश सकते हैं। समन्वित खुफिया जानकारी साझा करना, जो संयुक्त अभियान और सीमा प्रबंधन उनकी गतिविधियों को बाधित करने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना** के साथ संरेखित **समाधान सिद्धांत** वामपंथी उग्रवाद के लगातार खतरे का प्रभावी ढंग से सामना करने एवं कमज़ोर क्षेत्रों में स्थायी शांति तथा विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।

प्रश्न : रैनसमवेयर हमले एवं साइबर जासूसी जैसे मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरे हैं। भारत के समक्ष उत्पन्न साइबर खतरों की उभरती प्रकृति पर चर्चा करते हुए साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने हेतु संभावित समाधान बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- रैनसमवेयर और साइबर जासूसी को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।
- भारत के समक्ष आने वाले साइबर खतरों की उभरती प्रकृति बताइये।
- साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिये संभावित समाधान सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

रैनसमवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो पीड़ितों के डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और एक्सेस बहाल करने के लिये भुगतान की मांग करता है। साइबर जासूसी में प्राय: राज्य प्रायोजित अभिकर्त्ताओं द्वारा आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य लाभ के लिये संवेदनशील जानकारी की अनधिकृत पहुँच और चोरी शामिल होती है।

- वे वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर संकट हैं, भारत कई अन्य देशों की तरह इन उभरते साइबर खतरों से जूझ रहा है।

मुख्य भाग:

भारत के समक्ष साइबर खतरों की बदलती प्रकृति:

- **बढ़ते रैनसमवेयर हमले:** भारत में रैनसमवेयर हमलों में वृद्धि देखी गई है।
  - **उदाहरण:** दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पर वर्ष 2022 का रैनसमवेयर हमला।
- **साइबर जासूसी और डेटा उल्लंघन:** राज्य प्रायोजित समूहों सहित परिष्कृत साइबर अभिकर्त्ता भारत के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और संवेदनशील डेटा को लक्षित कर रहे हैं।
  - **उदाहरण:** कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में डेटा उल्लंघन।
- **डीपफेक और एआई-संचालित हमले:** भारत डीपफेक, एआई-संचालित सोशल इंजीनियरिंग और स्वायत्त साइबर हथियारों जैसे उभरते साइबर खतरों से जोखिम का सामना कर रहा है।
  - **उदाहरण:** चुनावों के दौरान गलत सूचना फैलाने वाले भारतीय राजनीतिक नेताओं के डीपफेक वीडियो।
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स और परिचालन प्रौद्योगिकी जोखिम:** IoT उपकरणों का प्रसार और औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में IT एवं OT प्रणालियों का अभिसरण नए हमले के आधार का निर्माण करता है।
  - स्मार्ट शहरों या औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में उपयोग किये जाने वाले IoT उपकरणों की कमज़ोरियों का उपयोग विघटनकारी हमलों के लिये किया जा सकता है।
- **डोक्सिंग और हैक्टिविज्म:** भारतीय संस्थाओं को वैचारिक या राजनीतिक प्रेरणाओं के लिये डोक्सिंग (संवेदनशील जानकारी लीक करना) में लगे हैक्टिविस्ट समूहों और व्यक्तियों से जोखिम का सामना करना पड़ता है।
  - हैक्टिविस्ट (Hacktivist) समूहों ने हाल ही में भारतीय वायु सेना पर मैलवेयर फंसाने की कोशिश की।

साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संभावित समाधान:

- **साइबर रक्षा क्षमताओं में निवेश:** उन्नत खतरे का पता लगाने और उसे कम करने वाली तकनीकों में निवेश करके भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना।
  - विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एक कुशल साइबर सुरक्षा कार्यबल विकसित करना।
- **सुरक्षित सॉफ्टवेयर विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना:** सॉफ्टवेयर और सिस्टम में कमज़ोरियों को दूर करने के लिये सुरक्षित सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र (SDLC) प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
  - सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं तथा भेद्यता प्रकटीकरण कार्यक्रमों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

नोट :

- **साइबर सुरक्षा सैंडबॉक्स और डिसेप्शन ग्रिड:** उन्नत साइबर खतरों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिये सैंडबॉक्स तथा डिसेप्शन ग्रिड को पृथक वातावरण में लुभाकर एवं नियंत्रित करके लागू करना।
  - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) भारतीय बुनियादी ढाँचे को लक्षित करने वाले खतरे वाले अभिकर्त्ताओं की रणनीति को आकर्षित करने और उनका अध्ययन करने के लिये एक हनीपोट नेटवर्क का निर्माण कर सकता है।
- **बग बाउंटी कार्यक्रम:** भारतीय सरकार अपने ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के लिये बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू कर सकती है, ताकि एथिकल हैकर्स और सुरक्षा शोधकर्त्ताओं को महत्त्वपूर्ण सिस्टम एवं अनुप्रयोगों में कमज़ोरियों की पहचान करने तथा रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- **साइबर सुरक्षा अभ्यास और सिमुलेशन:** घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करने, अंतराल की पहचान करने और तैयारियों में सुधार करने के लिये विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए नियमित साइबर सुरक्षा अभ्यास तथा सिमुलेशन आयोजित करना।

निष्कर्ष:

साइबर सुरक्षा एक सतत् संघर्ष है। तकनीकी समाधान, उपयोगकर्त्ता जागरुकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मिलाकर एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से अपनाकर, भारत उभरते साइबर खतरों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है तथा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर सकता है।

पर्यावरण

प्रश्न : पारिस्थितिकी और आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए, भारत में सतत् कृषि अपनाने के क्रम में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के सिद्धांतों एवं संभावित लाभों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का परिचय लिखिये।
- ZBNF के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये।
- पारिस्थितिक और आर्थिक संदर्भ में इसके संभावित लाभों पर गहराई से विचार कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि एक कृषि पद्धति है, जो न्यूनतम बाहरी इनपुट और लागत के साथ सतत् कृषि की विधियों को बढ़ावा देती है।

- ZBNF विधि को वर्ष 1990 के दशक में सुभाष पालेकर द्वारा विकसित किया गया था।
- पारिस्थितिकी और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिये इसके संभावित लाभों के कारण हालिया वर्षों में इसने महत्त्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।

मुख्य भाग:

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के सिद्धांत:

- **गैर-रसायन:** मृदा और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं शाकनाशियों से संरक्षित करना।
- **प्राकृतिक इनपुट:**
  - **जीवामृत:** लाभकारी सूक्ष्मजीवों के साथ मृदा को समृद्ध करने के लिये माइक्रोबियल कल्चर का उपयोग।
  - **बीजामृत:** बीज के अंकुरण और कीटों के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिये प्राकृतिक समाधानों के साथ बीज उपचार।
  - **अच्छाना (Acchadana) (मल्चिंग):** मृदावरण, आर्द्रयुक्त, खरपतवारों को दबाने और उर्वरता बढ़ाने के लिये कार्बनिक पदार्थों का उपयोग।
  - **वापसा (Whapasa):** यह स्थिति मृदा में पवन और जल के अणुओं की उपस्थिति को संदर्भित करती है, जो बदले में सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में मदद करती है।
- **जैवविविधता को बढ़ावा देना:**
  - **अंतर-फसल:** एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, प्राकृतिक कीट नियंत्रण को बढ़ावा देने और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु एक साथ कई फसलों को उगाना।
- **मृदा के स्वास्थ्य पर ध्यान देना:**
  - **खाद्य निर्माण करना:** मृदा संरचना और उर्वरता को बेहतर बनाने के लिये पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद में जैविक अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करना।
  - **फसल अवशेष प्रबंधन:** जैविक पदार्थ सामग्री और मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिये फसल अवशेषों को मृदा में शामिल करना।

नोट :

COMPONENTS OF
NATURAL FARMING

Beejamrit
The process includes treatment of seed using cow dung, urine and lime based formulations.

Jivamrit
The process enhances the fertility of soil using cow urine, dung, flour of pulses and jaggery concotion.

Whapasa
The process involves activating earthworms in the soil in order to create water vapor condensation.

Mulching
The process involves creating micro climate using different mulches with trees, crop biomass to conserve soil moisture.

Plant Protection
The process involves spraying of biological concoctions which prevents pest, disease and weed problems and protects the plant and improves their soil fertility.

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के संभावित लाभ:

- **पारिस्थितिकी लाभ:**
  - **मृदा स्वास्थ्य में सुधार:** जैविक इनपुट और माइक्रोबियल गतिविधि पर ZBNF का ध्यान मृदा संरचना, जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्त्वों की उपलब्धता में सुधार कर सकता है, जिससे स्वस्थ तथा अधिक उत्पादक मृदा प्राप्त हो सकती है।
  - **पर्यावरण प्रदूषण में कमी:** सिंथेटिक रसायनों के उपयोग को समाप्त करके ZBNF जल, वायु और मृदा प्रदूषण को कम कर सकता है, जिससे स्वच्छ एवं अधिक सतत् पर्यावरण में योगदान मिलता है।
  - **जैवविविधता संरक्षण:** विविध फसल किस्मों को बढ़ावा देना और ZBNF प्रणालियों में पशुधन को एकीकृत करना जैवविविधता को संरक्षित करने तथा परागण एवं कीट नियंत्रण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का समर्थन करने में मदद कर सकता है।
  - **जलवायु लचीलापन:** मल्चिंग और जल संरक्षण जैसी ZBNF प्रथाएँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे कि शुष्कता एवं चरम मौसमी घटनाओं के प्रति कृषि प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ा सकती हैं।
- **आर्थिक लाभ:**
  - **इनपुट लागत में कमी:** स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों पर निर्भर रहने और महँगे रासायनिक इनपुट की आवश्यकता को समाप्त करके, ZBNF किसानों के लिये उत्पादन लागत को काफी कम कर सकता है, जिससे उसकी शुद्ध आय में वृद्धि हो सकती है।

नोट :

- **बाहरी इनपुट पर निर्भरता में कमी:** ZBNF की स्व-निर्भरता और कृषि संसाधनों के उपयोग पर ज़ोर बाहरी इनपुट पर निर्भरता को कम करता है, जो मूल्य में उतार-चढ़ाव एवं आपूर्ति व्यवधानों के अधीन हो सकता है।
- **बाज़ार के अवसर:** जैविक और सतत् कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग ZBNF किसानों को प्रीमियम बाज़ारों तक पहुँच तथा उनके उत्पादों के लिये उच्च मूल्य प्रदान कर सकती है।
- **दीर्घकालिक स्थिरता:** मृदा उर्वरता बनाए रखने और जैवविविधता को बढ़ावा देने पर ZBNF का ध्यान कृषि प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे सकता है, जिससे किसानों के लिये खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है।

निष्कर्ष:

हिमाचल प्रदेश (प्रकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना) जैसे कुछ क्षेत्रों में ZBNF ने आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किये हैं। ZBNF को एक स्थायी कृषि दृष्टिकोण के रूप में अपनाकर, भारत अधिक पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से न्यायसंगत खाद्य उत्पादन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे लोगों तथा पृथ्वी ग्रह दोनों की भलाई सुनिश्चित होगी।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी

प्रश्न : कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण में जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित अनुप्रयोग क्या हैं? इन प्रगतियों से कौन-सी नैतिक चिंताओं को बढ़ावा मिलता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा के साथ उत्तर का परिचय लिखिये।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिये।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित नैतिक चिंताओं का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष कीजिये।

परिचय:

जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी जीव की आनुवंशिक सामग्री में हेर-फेर करने की प्रक्रिया है, विशेष रूप से वांछित लक्षण या विशेषताओं को प्राप्त करने के लिये, विशिष्ट जीन को सम्मिलित करने या पृथक करने से। इसमें कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के लिये अपार संभावनाएँ हैं।

मुख्य भाग:

जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित अनुप्रयोग:

- **कृषि:**
  - **कीटनाशकों पर कम निर्भरता :** बीटी कपास जैसी कीट-प्रतिरोधी फसलों की इंजीनियरिंग हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग को कम करती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा होती है।
  - **उन्नत खाद्य सुरक्षा:** रोगों के प्रति प्रतिरोधी फसलों की इंजीनियरिंग (उदाहरण के लिये, पपीता रिंगस्पॉट वायरस-प्रतिरोधी पपीता) फसल के नुकसान को कम करती है और खाद्य उत्पादन को बढ़ाती है, जो बढ़ती वैश्विक आबादी के भोजन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - चीन खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये झिंजियांग रेगिस्तान के तट एक लवणीय क्षेत्र में लवण-सहिष्णु GM राइस उत्पादित कर रहा है, जहाँ अधिकांश वनस्पतियाँ विकसित नहीं हो सकती हैं।
  - **बेहतर पोषण मूल्य:** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को आवश्यक विटामिन और खनिजों से समृद्ध किया जा सकता है, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों में कुपोषण को दूर किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये गोल्डन राइस को विटामिन A की कमी से निपटने के लिये बढ़े हुए बीटा-कैरोटीन के साथ तैयार किया गया है।
  - **बेहतर शेल्फ जीवन:** खराब होने की गति को कम करने वाले जीन का परिचय फलों और सब्जियों के शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकता है, भोजन की बर्बादी को कम कर सकता है तथा ताज़े उपज की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है।

नोट :

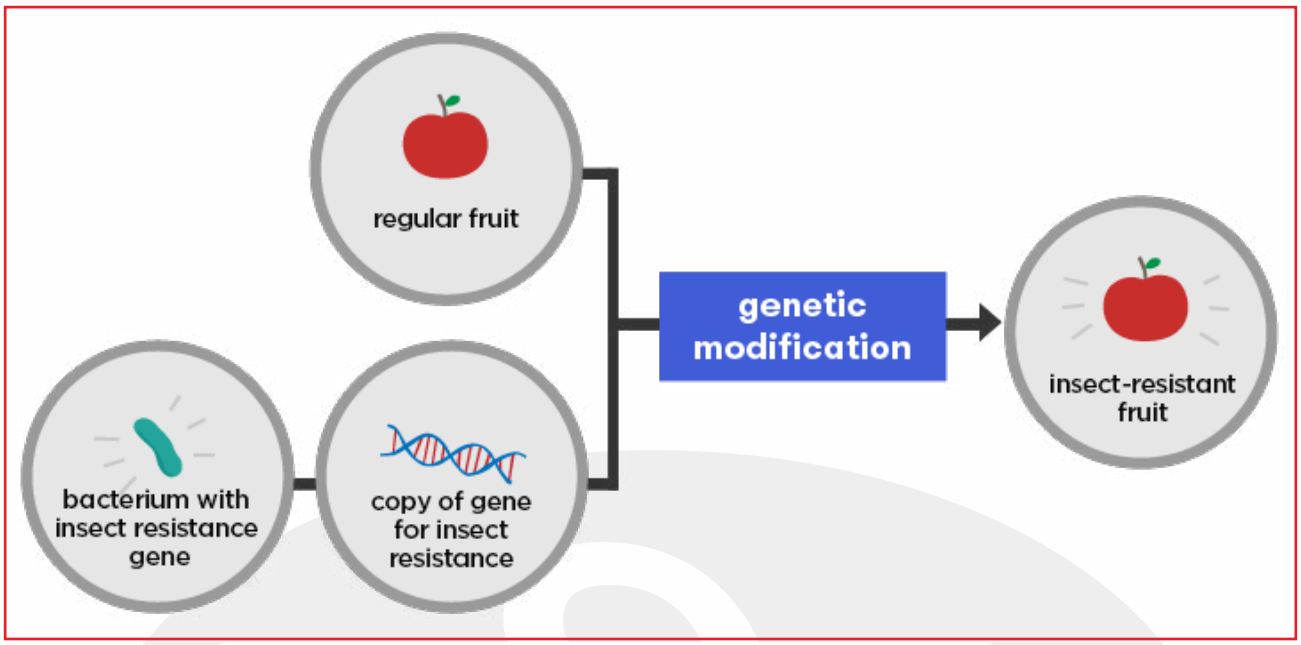

- **चिकित्सा:**
  - **जीन थेरेपी:** जेनेटिक इंजीनियरिंग संभावित रूप से कार्यात्मक जीन पेश करके या दोषपूर्ण जीन को ठीक करके आनुवंशिक विकारों का उपचार कर सकती है।
    - सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिये जीन थेरेपी के परीक्षण चल रहे हैं।
  - **फार्मास्युटिकल उत्पादन:** आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किये गए बैक्टीरिया, खमीर या पौधे चिकित्सीय प्रोटीन, टीके और एंटीबॉडी का अधिक कुशलता से उत्पादन कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये खमीर मधुमेह रोगियों हेतु मानव इंसुलिन का उत्पादन कर सकता है, जो पशु-व्युत्पन्न इंसुलिन की तुलना में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है।
  - **सिकल सेल रोग:** सिकल सेल रोग के लिये ज़िम्मेदार दोषपूर्ण जीन को ठीक करने के लिये जीन संपादन तकनीकों का पता लगाया जा रहा है।
  - **कैंसर का उपचार:** CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग करने के लिये अनुसंधान जारी है, जहाँ एक मरीज़ की T कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उनको रोकने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:**
  - **बायोरेमेडिएशन:** मृदा और जल से प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिये पौधों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय स्वच्छता प्रयासों में योगदान मिलता है।
    - मृदा के बायोरेमेडिएशन के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित ब्रैसिका जंसिया (भारतीय सरसों) के उपयोग की जानकारी के लिये अध्ययन चल रहे हैं।
    - तेल को चयापचय करने के लिये इंजीनियर किये गए सूक्ष्मजीवों का उपयोग तेल रिसाव को साफ करने, पर्यावरणीय क्षति को कम करने हेतु किया जा सकता है।
  - **लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण:** जीन बैंक लुप्तप्राय प्रजातियों से आनुवंशिक सामग्री को संग्रहीत कर सकते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है:
    - लुप्तप्राय जानवरों की छोटी, पृथक आबादी में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने के लिये निकट संबंधी प्रजातियों से जीन का परिचय।
  - **पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों का विकास:** आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किये गए जीव निम्नलिखित का उत्पादन कर सकते हैं:
    - **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक:** सूक्ष्मजीवों को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के निर्माण के लिये इंजीनियर किया जा सकता है, जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाता है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण कम हो जाता है।
    - **जैव ईंधन:** इंजीनियर्ड शैवाल या खमीर का उपयोग नवीकरणीय और सतत् ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिये किया जा सकता है।

नोट :

जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित नैतिक चिंताएँ:

- **जैवविविधता पर प्रभाव:** कुछ अधिक उपज देने वाली जीएम किस्मों पर निर्भरता कृषि विविधता को कम कर सकती है, जिससे फसलें आयरिश पोटैटो फेमिन जैसी व्यापक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं।
- **मानव संवर्द्धन:** गैर-चिकित्सीय उद्देश्यों, जैसे बुद्धि या एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये जीन संपादन का उपयोग करने की संभावना, "डिज़ाइनर बच्चे" उत्पन्न करने के बारे में नैतिक प्रश्न उठाती है।
- **असमान पहुँच:** इन नई प्रौद्योगिकियों से संबंधित उच्च लागत विकासशील देशों में मरीज़ों की पहुँच को सीमित कर सकती है, जिससे मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल असमानताएँ बढ़ सकती हैं।
- **स्वामित्व और नियंत्रण:** जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक जानकारी के स्वामित्व और नियंत्रण, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों पर पेटेंट एवं आनुवंशिक प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण पर सवाल उठाती है।

निष्कर्ष:

इन नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिये उपकार, गैर-दुर्भावना, स्वायत्तता और न्याय जैसे सिद्धांतों को मानवता एवं पर्यावरण की बेहतरी के लिये ज़िम्मेदार तथा न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के लिये जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों के विकास व अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करना चाहिये।

प्रश्न : पारिस्थितिकी और आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए, भारत में सतत् कृषि अपनाने के क्रम में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के सिद्धांतों एवं संभावित लाभों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का परिचय लिखिये।
- ZBNF के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये।
- पारिस्थितिक और आर्थिक संदर्भ में इसके संभावित लाभों पर गहराई से विचार कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि एक कृषि पद्धति है, जो न्यूनतम बाहरी इनपुट और लागत के साथ सतत् कृषि की विधियों को बढ़ावा देती है।

- ZBNF विधि को वर्ष 1990 के दशक में सुभाष पालेकर द्वारा विकसित किया गया था।
- पारिस्थितिकी और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिये इसके संभावित लाभों के कारण हालिया वर्षों में इसने महत्त्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।

मुख्य भाग:

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के सिद्धांत:

- **गैर-रसायन:** मृदा और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं शाकनाशियों से संरक्षित करना।
- **प्राकृतिक इनपुट:**
  - **जीवामृत:** लाभकारी सूक्ष्मजीवों के साथ मृदा को समृद्ध करने के लिये माइक्रोबियल कल्चर का उपयोग।
  - **बीजामृत:** बीज के अंकुरण और कीटों के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिये प्राकृतिक समाधानों के साथ बीज उपचार।
  - **अच्छाना (Acchadana) (मल्चिंग):** मृदावरण, आर्द्रयुक्त, खरपतवारों को दबाने और उर्वरता बढ़ाने के लिये कार्बनिक पदार्थों का उपयोग।
  - **वापसा (Whapasa):** यह स्थिति मृदा में पवन और जल के अणुओं की उपस्थिति को संदर्भित करती है, जो बदले में सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में मदद करती है।
- **जैवविविधता को बढ़ावा देना:**
  - **अंतर-फसल:** एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, प्राकृतिक कीट नियंत्रण को बढ़ावा देने और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु एक साथ कई फसलों को उगाना।
- **मृदा के स्वास्थ्य पर ध्यान देना:**
  - **खाद्य निर्माण करना:** मृदा संरचना और उर्वरता को बेहतर बनाने के लिये पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद में जैविक अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करना।
  - **फसल अवशेष प्रबंधन:** जैविक पदार्थ सामग्री और मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिये फसल अवशेषों को मृदा में शामिल करना।

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के संभावित लाभ:

- **पारिस्थितिकी लाभ:**
    - **मृदा स्वास्थ्य में सुधार:** जैविक इनपुट और माइक्रोबियल गतिविधि पर ZBNF का ध्यान मृदा संरचना, जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्त्वों की उपलब्धता में सुधार कर सकता है, जिससे स्वस्थ तथा अधिक उत्पादक मृदा प्राप्त हो सकती है।
    - **पर्यावरण प्रदूषण में कमी:** सिंथेटिक रसायनों के उपयोग को समाप्त करके ZBNF जल, वायु और मृदा प्रदूषण को कम कर सकता है, जिससे स्वच्छ एवं अधिक सतत् पर्यावरण में योगदान मिलता है।
    - **जैवविविधता संरक्षण:** विविध फसल किस्मों को बढ़ावा देना और ZBNF प्रणालियों में पशुधन को एकीकृत करना जैवविविधता को संरक्षित करने तथा परागण एवं कीट नियंत्रण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का समर्थन करने में मदद कर सकता है।
    - **जलवायु लचीलापन:** मल्चिंग और जल संरक्षण जैसी ZBNF प्रथाएँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे कि शुष्कता एवं चरम मौसमी घटनाओं के प्रति कृषि प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ा सकती हैं।

नोट :

- **आर्थिक लाभ:**
  - **इनपुट लागत में कमी:** स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों पर निर्भर रहने और महँगे रासायनिक इनपुट की आवश्यकता को समाप्त करके, ZBNF किसानों के लिये उत्पादन लागत को काफी कम कर सकता है, जिससे उसकी शुद्ध आय में वृद्धि हो सकती है।
  - **बाहरी इनपुट पर निर्भरता में कमी:** ZBNF की स्व-निर्भरता और कृषि संसाधनों के उपयोग पर ज़ोर बाहरी इनपुट पर निर्भरता को कम करता है, जो मूल्य में उतार-चढ़ाव एवं आपूर्ति व्यवधानों के अधीन हो सकता है।
  - **बाज़ार के अवसर:** जैविक और सतत् कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग ZBNF किसानों को प्रीमियम बाज़ारों तक पहुँच तथा उनके उत्पादों के लिये उच्च मूल्य प्रदान कर सकती है।
  - **दीर्घकालिक स्थिरता:** मृदा उर्वरता बनाए रखने और जैवविविधता को बढ़ावा देने पर ZBNF का ध्यान कृषि प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे सकता है, जिससे किसानों के लिये खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है।

निष्कर्ष:

हिमाचल प्रदेश (प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना) जैसे कुछ क्षेत्रों में ZBNF ने आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किये हैं। ZBNF को एक स्थायी कृषि दृष्टिकोण के रूप में अपनाकर, भारत अधिक पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से न्यायसंगत खाद्य उत्पादन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे लोगों तथा पृथ्वी ग्रह दोनों की भलाई सुनिश्चित होगी।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडीज़

प्रश्न : एक गंभीर प्राकृतिक आपदा के बाद, एक समुदाय स्वयं को एक विकट स्थिति में पाता है, जिसमें हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं और उनके पास बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो जाती है। भारी वर्षा और बुनियादी ढाँचे की क्षति ने बचाव प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किया है, जिससे प्रभावित लोगों में हताशा और बढ़ गई है। जैसे ही बचाव दल घटनास्थल पर पहुँचता है, उन्हें शत्रुता और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसमें टीम के कुछ सदस्यों पर हमला किया जाता है और एक सदस्य को गंभीर चोटें आती हैं। इस उथल-पुथल के बीच, टीम के भीतर से उनकी सुरक्षा के भय से ऑपरेशन को बंद करने का अनुरोध किया जाता है।

A. उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की जाँच कीजिये।

B. एक लोक सेवक के उन गुणों की जाँच कीजिये, जिनकी स्थिति को प्रबंधित करने के लिये आवश्यकता होगी।

C. मान लीजिये आप उस क्षेत्र में बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उपर्युक्त मामले का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधा का परीक्षण कीजिये।
- इस आलोक में एक लोक सेवक के उन गुणों की जाँच कीजिये जिनकी इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिये आवश्यकता होगी।
- इस स्थिति को संभालने के लिये चरणबद्ध प्रतिक्रिया का प्रस्ताव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यह मामला एक ऐसे समुदाय से संबंधित है जो गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है, जहाँ हज़ारों लोगों के बेघर होने के साथ ही भारी वर्षा एवं बुनियादी ढाँचे की क्षति के कारण बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो गई है। इस क्षेत्र में जैसे ही बचाव दल पहुँचते हैं, उन्हें शत्रुता और हिंसा का सामना करना पड़ता है, साथ ही टीम के कुछ सदस्यों पर हमला भी किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बचाव प्रयासों में बाधा उत्पन्न होने के कारण प्रभावित आबादी में हताशा और निराशा की स्थिति देखि गई। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है जहाँ सुरक्षा चिंताओं के साथ बचाव के प्राथमिकताओं को संतुलित करने की नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई है।

मुख्य भाग:

A. केस स्टडी में नैतिक दुविधा:

- **प्राथमिकताओं को संतुलित करना:** इसमें आपदा प्रभावित समुदाय को सहायता प्रदान करने के कर्त्तव्य तथा बचाव टीमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कर्त्तव्य के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।
- **नैतिक दायित्व बनाम सुरक्षा चिंताएँ:** इसमें बचावकर्मियों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के अपने कर्त्तव्य को पूरा करने तथा प्रतिकूल वातावरण में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच एक दुविधा का सामना करना पड़ता है।
- **संसाधन आवंटन:** सीमित संसाधनों का आवंटन प्रभावित समुदाय को सहायता प्रदान करने तथा बचावकर्त्ताओं की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के बीच संतुलित रूप से किया जाना चाहिये।

B. इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिये लोक सेवक के आवश्यक गुण:

- **साहस:** ऐसी स्थिति में लोक सेवकों को खतरे और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के साथ जोखिम के बावजूद दूसरों की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने के साहस की आवश्यकता होती है।
- **सहानुभूति:** इससे लोक सेवक आपदा प्रभावित समुदाय की पीड़ा एवं हताशा को समझने तथा करुणा और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है।
- **नेतृत्व:** प्रभावी नेतृत्व कौशल इस प्रकार की स्थिति को संभालने, बचाव प्रयासों का समन्वय करने तथा इसमें शामिल सभी लोगों के हित में निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **अनुकूलनशीलता:** इससे बदलती परिस्थितियों का त्वरित आकलन करने और उसके अनुरूप बचाव रणनीतियों को समायोजित करने में सक्षमता आती है।
- **ईमानदारी:** ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करने से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय एवं बचाव टीमों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये संसाधनों को निष्पक्ष तथा नैतिक रूप से आवंटित किया गया है।

नोट :

C. स्थिति को संभालने के लिये चरणबद्ध प्रतिक्रिया:

- **तात्कालिक खतरों का आकलन करना:** जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के साथ बचाव टीमों के लिये खतरे के स्तर का आकलन करना।
- **सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना:** जोखिम वाले क्षेत्रों में अस्थायी रूप से कार्रवाई रोकने के साथ सुरक्षा उपाय लागू करना एवं बचावकर्मियों को आगे की हिंसा से बचाना।
- **सामुदायिक शिकायतों को हल करना:** स्थानीय अधिकारियों तथा समुदाय के नेताओं के साथ संचार को प्रभावी बनाने के साथ निराशा के अंतर्निहित कारणों का समाधान करना।
- **व्यावसायिकता और संवेदनशीलता:** व्यावसायिकता के साथ कार्रवाई करने के साथ प्रभावित व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करना।
- **संसाधन प्रबंधन:** तत्काल ज़रूरतों के आधार पर सुरक्षा एवं सहायता वितरण को प्राथमिकता देते हुए संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करना।
- **समन्वय:** समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना।
- **कार्रवाई की समीक्षा एवं निष्पादन:** नियमित रूप से संचालन की समीक्षा करने के साथ आवश्यकतानुसार रणनीतियों को अपनाना तथा भविष्य की प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिये अनुभवों से सीखना।
- **अनुकूलनशीलता:** टीम के सदस्यों से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लचीला रुख अपनाने तथा उभरती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का आग्रह करना। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना तथा कठिनाइयों के बावजूद टीम को अपने प्रयासों में लगे रहने के लिये प्रेरित करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

लोक सेवा के सहानुभूतिपूर्ण गुणों को अपनाने के साथ एक रणनीतिक दृष्टिकोण का पालन करके, लोक सेवक ऐसी जटिल एवं चुनौतीपूर्ण स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं।

प्रश्न : आप हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर और गरीब ज़िले, दंतेवाड़ा के ज़िला कलेक्टर के रूप में तैनात हुए एक युवा आईएएस अधिकारी हैं। दंतेवाड़ा हिंसक नक्सली विद्रोह का केंद्र रहने के साथ माओवादी विद्रोहियों एवं सुरक्षा बलों के बीच एक लंबे संघर्ष का क्षेत्र रहा है जिसके कारण पिछले कुछ दशकों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है।

आदिवासी किसानों तथा उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिये लड़ने का दावा करने वाले नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के जंगलों एवं गाँवों के बड़े हिस्से में शासन की एक समानांतर प्रणाली स्थापित की है। ये अपनी अदालतें चलाते हैं, नागरिकों पर कर लगाते हैं तथा बारूदी सुरंग हमलों के माध्यम से सरकारी बुनियादी ढाँचे तथा सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हैं।

अर्द्धसैनिक बलों की काफी अधिक उपस्थिति के बावजूद, ज़िला प्रशासन का दायरा मुश्किल से ही ज़िला मुख्यालय से आगे विस्तारित हो पाता है। दंतेवाड़ा के लिये आवंटित अधिकांश विकास निधि का भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है या अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के कारण यह अप्रयुक्त रह जाती है।

दंतेवाड़ा की स्थिति अत्यधिक अस्थिर होने के कारण हिंसा की नियमित घटनाओं से बेहतर शासन एवं विकास के प्रयास बाधित हो रहे हैं। सबसे वरिष्ठ लोक प्राधिकारी के रूप में, आप पर लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष को हल करने के क्रम में एक प्रभावी रणनीति खोजने का दायित्व बना हुआ है।

उपर्युक्त परिदृश्य में:

इस मुद्दे में शामिल प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

इस संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन को बेहतर बनाने के साथ विकास को बढ़ावा देने के क्रम में ज़िला कलेक्टर के रूप में आपकी प्राथमिकताएँ और कार्य योजनाएँ क्या होंगी?

इस मामले पर विचार करते हुए आप विकास, सुरक्षा तथा शिकायत निवारण जैसे व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से उग्रवाद के इस लंबे संघर्ष को हल करने के लिये कौन से नीतिगत उपायों की सिफारिश करेंगे

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- केस स्टडी के संदर्भ का संक्षेप में परिचय लिखिये।
- मामले के अध्ययन में शामिल नैतिक दुविधाओं का विश्लेषण कीजिये।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और आवश्यक कार्य योजनाओं का वर्णन कीजिये।
- उग्रवाद के समाधान के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

छत्तीसगढ़ में स्थित दंतेवाड़ा, भारत के लंबे विद्रोहों के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र में माओवादी विद्रोह सरकारी प्राधिकरण को चुनौती देता है, जिससे हिंसा होती है और विकास बाधित होता है। यहाँ ज़िला कलेक्टर के कंधों पर जटिल सुरक्षा खतरों को दूर करने, सामाजिक शिकायतों को दूर करने तथा प्रगति को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी होती है।

मुख्य भाग:

1. इस मुद्दे में शामिल प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

- मानवतावादी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा: संघर्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के साथ नागरिक सुरक्षा और अधिकारों को संतुलित करना।
- पारदर्शिता बनाम सुरक्षा: संघर्ष क्षेत्र में परिचालन सुरक्षा के साथ शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को संतुलित करना, जहाँ सूचना लीक होने से जीवन को खतरा हो सकता है।
- विधि का शासन बनाम समानांतर शासन: क्षेत्र में शासन की समानांतर प्रणाली स्थापित करने की नक्सलियों की चुनौती का समाधान करते हुए विधि के शासन को कायम रखना।
- सांस्कृतिक संरक्षण और मुख्यधारा: आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकारों का सम्मान करते हुए उनकी मुख्यधारा में एकीकरण को बढ़ावा देना।

2. इस संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन को बहाल करने और विकास पहुँचाने के लिये ज़िला कलेक्टर के रूप में आपकी प्राथमिकताएँ एवं कार्य योजना क्या होंगी?

प्राथमिकताएँ और कार्य योजना:

प्राथमिकता वाले क्षेत्र	कार्य योजना
सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा	• संवेदनशील क्षेत्रों में चौकियों और गश्त को मज़बूत करना। • किसी भी सुरक्षा संकट को तुरंत रोकने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया टीमें तैनात करना।
आवश्यक सेवाएँ बहाल करना	• स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और उपयोगिताओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करना। • प्रभावित समुदायों में राहत प्रयासों के लिये गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।
तत्काल विकास की आवश्यकता	• तत्काल लाभ वाली बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। • प्रमुख विकास प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिये हितधारकों को शामिल करना।
आपातकालीन प्रतिक्रिया और संकट प्रबंधन	• एक मज़बूत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना। • संकट प्रबंधन में स्थानीय कानून प्रवर्तन और उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करना।
सामुदायिक विश्वास और सहयोग का निर्माण	• सामुदायिक संपर्क और विश्वास-निर्माण के लिये आउटरीच तथा टाउन हॉल बैठकें आयोजित करना। • विकास में भागीदारी के लिये स्थानीय नेताओं और नागरिक समाज के साथ सहयोग करना।
संचार एवं सूचना प्रबंधन	• सटीक जानकारी, अपडेट और सलाह प्रसारित करने के लिये एक समर्पित संचार रणनीति स्थापित करना। • मीडिया और नेताओं को ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. इस मामले के अध्ययन पर विचार करते हुए कि आप विकास, सुरक्षा और शिकायत निवारण के संयोजन के व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से दीर्घकालिक उग्रवाद की समस्या को हल करने के लिये कौन-से नीतिगत उपायों की सिफारिश करेंगे?

- **समानता के साथ विकास:**
  - **भूमि अधिकार संरक्षण:** भूमि स्वामित्व प्रक्रियाओं को फास्ट ट्रैक करना और भूमि विवादों के लिये शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
  - **सतत् आजीविका कार्यक्रम:** कृषि, वानिकी और हस्तशिल्प में कौशल विकास के माध्यम से आय सृजन के अवसरों को बढ़ावा देना।
    - IAS रजत बंसल द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में चलाया गया थिंक-बी इनक्यूबेटर कार्यक्रम एक प्रमुख मॉडल हो सकता है।

नोट :

- **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल:** स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर ध्यान देने के साथ आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूलों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करना।
- **विकेंद्रीकृत शक्ति:** सूक्ष्म-विकास परियोजनाओं से संबंधित योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिये स्थानीय ग्राम परिषदों (ग्राम पंचायतों) को सशक्त बनाना।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नक्सल प्रबंधन नीति की सफलता, जिसने विकास पहलों को मज़बूत सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ा, एक प्रमुख मॉडल हो सकता है।

- **संवेदनशीलता के साथ सुरक्षा:**
  - **सुरक्षा मूल्यांकन:** सुरक्षा अभियानों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करना और नागरिक के हताहत होने की समस्या को कम करना। तनाव कम करने की रणनीति पर ध्यान देने के साथ सुरक्षा बलों के लिये जुड़ाव के कड़े नियम लागू करना।
  - **सामुदायिक पुलिसिंग:** सामुदायिक पुलिसिंग पहल विकसित करना, जहाँ स्थानीय पुलिस सुरक्षा में सुधार और विश्वास बनाने के लिये ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करती है।
  - **पुनर्वास और पुन:** एकीकरण: पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा में पुन: एकीकरण के लिये कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करना, उन्हें वैकल्पिक आजीविका के अवसर और सहायता सेवाएँ प्रदान करना।
    - **उदाहरण:** गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका में पूर्व LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) कैडरों का सफल पुनर्वास और पुन: एकीकरण।
    - इसके अलावा भारत सरकार के "चीता मित्र" कार्यक्रम का उद्देश्य डकैतों को समाज में पुन: शामिल होने के लिये प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास करना है।
- **शिकायत निवारण एवं संवाद:**
  - शिकायत तंत्र: ग्रामीणों के लिये स्थानीय अधिकारियों के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने हेतु सुलभ और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
  - वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना: नीतिगत बदलावों और कानूनी सुधारों के माध्यम से नक्सलियों द्वारा उठाई गई वैध शिकायतों, जैसे- भूमि बेदखली या पर्यावरण क्षरण, का समाधान करना।

निष्कर्ष:

नैतिक सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए, तात्कालिक चिंताओं को प्राथमिकता देकर और एक व्यापक नीतिगत ढाँचे के साथ दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू कर दंतेवाड़ा जैसे उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में स्थायी शांति एवं विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न : आप एक ऐसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हैं जो बूथ कैप्चरिंग, चुनाव में धमकी और हिंसा सहित चुनावी कदाचार की परंपरा से ग्रस्त है। यहाँ पर लोकसभा के लिये हो रहे आम चुनावों में बूथ कैप्चरिंग की व्यापक घटनाएँ सामने आई हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ रहा है।

मतदान के तीसरे दिन, स्थिति अभूतपूर्व होने से राज्य भर के कई निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाताओं एवं चुनाव अधिकारियों को डराने-धमकाने की रिपोर्टें सामने आईं। इसके अतिरिक्त, प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक गुटों के बीच झड़पों सहित हिंसा की घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया।

कदाचार की व्यापक घटनाओं से चुनाव प्रणाली में लोगों के विश्वास में कमी आने के साथ मतदाताओं में चुनाव प्रणाली के संदर्भ में मोहभंग हो गया।

CEO के रूप में आपको इस संकट से निपटने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिये त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

इस मामले में शामिल हितधारक कौन हैं?

इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, चल रही बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं से निपटने तथा प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में सुचारु व्यवस्था बहाल करने के लिये अपनी तात्कालिक रणनीति की रूपरेखा तैयार कीजिये।

एक बार तात्कालिक संकट का समाधान हो जाने के बाद, आप राज्य में चुनावी ढाँचे में सुधार हेतु कौन से दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करेंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- केस स्टडी के संदर्भ का संक्षिप्त रूप में परिचय लिखिये।
- इस मामले में शामिल हितधारकों का उल्लेख कीजिये।
- चल रही बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं से निपटने और व्यवस्था बहाल करने के लिये तत्काल रणनीति की रूपरेखा तैयार कीजिये।
- आवश्यक दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों को सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

किसी राज्य में लोकसभा के लिये चल रहे आम चुनाव बूथ कैप्चरिंग, धमकी और हिंसा सहित चुनावी कदाचार की व्यापक घटनाओं से प्रभावित हैं। बढ़ती हिंसा, मतदाताओं एवं चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध धमकियों तथा प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक गुटों के बीच झड़प जैसी रिपोर्टों ने चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर दिया है, जिससे मतदाताओं में व्यापक निराशा उत्पन्न हुई है।

इस प्रकार, यह स्थिति चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है।

मुख्य भाग:

इस मामले में शामिल हितधारक हैं:

- **भारत निर्वाचन आयोग:** चुनावों के संचालन की देख-रेख और चुनावी कानूनों एवं विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी।
- **राजनीतिक दल:** चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना और संभावित रूप से कदाचार में शामिल होना।
- **मतदाता:** नागरिक, मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हैं तथा चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से प्रभावित होते हैं।
- **चुनाव अधिकारी:** मतदान केंद्रों के प्रबंधन और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ:** कानून व्यवस्था बनाए रखने, चुनावी कदाचार को रोकने और मतदाताओं एवं चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं।
- **मीडिया:** चुनाव प्रक्रिया और कदाचार की घटनाओं पर रिपोर्टिंग, सार्वजनिक धारणा एवं जागरुकता को प्रभावित करना।
- **बूथ कैप्चरिंग की चल रही घटनाओं से निपटने और व्यवस्था बहाल करने की तत्काल रणनीति:**
- **अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती:** बूथ कैप्चरिंग और हिंसा की आगे की घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन कर्मियों की उपस्थिति बढ़ाना।
- **त्वरित प्रतिक्रिया टीमें:** कदाचार या हिंसा की रिपोर्टों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने और समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिये सुसज्जित विशेष टीमों की स्थापना कराना।
- **कानूनों का सख्त प्रवर्तन:** यह सुनिश्चित करना कि चुनावी कदाचार के अपराधियों को तेज़ी से पकड़ा जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए, जिससे एक निवारक संदेश पहुँच सके।
- **उन्नत निगरानी:** मतदान केंद्रों की निगरानी करने और संभावित गड़बड़ी वाले स्थानों की पहचान करने के लिये CCTV कैमरे एवं ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करना।
- **मतदाता सहायता बूथ:** मतदाताओं को सहायता प्रदान करने, चिंताओं को दूर करने और मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा समर्पित बूथ स्थापित करना। यह कदाचार के अवसरों को कम करते हुए पारदर्शिता एवं पहुँच को बढ़ाता है।
- **राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ सहयोग:** शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने के लिये राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय के नेताओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

चुनावी ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन के लिये दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार:

- **विधान के माध्यम से चुनावी सुधार:** चुनावी कानूनों और विनियमों को मज़बूत करने के उद्देश्य से चुनावी सुधार कानून प्रस्तुत करना तथा लागू करना।
  - इसमें चुनावी अधिकारियों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को बढ़ाने, अभियान के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिये चुनावी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के एकीकरण में निवेश करना।
  - इसमें सुरक्षित मतदान और परिणाम के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), बायोमेट्रिक मतदाता पहचान प्रणाली तथा ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाना शामिल हो सकता है।
- **संस्थानों को मज़बूत बनाना:** चुनाव आयोगों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक निकायों सहित चुनावी प्रक्रिया में शामिल प्रमुख संस्थानों की क्षमता एवं स्वतंत्रता को दृढ़ करना।
  - इन संस्थानों को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से और निष्पक्ष रूप से पूर्ण करने में सक्षम बनाने के लिये पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करना।
- **कानूनी प्रवर्तन और जवाबदेही:** चुनावी कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करना। इसमें चुनावी अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये मज़बूत तंत्र के साथ-साथ न्यायपालिका द्वारा चुनावी विवादों का निष्पक्ष निर्णय शामिल है।

नोट :

- **राजनीतिक दलगत सुधार:** राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उपायों को लागू करना, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र, उम्मीदवार चयन प्रक्रियाओं तथा वित्तीय प्रकटीकरण पर नियम शामिल हैं।
  - राजनीतिक संगठनों के भीतर नैतिक आचरण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पालन की संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित करना।
- **मतदाता शिक्षा और जागरुकता:** चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाने के लिये निरंतर मतदाता शिक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रम लागू करना।
  - इसमें मतदाताओं को कदाचार की घटनाओं की पहचान करने और रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में शिक्षित करना साथ ही नागरिक सहभागिता तथा भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।
- **नागरिक समाज की भागीदारी:** चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों एवं सामुदायिक समूहों के साथ अधिक सहयोग तथा जुड़ाव को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

चुनावी अखंडता की ओर यात्रा के लिये संस्थागत लचीलापन, तकनीकी परिष्कार और सार्वजनिक जागरुकता को बढ़ावा देने के लिये एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। प्रभावी चुनावी सुधारों को लागू करके, चुनावी अधिकारी अधिक लचीला और जवाबदेह चुनावी ढाँचा तैयार कर सकते हैं जो बूथ कैप्चरिंग जैसे कदाचार के जोखिम को कम करता है तथा लोकतांत्रिक चुनावों की अखंडता में जनता के विश्वास को बढ़ाता है।

प्रश्न : पिछले दो निर्वाचन चरणों में आपके ज़िले में चिंताजनक रूप से कम मतदान की सूचना आपको, ज़िला निर्वाचन अधिकारी को दी गई है। यह जानकारी, विशेष रूप से आपके नियंत्रण वाले कई समुदायों में, कम मतदान प्रतिशत की परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाती है। मतदाता पंजीकरण और जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिये पूर्व ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEOs) द्वारा किये गए मजबूत प्रयासों के बावजूद, संख्याएँ एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, जो इस लोकतांत्रिक कमी के पीछे के अंतर्निहित कारणों के बारे में आलोचनात्मक प्रश्न उत्पन्न करती है।

स्थिति आपके तत्काल ध्यान देने और इन प्रभावित गाँवों के निवासियों के बीच नागरिक जुड़ाव की भावना को पुनर्जीवित करने के लिये एक व्यापक कार्य योजना की मांग करती है।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- मामले का सटीक विवरण देकर उत्तर लिखिये
- मामले में शामिल सभी हितधारकों का उल्लेख कीजिये
- मतदाता भागीदारी में गिरावट में योगदान देने वाले संभावित कारणों को बताइये
- मतदाता जागरूकता और शिक्षा में सुधार के लिये रणनीतियाँ सुझाइये

परिचय:

ज़िला निर्वाचन अधिकारी के रूप में विशेष रूप से कुछ गाँवों में निरंतर कम मतदान का मुद्दा तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। पूर्व प्रयासों के बावजूद, इन क्षेत्रों में नागरिक भागीदारी को पुन: शुरू करने के लिये एक व्यापक रणनीति की तत्काल आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

1. इस मुद्दे में कौन-से हितधारक शामिल हैं ?

हितधारक	भूमिका/हित
वोटर	प्राथमिक प्रतिभागी जिनकी भागीदारी प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO)	समग्र चुनाव प्रशासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और मतदाता मतदान में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार है।
ग्राम पंचायतें और स्थानीय नेता	प्रशासन और ग्रामीणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, जो मतदाताओं को संगठित करने तथा शिक्षित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)	चुनाव प्रक्रियाओं के लिये दिशा-निर्देश, समर्थन और निरीक्षण प्रदान करता है; चुनाव कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
मतदान अधिकारी एवं कर्मचारी	चुनाव के दिन मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, मतदान केंद्रों का सुचारु और कुशल संचालन सुनिश्चित करना।
राजनीतिक दल और उम्मीदवार	प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मतदान प्रतिशत को अधिकतम करने में निहित स्वार्थ रखना।

नोट :

गैर सरकारी संगठन (NGOs)	मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियानों में सहायता करना, प्राय: नागरिक सहभागिता तथा लोकतंत्र के मुद्दों पर कार्य करना।
मीडिया	सूचना प्रसारित करने, जागरूकता बढ़ाने और मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शिक्षण संस्थान	मतदाता जागरूकता अभियानों में छात्रों और कर्मचारियों को शामिल करना; यह मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों के लिये स्थान के रूप में कार्य कर सकता है।
परिवहन सेवाएँ	यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुँच सकें, परिवहन सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ।

2. इन विशिष्ट गाँवों में मतदाता भागीदारी में गिरावट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं ?

- **जागरूकता और मतदाता शिक्षा का अभाव:** अपर्याप्त मतदाता शिक्षा अभियान और चुनावी प्रक्रिया, मतदान प्रक्रियाओं एवं किसी के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के महत्त्व से संबंधित जानकारी तक सीमित पहुँच से मतदाताओं में उदासीनता तथा अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- **पहुँच संबंधी बाधाएँ:** दूरस्थ स्थान, अपर्याप्त परिवहन सुविधाएँ और मतदाता पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करने में चुनौतियाँ जैसे कारक मूलत: हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये मतदाता भागीदारी में बाधा डाल सकते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** निर्धनता, शैक्षिक अवसरों की कमी और आर्थिक असुरक्षा राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग की भावना तथा मतदान एवं जीवन स्थितियों में ठोस सुधार के बीच एक कथित अलगाव में योगदान कर सकती है।
- **चुनावी प्रक्रियाओं में अविश्वास:** चुनावी कदाचार के उदाहरण, बूथ कैप्चरिंग के आरोप, या विगत चुनावों में पारदर्शिता की कमी लोक विश्वास को कम कर सकती है और मतदाता भागीदारी को हतोत्साहित कर सकती है।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** यदि इन समूहों की आवश्यकताओं और चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, तो जनसंख्या जनसांख्यिकी में परिवर्तन, जैसे प्रवासन प्रारूप या वृद्ध आबादी, मतदाता मतदान को प्रभावित कर सकते हैं।

3. आगामी चुनावों में अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिये मतदाता जागरूकता और शिक्षा में सुधार के लिये आप कौन-सी रणनीतियाँ लागू करेंगे ?

- **ग्राम्य-स्तरीय "लोकतंत्र राजदूत" कार्यक्रम:** "लोकतंत्र राजदूत" के रूप में सेवा करने के लिये प्रत्येक प्रभावित गाँव के उत्साही युवा व्यक्तियों की एक टीम की पहचान करना और प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - इन राजदूतों को घर-घर अभियान चलाने और मतदान के महत्त्व एवं चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये अपने स्थानीय नेटवर्क का लाभ उठाने का कार्य सौंपा जाएगा।
- **स्थानीय लोक मीडिया के माध्यम से कहानी सुनाना:** स्थानीय कलाकारों और कहानीकारों के साथ मिलकर आकर्षक कथाएँ तथा नाटक तैयार करना, जो मतदान के महत्त्व एवं सामुदायिक विकास पर इसके प्रभाव को बता सकें।
  - दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने और नागरिक भागीदारी को प्रेरित करने के लिये सांस्कृतिक रूप से गुंजायमान कला रूपों की शक्ति का लाभ उठाते हुए, इन कथाओं को ग्रामीण सभाओं, त्योहारों या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
  - **मतदाता जागरूकता रथ** भी तैनात किये जा सकते हैं, जो गाँवों और कस्बों में यात्रा करते हैं, ऑडियो-विज़ुअल डिस्प्ले तथा आकर्षक गीतों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रसारित करते हैं।
  - **तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यब्रत साहू** का युवाओं को मतदान के लिये प्रोत्साहित करने हेतु माइक की ओर रुख करने का हालिया उदाहरण एक महत्त्वपूर्ण रोल मॉडल हो सकता है।
- **अनुकरण से सशक्तीकरण तक:** प्रत्येक प्रभावित गाँव में अस्थायी "मतदान अनुभव केंद्र" स्थापित करना, जहाँ निवासी एक अनुकूलित वातावरण में मतदान प्रक्रिया से परिचित हो सकें।
  - इन केंद्रों में मॉक पोलिंग बूथ, मतपेटियाँ और मतदान प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक चरण के महत्त्व को समझाने वाले इंटरैक्टिव डिस्प्ले होंगे।
- **दीर्घकालिक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम:** सक्रिय नागरिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने और मतदान की उम्र से लोकतांत्रिक भागीदारी के मूल्य को बढ़ावा देने के लिये स्कूलों एवं समुदायों में दीर्घकालिक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम लागू करना।

नोट :

निष्कर्ष:

मतदाताओं की उदासीनता में योगदान देने वाले अंतर्निहित मुद्दों से निपटने के लिये एक संपूर्ण और समावेशी रणनीति बनाना, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक मत की गणना में सभी संबंधित दलों को भी शामिल किया जाना है, इससे आगामी चुनावों में बढ़े हुए मतदान को प्राप्त करने के लिये नागरिक भागीदारी के योगदान को पुन: प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न : आप किसी राज्य (जो प्रकाशन माफियाओं के गहन प्रभाव के लिये जाना जाता है) के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के नवनियुक्त सचिव हैं। सचिव के रूप में आपके समक्ष दो बड़ी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले माफियाओं द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत करके सरकार की मुफ्त पुस्तक वितरण योजना का फायदा उठाया जाना, जिससे वित्तीय नुकसान होने के साथ किताबों की गुणवत्ता से समझौता होता है। दूसरा ये निजी स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों की खरीद में हेरा-फेरी करते हैं, जिससे स्कूलों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आलोक में महँगी पाठ्य पुस्तकें खरीदने का दबाव बनाए जाने से छात्रों एवं परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ता है।

आपके पूर्ववर्ती एक ईमानदार अधिकारी ने इन मुद्दों से निपटने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें प्रकाशन माफियाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस आलोक में इन माफियाओं से लड़ने के लिये दृढ़ संकल्पित होकर, आपको इस मुद्दे को हल करने के साथ पाठ्य पुस्तक खरीद एवं वितरण प्रक्रिया में निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1. इस मामले में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. आप प्रकाशन माफियाओं द्वारा सरकार की मुफ्त पुस्तक वितरण योजना में किये जाने वाले घोटाले को किस प्रकार रोकेंगे?
3. सभी छात्रों के लिये निष्पक्ष, पारदर्शी तथा उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु आप कौन-सी दीर्घकालिक रणनीति अपनाएंगे?

हल करने का दृष्टिकोण:

- केस स्टडी का सार बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- इस मामले में शामिल हितधारकों का उल्लेख कीजिये।
- सरकार की मुफ्त पुस्तक वितरण योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिये राज्य की रणनीतियाँ बताइये।
- उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये दीर्घकालिक रणनीतियों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यह मामला स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नवनियुक्त सचिव से संबंधित है, जिन्हें प्रकाशन माफियाओं के गहन प्रभाव से निपटने का कार्य सौंपा गया है। इनका उद्देश्य माफियाओं की शोषणकारी प्रथाओं को खत्म करने तथा पाठ्य पुस्तकों की खरीद एवं वितरण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में शामिल हितधारक:

हितधारक	भूमिका/हित
सरकारी अधिकारी	पाठ्य पुस्तकों के वितरण और खरीद की देख-रेख करना।
प्रकाशन माफिया	वित्तीय लाभ के लिये पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली का दुरुपयोग करना।
शिक्षक और स्कूल प्रशासक	इन्हें पाठ्य पुस्तकों के रूप में महँगे विकल्प चुनने के लिये प्रकाशकों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
छात्र और परिवार	पाठ्य पुस्तकों के अंतिम उपयोगकर्त्ता के रूप में यह शैक्षिक सामग्री की लागत और गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं।
NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद)	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानक, किफायती पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।
निजी प्रकाशक	पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन और बिक्री करने के साथ निजी स्कूल की पाठ्य पुस्तक खरीद में हेर-फेर करने में शामिल हो सकते हैं।
भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ	पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की जाँच और रोकथाम में भूमिका निभाती हैं।
मीडिया और जनता	यह जागरूकता बढ़ाने के साथ सरकार पर इस मुद्दे को हल करने के लिये दबाव डाल सकते हैं।

नोट :

2. आप प्रकाशन माफियाओं द्वारा सरकार की मुफ्त पुस्तक वितरण योजना के किये जाने वाले दुरुपयोग को किस प्रकार रोकेंगे?

- **प्रणालीगत सुधार:** माफियाओं द्वारा होने वाले शोषण के संदर्भ में इससे संबंधित कमियों और कमज़ोरियों की पहचान करने के लिये संपूर्ण पाठ्य पुस्तक खरीद एवं वितरण प्रक्रिया का व्यापक ऑडिट तथा समीक्षा करना।
- **ऑनलाइन खरीद पोर्टल:** पाठ्य पुस्तक खरीद के लिये उपयोगकर्त्ता के अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल बनाना तथा ऑफलाइन हेर-फेर के अवसरों को समाप्त करना।
- **विधिक और प्रशासनिक उपायों को ट्रैक करना:** अधिकारियों और प्रकाशन माफियाओं के बीच कथित मिलीभगत की गहन जाँच शुरू करना तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना।
  - प्रकाशन माफियाओं के प्रभाव के संपर्क में आने से बचने और संबंधित नेटवर्क को रोकने के लिये अधिकारियों को बार-बार बदलना।
- **स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड:** शॉर्टलिस्ट की गई पाठ्य पुस्तकों की शैक्षिक सामग्री एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये विषय वस्तु विशेषज्ञों को शामिल करते हुए स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड स्थापित करना।
- **मुखबिरों के लिये पुरस्कार प्रणाली:** पाठ्य पुस्तक चयन प्रक्रिया के भीतर अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट करने वाले मुखबिरों के लिये एक मज़बूत पुरस्कार प्रणाली स्थापित करना। इससे पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलने के साथ मिलीभगत हतोत्साहित होगी।

3. सभी छात्रों के लिये निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये आप कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ लागू करेंगे?

- **ब्लॉकचेन-आधारित पाठ्य पुस्तक खरीद और वितरण प्रणाली:** पाठ्य पुस्तक खरीद और वितरण के लिये एक अपरिवर्तनीय, विकेंद्रीकृत तथा पारदर्शी प्रणाली बनाने के लिये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- **मोबाइल पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय और डिजिटल पहुँच:** दूर-दराज़ और वंचित क्षेत्रों (जहाँ छात्रों की भौतिक पाठ्य पुस्तकों तक सीमित पहुँच हो सकती है) में पुस्तकों की डिजिटल पहुँच स्थापित करना।
  - स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- **पाठ्य पुस्तक ट्रैकिंग और सत्यापन प्रणाली:** मज़बूत पाठ्य पुस्तक ट्रैकिंग और सत्यापन प्रणाली को लागू करना, जो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक को विशिष्ट पहचान कर्त्ता (जैसे QR कोड या RFID टैग) प्रदान करती है।
  - यह प्रणाली न केवल आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करेगी बल्कि किसी भी अनियमितता या दुर्भावना की वास्तविक समय पर निगरानी तथा इसके संदर्भ में त्वरित प्रतिक्रिया भी सक्षम हो सकेगी।
- **CSR पहलों का लाभ उठाना:** निजी निगमों के साथ सहयोग करने के साथ इनके द्वारा प्रदत्त CSR फंड का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों के विकास एवं वितरण में करना।
- **डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस पहलों का लाभ उठाना:** पाठ्य पुस्तकों की खरीद, वितरण और निगरानी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिये शिक्षा हेतु एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE) तथा ई-पाठशाला पोर्टल जैसे मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष:

प्रकाशन माफियाओं से मुकाबला करना प्रणालीगत सुधार के लिये निर्णायक है। पारदर्शिता, डेटा-संचालित निर्णय निर्माण तथा हितधारक समन्वय को प्राथमिकता देने के रूप में एक बहु-स्तरीय रणनीति से माफियाओं के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। निरंतर निगरानी, प्रदर्शन मूल्यांकन और डेटा के आधार पर पाठ्यक्रम सुधार से यह सुनिश्चित होगा कि सभी छात्रों को उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो सके।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : "पर्यावरणीय नैतिकता" को परिभाषित करने के साथ इसका महत्त्व बताइये। किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे का चयन करते हुए पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- "पर्यावरणीय नैतिकता" की अवधारणा को संक्षेप में बताइए।
- समकालीन समय में "पर्यावरण नैतिकता" के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे का चयन करते हुए पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

पर्यावरण नैतिकता व्यावहारिक दर्शन की ऐसी शाखा है जिसके तहत पर्यावरणीय मूल्यों की वैचारिक नींव के साथ-साथ जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा एवं रखरखाव के क्रम में सामाजिक दृष्टिकोण, कार्यों तथा नीतियों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है।

पर्यावरणीय नैतिकता से इस बात का मूल्यांकन होता है कि मनुष्य पर्यावरण के साथ किस प्रकार संबंधित है और इनके कार्यों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके तहत संसाधन खपत, प्रदूषण एवं संरक्षण प्रयासों जैसे मुद्दों पर विचार किया जाता है।

मुख्य भाग:

पर्यावरणीय नैतिकता का महत्त्व:

- **परस्पर संबद्धता को महत्त्व देना:** पर्यावरणीय नैतिकता के तहत सभी जीवों तथा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ उनकी परस्पर संबद्धता को पहचान मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य से मानव एवं अन्य प्रजातियों के कल्याण हेतु जैवविविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये वर्षा वनों के विनाश से न केवल अनगिनत प्रजातियों के आवास का नुकसान होता है, बल्कि कार्बन पृथक्करण तथा जलवायु विनियमन जैसी महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएँ भी बाधित होती हैं।
- **सतत् विकास:** पर्यावरणीय नैतिकता से सतत् विकास की आवश्यकता को बल मिलता है जिसके तहत भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने पर बल दिया जाता है।
  - जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता क्षरण एवं प्रदूषण जैसे मुद्दों का सामना करने के क्रम में स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिये निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है।
- **न्याय और समानता:** पर्यावरणीय नैतिकता पर्यावरणीय निर्णय लेने में न्याय और समानता के सिद्धांतों को रेखांकित करती है। इसमें स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर कमज़ोर समुदायों पर पर्यावरणीय क्षरण के प्रभावों पर विचार करने पर बल दिया जाता है।
  - उदाहरण के लिये हाशिये पर रहने वाले समुदाय अक्सर पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का खामियाजा भुगतते हैं, जिससे असमानताएँ और बढ़ जाती हैं। पर्यावरण न्याय के तहत निष्पक्ष व्यवहार के साथ पर्यावरणीय निर्णयों में सभी लोगों की भागीदारी को महत्त्व दिया जाता है।
- **प्रबंधन एवं ज़िम्मेदारी:** पर्यावरणीय नैतिकता के तहत पर्यावरण की देखभाल एवं सुरक्षा की ज़िम्मेदारी के क्रम में पृथ्वी के प्रबंधक के रूप में मनुष्यों के कर्त्तव्यों पर बल दिया जाता है। इसमें ऐसी प्रथाओं को अपनाना शामिल है जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करने पर केंद्रित हों।
  - उदाहरण के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना तथा एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपभोग को कम करना, ज़िम्मेदार प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **वैश्विक सहयोग:** पर्यावरणीय चुनौतियाँ राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, जिसके लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय नैतिकता के तहत आम पर्यावरणीय खतरों से निपटने के क्रम में सभी देशों की साझा ज़िम्मेदारी पर बल दिया जाता है।
  - उदाहरण के लिये जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता तथा जैवविविधता कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते नैतिक सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाते हैं।

पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से निर्वनीकरण के मुद्दे का विश्लेषण:

निर्वनीकरण के कारणों में मुख्य रूप से कृषि विस्तार, बुनियादी ढाँचे का विकास तथा शहरीकरण का बड़े पैमाने पर विस्तार शामिल है। इस प्रथा के महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय, सामाजिक एवं नैतिक निहितार्थ हैं।

- **जैवविविधता का क्षरण:** पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से निर्वनीकरण से जैवविविधता के क्षरण के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। वन, पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला के आवास स्थल होते हैं। निर्वनीकरण से पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होने से इनके निवास स्थल का ह्रास होने के कारण प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं।
  - नैतिक रूप से भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिये जैवविविधता को संरक्षित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन का निर्वनीकरण में प्रमुख योगदान है। वन, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने तथा वायुमंडल से कार्बन डाइ-ऑक्साइड को अवशोषित करने के साथ वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में सहायक होते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है, तो वनों में संग्रहीत कार्बन वायुमंडल में उत्सर्जित होने से ग्रीनहाउस गैस में वृद्धि होती है।
  - पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से वनों को संरक्षित करके तथा वनों की कटाई की दर को कम करके, जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करना एक नैतिक अनिवार्यता है।

नोट :

- **स्थानीय अधिकार एवं पर्यावरणीय न्याय:** कई स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं तथा आध्यात्मिक विश्वासों के लिये जंगलों पर निर्भर रहते हैं। वनों की कटाई से अक्सर स्थानीय लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिससे विस्थापन एवं पारंपरिक ज्ञान की हानि के साथ सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा मिलता है।
  - नैतिक रूप से स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने के साथ वन प्रबंधन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **अंतर-पीढ़ीगत समानता:** निर्वनीकरण के चलते भविष्य की पीढ़ियों की स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुँच से समझौता किया जा सकता है।
  - हमारा कर्त्तव्य है कि नैतिक रूप से भावी पीढ़ियों के हितों पर विचार करें तथा उनके उपयोग के लिये प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करें।

निष्कर्ष:

पर्यावरणीय मुद्दों को नैतिक, न्यायसंगत तथा सतत् तरीके से हल करने की तात्कालिकता समकालीन विश्व में पर्यावरणीय नैतिकता की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाती है। पर्यावरणीय निर्णय लेने और नीतियों में नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत कर व्यक्ति एवं संगठन प्रकृति के साथ अधिक न्यायपूर्ण, अनुकूल तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं।

प्रश्न : "हितों के टकराव" को परिभाषित कीजिये तथा बताइये कि इससे लोक सेवकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है। यदि हितों के टकराव की स्थिति का सामना करना पड़े, तो आप इसे किस प्रकार हल करेंगे? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- "हितों के टकराव" की अवधारणा को संक्षेप में समझाइए।
- लोक सेवकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितों के टकराव के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- हितों के टकराव को हल करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

"हितों के टकराव" की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक अधिकारी के लोक कर्त्तव्य तथा निजी हितों के बीच वास्तविक या स्पष्ट टकराव होता है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के निजी हित आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हितों के टकराव से लोक पदाधिकारियों की सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता के प्रति लोगों के विश्वास में कमी आती है।

मुख्य भाग:

लोक सेवकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितों के टकराव का प्रभाव:

- **पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना:** हितों के टकराव का सामना करने पर लोक सेवक लोगों के कल्याण के बजाय व्यक्तिगत हितों या किसी विशेष समूह के हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे ऐसे निर्णय लिये जा सकते हैं जो व्यापक समुदाय के बजाय स्वयं या उनके सहयोगियों को लाभ पहुँचाते हों।
- **निष्पक्षता का क्षरण:** हितों के टकराव से निर्णय पक्षपातपूर्ण होने के कारण लोक सेवकों की निष्पक्षता कमज़ोर हो सकती है। व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने से निष्पक्ष निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **पक्षपात:** हितों के टकराव की दुविधा वाले लोक सेवक उन व्यक्तियों या संगठनों के प्रति पक्षपात दिखा सकते हैं जिनके साथ उनका व्यक्तिगत संबंध या वित्तीय हित है, जिससे दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है।
- **ईमानदारी से समझौता होना:** हितों के टकराव की दुविधा वाले लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा से समझौता हो सकता है जिससे सरकार एवं संबंधित संस्थानों में लोगों का विश्वास कम हो सकता है।

हितों के टकराव की स्थिति को हल करने के क्रम में लोक सेवकों हेतु आवश्यक कदम:

- **हितों के टकराव को स्पष्ट करना:** सार्वजनिक रूप से या औपचारिक रूप से संबंधित पक्षों जैसे- पर्यवेक्षकों, सहकर्मियों या हितधारकों के हितों के टकराव को स्पष्ट करना चाहिये। यह कदम पारदर्शिता के साथ दूसरों को वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का आकलन करने की सुविधा देने में निर्णायक है।
- **मूल्यांकन:** हितों के टकराव की प्रकृति तथा सीमा का मूल्यांकन करना चाहिये। निर्णय निर्माण, संगठन तथा इसमें शामिल हितधारकों पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभावों पर विचार करना चाहिये।
- निर्णय निर्माण: हितों के टकराव की स्थिति को हल करने के लिये सर्वोत्तम कार्रवाई को अपनाना चाहिये। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से खुद को अलग करना, विवादों के समाधान के लिये व्यवहार में बदलाव लाना या नैतिक सलाहकारों एवं समितियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल हो सकता है।

नोट :

- **निर्णय प्रक्रिया से अलग होना:** यदि आवश्यक हो, तो स्वयं को निर्णय लेने की उन प्रक्रियाओं से दूर कर लेना चाहिये जहाँ कोई टकराव हो। इस कदम से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि निर्णय निष्पक्ष और बिना पक्षपात के लिये जाएँ।
- **शमन:** निर्णय लेने के क्रम में हितों के टकराव के प्रभाव को कम करने हेतु कदम उठाना चाहिये। इसमें निगरानी तंत्र या पारदर्शिता उपायों जैसे सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल हो सकता है।
- **निगरानी एवं समीक्षा:** यह सुनिश्चित करने के लिये स्थिति की लगातार निगरानी करनी चाहिये कि हितों के टकराव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए। नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन से ऐसे किसी भी नए टकराव या परिवर्तन की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **दस्तावेज़ीकरण:** हितों के टकराव, इसका प्रकटीकरण तथा इसे हल करने के लिये की गई कार्रवाइयों का दस्तावेज़ीकरण करना चाहिये। दस्तावेज़ीकरण से नैतिक मानकों के साथ संगठनात्मक नीतियों के अनुपालन में मदद मिलती है।

निष्कर्ष:

संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके लोक सेवक लोगों के सर्वोत्तम हित में पारदर्शिता तथा नैतिक आचरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं।

प्रश्न : भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अक्सर प्रभावी नेतृत्व तथा नैतिक निर्णय निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण घटक माना जाता है। सिविल सेवकों के बीच इसे विकसित करने के उपाय बताइये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करते हुए उत्तर शुरू कीजिये।
- प्रभावी नेतृत्व क्षमता एवं नैतिक निर्णय लेने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- सिविल सेवकों में इसे विकसित करने के उपायों पर प्रकाश डालिये
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) का आशय भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने तथा तर्क करने की क्षमता है। यह सिविल सेवकों के लिये एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह मूल्य उन्हें जटिल परिस्थितियों से निपटने, नागरिकों के साथ प्रभावी संबंध बनाने तथा नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

मुख्य भाग:

प्रभावी नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक निर्णय निर्माण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व :

- **आत्म-जागरूकता एवं भावनात्मक विनियमन:** उच्च EI वाले लोगों को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के साथ मज़बूती और कमज़ोरियों की गहरी समझ होती है।
  - उदाहरण: आईएएस अधिकारी, अशोक खेमका ने कई तबादलों एवं चुनौतियों के बावजूद भावनात्मक प्रबंधन का प्रदर्शन करते हुए अपने निर्णय लेने में अटूट दृढ़ संकल्प को बनाए रखा।
- **नैतिक निर्णय निर्माण और सत्यनिष्ठा:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग नैतिक निर्णय लेने के क्रम में काफी प्रबंधित होते हैं क्योंकि विभिन्न हितधारकों पर अपने निर्णय के भावनात्मक प्रभाव पर विचार करने की उनकी अधिक संभावना होती है।
  - इनकी अपने निर्णयों को अपने मूल्यों एवं सिद्धांतों के साथ जोड़कर, ईमानदारी के साथ कार्य करने की अधिक संभावना होती है।
  - उदाहरण: मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टी.एन. शेषन का कार्यकाल उनकी ईमानदारी, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा अनुकरणीय भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए जटिल राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने के लिये जाना जाता है।
- **अनुकूलनशीलता एवं लचीलापन:** उच्च EI वाले लोग बदलती परिस्थितियों को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने तथा लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं।
  - उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान, जै सिंडा अर्डर्न (न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री) ने उल्लेखनीय भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, जिससे जनता को इस संबंध में आश्वस्त करने तथा प्रभावी संकट प्रबंधन प्रयासों का मार्गदर्शन करने में मदद मिलती है।
- **सहानुभूति एवं समझ:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेतृत्वकर्त्ताओं में दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है, जिससे उनकी टीमों के बीच मज़बूत संबंध बनने के साथ विश्वास को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण: पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंद्रा नूई को सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व शैली के लिये जाना जाता है।

नोट :

- **प्रभावी संचार तथा संघर्ष समाधान:** उच्च EI वाले नेतृत्वकर्त्ताओं में मज़बूत संचार कौशल के साथ संघर्षों को प्रभावी ढंग से निपटाने की क्षमता होती है। वे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ अपने संदेश प्रसारित करने के साथ यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके उद्देश्यों को समझने के साथ खुले एवं रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दिया जाए।
  - उदाहरण: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने अपने नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उदाहरण दिया।

सिविल सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के उपाय:

- **प्रदर्शन मूल्यांकन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल करना:** प्रदर्शन मूल्यांकन एवं पहचान कार्यक्रमों के भाग के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता दक्षताओं को शामिल करना चाहिये।
  - अपने कार्य में उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने वाले सिविल सेवकों को पहचानने के साथ उन्हें पुरस्कृत करना चाहिये।
- **जॉब शैडोइंग:** विविध अनुभव प्राप्त करने तथा सहानुभूति, विविध धारणा एवं भावनात्मक जागरूकता विकसित करने के लिये सिविल सेवकों हेतु जॉब शैडोइंग कार्यक्रम लागू करना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये भारत में "सिविल सेवा विनिमय कार्यक्रम" द्वारा अधिकारियों के बीच विभिन्न सेवाओं तथा मंत्रालयों के सदस्यों के बीच क्रॉस-फंक्शनल एक्सपोज़र के माध्यम से उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो सकती है।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर बल देने के साथ नागरिक फीडबैक केंद्र:** न केवल नीतिगत मुद्दों पर, बल्कि सिविल सेवकों के निर्णयों के भावनात्मक प्रभाव पर भी नागरिक दृष्टिकोण का पता लगाने हेतु नागरिक फीडबैक लैब स्थापित करना चाहिये।
  - इससे सिविल सेवकों को नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से सीखने के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रथाओं में सुधार हेतु संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष:

इन उपायों को लागू करके सिविल सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है जिससे वे नैतिक निर्णय लेने, हितधारकों के बीच विश्वास बनाने तथा जटिल परिस्थितियों को बेहतर भावनात्मक जागरूकता एवं लचीलेपन के साथ प्रबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं।

प्रश्न : वर्तमान संदर्भ में यह उद्धरण आपको क्या संदेश देता है- "श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी वाणी में विनम्र/सामान्य होता है लेकिन अपने कार्यों में काफी उन्नत होता है।" -कन्फ्यूशियस (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण का सार संक्षेप में लिखिये।
- उद्धरण पर विस्तार से चर्चा कीजिये जैसे कि 'अपने भाषण में विनम्र' और 'अपने कार्यों में उन्नत' जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिये।
- वर्तमान समाज में उद्धरण की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कन्फ्यूशियस, एक चीनी दार्शनिक, इस उद्धरण के साथ नैतिक आचरण में एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह इस विचार को व्यक्त करता है कि एक वास्तव में प्रशंसनीय और गुणी व्यक्ति ("श्रेष्ठ व्यक्ति") अपने शब्दों में विनम्रता तथा संयम प्रदर्शित करता है, लेकिन अपने कार्यों से प्रतिष्ठित होता है। वर्तमान संदर्भ में इसे ईमानदारी के आह्वान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ किसी के कर्म उसके शब्दों से अधिक भाव प्रकट करते हैं।

मुख्य भाग:

- **भाषण में शालीनता:**
  - **विनम्रता:** आशयों या उपलब्धियों के बारे में शेखी बघारना वास्तविक उपलब्धि को कमज़ोर करता है। सच्चा बड़प्पन शांत आत्मविश्वास और संयमित गर्व में निहित है।
  - **विचारपूर्ण संचार:** भाषण में शालीनता रखने वाले नेता अपने शब्दों के प्रभाव पर विचार करने के लिये समय निकालते हैं। वे खाली घोषणाओं के बजाय स्पष्टता और संक्षिप्तता चुनते हैं।
    - **उदाहरण:** नेल्सन मंडेला, 27 वर्ष कारावास में गुज़ारने के बाद, एक वैश्विक प्रतीक के रूप में जेल से बाहर आए। फिर भी वे ज़मीन से जुड़े रहे, दक्षिण अफ्रीका के पुनर्निर्माण में सामंजस्य और सामूहिक प्रयास का प्रतीक बने। उनका ध्यान उनके कार्यों पर था, न कि स्व-प्रचार पर।

नोट :

- **कार्यों में उत्कृष्टता:**
  - **परिणाम-उन्मुख:** एक बेहतर नेता सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं। वे अपनी कथनी और करनी में साम्यता द्वारा अधिक-से-अधिक कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं।
  - **ईमानदारी:** कार्य शब्दों की तुलना में अधिक भाव व्यक्त करते हैं। नैतिक नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके कार्य उनके घोषित मूल्यों और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हों।
    - **उदाहरण:** मदर टेरेसा का जीवन कार्यों में उत्कृष्टता का उदाहरण है। उन्होंने स्वयं को अतिनिर्धन लोगों की सेवा के लिये समर्पित कर दिया, उनके कार्य करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- **वर्तमान नैतिक संदर्भ में प्रासंगिकता:**
  - आज की तेज़-तर्रार छवि-जागरूक दुनिया में कन्फ्यूशियस का संदेश प्रासंगिक बना हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आत्म-प्रचार और खोखली घोषणाओं के लिये प्रजनन स्थल बन सकते हैं। इंस्टाग्राम तथा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उदय के साथ कन्फ्यूशियस का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।
  - जो लोग अपनी घोषणाओं में विनम्र होते हैं और परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे विश्वास को बढ़ावा देते हैं तथा आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं।
  - जो नेता वादे अधिक करते हैं तथा कार्य कम करते हैं, उन पर लोग कम विश्वास करते हैं। ठोस कार्यों के किये बगैर बयानबाज़ी के द्वारा जनता की धारणा पर ध्यान केंद्रित करना नैतिक नेतृत्व को कमज़ोर करता है।

निष्कर्ष:

कन्फ्यूशियस का उद्धरण हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शब्दों में नहीं, बल्कि काम में निहित है। यह नैतिक नेताओं के लिये एक आह्वान है जो परिणामों को प्राथमिकता देते हैं, विनम्रता को महत्त्व देते हैं और अपने दृष्टिकोण को उन लोगों के लिये ठोस लाभों में बदलते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर, नेता वर्तमान की जटिलताओं को दूर कर सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

प्रश्न : लोक विश्वास बनाए रखने तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने में निष्पक्षता के लाभों एवं सीमाओं पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करते हुए उत्तर लिखिये।
- लोक विश्वास बनाए रखने और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करने में वस्तुनिष्ठता के लाभों पर गहराई से विचार कीजिये।
- लोक विश्वास बनाए रखने और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करने में वस्तुनिष्ठता की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

निष्पक्षता का तात्पर्य बिना किसी पक्षपात या बाहरी प्रभाव के निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने की क्षमता से है। शासन में निष्पक्षता का अर्थ है सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संस्थानों में तर्कसंगतता, वैधानिकता और सिद्ध मानकों, प्रक्रियाओं एवं मानदंडों का पालन करना। इसका तात्पर्य है कि शासन के निर्णय योग्यता के आधार पर और साक्ष्य के गहन विश्लेषण के बाद लिये जाने चाहिये।

मुख्य भाग:

शासन में वस्तुनिष्ठता के लाभ:

- **निष्पक्षता को बढ़ावा देना:** निष्पक्षता सुनिश्चित करती है कि निर्णय योग्यता के आधार पर किये जाएँ, न कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या संबद्धताओं के आधार पर। यह नागरिकों और व्यवसायों के लिये समान अवसर प्रदान करता है, विधि के तहत समान व्यवहार को बनाए रखता है।
  - **उदाहरण के लिये:** भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लाभार्थियों की पहचान करने के लिये आय के स्तर जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों को शामिल करती है, जो पक्षपात के जोखिम को कम करती है और सब्सिडी वाले खाद्यान्नों तक पहुँचने में समानता को बढ़ावा देती है।
- **पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** जब निर्णय वस्तुनिष्ठ डेटा और पारदर्शी प्रक्रियाओं के आधार पर किये जाते हैं, तो उनके पीछे का तर्क स्पष्ट हो जाता है। इससे लोक विश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि नागरिक समझ सकते हैं कि संसाधन कैसे आवंटित किये जाते हैं तथा नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं।
  - **उदाहरण के लिये:** भारत में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम इस सिद्धांत का उदाहरण है, नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है।

नोट :

- **भ्रष्टाचार को कम करना:** निष्पक्षता, भ्रष्टाचार को कम करती है और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। स्थापित प्रक्रियाएँ तथा स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्णय लेने के लिये एक ढाँचा प्रदान करते हैं, जो अधिकारियों को बाहरी दबावों या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आगे झुकने से रोकते हैं। इससे शासन की अखंडता मज़बूत होती है और लोक विश्वास में वृद्धि होती है।
  - **उदाहरण के लिये:** कई भारतीय राज्यों में ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन से भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में हेर-फेर के अवसर कम हो जाते हैं।

शासन में वस्तुनिष्ठता की सीमाएँ:

- **परिस्थितिजन्य कारकों की अनदेखी:** वस्तुनिष्ठता का सख्त पालन किसी भी स्थिति के लिये विशिष्ट बारीकियों को अनदेखा कर सकता है। सामाजिक असमानताओं या ऐतिहासिक अन्याय जैसे परिस्थितिजन्य कारकों के लिये एक अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।
  - **उदाहरण के लिये:** शिक्षण अक्षमता वाले छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को सटीक रूप से मापने के लिये विशिष्ट समायोजन या वैकल्पिक आकलन की आवश्यकता हो सकती है।
- **रचनात्मकता को सीमित करता है:** तेज़ी से बदलती दुनिया में अत्यधिक कठोर वस्तुनिष्ठता लचीले अनुकूलन में बाधा डाल सकती है। यह मानव रचनात्मकता को भी सीमित करता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने से हतोत्साहित करता है।
  - **उदाहरण के लिये:** जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल मुद्दों को संबोधित करने के लिये ऐसे अभिनव समाधानों की आवश्यकता हो सकती है जो पूर्व-निर्धारित मानदंडों को योग्य बताते हैं।
- **सीमित अनुप्रयोग:** कुछ निर्णय, विशेष रूप से सामाजिक कल्याण से संबंधित, सहानुभूति और संवेदनशीलता की एक डिग्री की आवश्यकता हो सकती है जिसे शुद्ध वस्तुनिष्ठता शायद पकड़ न सके।
  - **उदाहरण के लिये:** आपदा राहत के लिये संसाधनों के आवंटन में न केवल प्रभावित लोगों की संख्या पर विचार करना शामिल हो सकता है, बल्कि प्रभावित आबादी के भीतर विभिन्न समूहों (जैसे- बुज़ुर्ग, बच्चे) की विशिष्ट कमज़ोरियों पर भी विचार करना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

निष्पक्षता निष्पक्ष शासन की आधारशिला बनी हुई है। हालाँकि इसकी सीमाओं को पहचानने से अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की अनुमति मिलती है जिसमें संदर्भ, सहानुभूति और सार्वजनिक भागीदारी शामिल है। इस संतुलन को बनाकर, सरकारें मज़बूत लोक विश्वास का निर्माण कर सकती हैं तथा सभी के लिये समान परिणाम सुनिश्चित कर सकती हैं।

प्रश्न : "सत्यनिष्ठा का आशय किसी की भी निगरानी के बिना उचित कार्य करने से है।" - सी.एस. लुईस। लोक प्रशासन में नैतिक आचरण के आलोक में इसकी चर्चा करते हुए सरकारी तंत्र में लोगों के विश्वास पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण का सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिये और ईमानदारी को परिभाषित कीजिये।
- लोक प्रशासन में नैतिक आचरण के संदर्भ में ईमानदारी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- लोक विश्वास विकसित करने में ईमानदारी के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ईमानदारी को सुसंगत होने और अपने स्वयं के मूल्यों, सिद्धांतों एवं विश्वासों का पालन करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सी.एस. लुईस के कथन की गहराई इसी में है कि "ईमानदारी सही तभी कहलाती है, जब कोई नहीं देख रहा हो," लोक प्रशासन में नैतिक आचरण का सार होता है। इस क्षेत्र में ईमानदारी नियमों का पालन करने से परे है; यह नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने और प्रलोभनों या दबावों के सामने भी नैतिक विकल्प के निर्माण से संबंधित है। यहाँ बताया गया है कि कैसे अटूट ईमानदारी लोक प्रशासन को आकार देती है तथा जनता के विश्वास को बढ़ावा देती है:

मुख्य भाग:

लोक प्रशासन में नैतिक आचरण के संदर्भ में सत्यनिष्ठा की भूमिका:

- **ईमानदारी और पारदर्शिता:**
  - लोक सेवक अपने कार्यों में ईमानदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के माध्यम से ईमानदारी का परिचय देते हैं। इसमें हितों के टकराव की घोषणा करना एवं जनता के साथ खुला संचार सुनिश्चित करना शामिल है।
    - **उदाहरण:** आईएएस अधिकारी के. के. पाठक ने राजनीतिक हस्तक्षेप के विरोध में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। अटल ईमानदारी के इस कार्य ने लोक सेवा में नैतिक आचरण के लिये एक उच्च मानक स्थापित किया।

नोट :

- **जवाबदेही:**
  - अपने कार्यों और निर्णयों की ज़िम्मेदारी लेना ईमानदारी का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। नैतिक लोक सेवक अपने प्रदर्शन के लिये जवाबदेह होने के लिये तैयार रहते हैं तथा किसी भी गलती को आसानी से स्वीकार करते हैं।
    - **उदाहरण:** किरण बेदी, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो बाद में आईएएस में शामिल हो गईं, अपने केंद्रित दृष्टिकोण और मज़बूत कार्य नैतिकता के लिये जानी जाती हैं। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक जाँच का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने नैतिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए जवाबदेही एवं पारदर्शिता बनाए रखी।
- **निष्पक्षता:**
  - नैतिक आचरण के लिये सभी नागरिकों के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के समान व्यवहार करना आवश्यक है। ईमानदारी से काम करने वाले लोक सेवक भाई-भतीजावाद या अनुचित प्रभाव के प्रलोभनों का विरोध करते हैं और योग्यता के सिद्धांतों को कायम रखते हैं।
  - **उदाहरण:** भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में उनकी ईमानदारी एवं निष्पक्षता के लिये याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक का वोट उसकी पृष्ठभूमि या संबद्धता की परवाह किये बिना गिना जाए।

सार्वजनिक विश्वास पर सत्यनिष्ठा का प्रभाव:

- **वैधता:**
  - लोक सेवकों में ईमानदारी सार्वजनिक संस्थाओं की वैधता को मज़बूत करती है और विधिक शासन के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है। जब नागरिकों को लगता है कि व्यवस्था निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण है, तो वे नियमों का पालन करने तथा शासन प्रक्रियाओं में भाग लेने की अधिक संभावना रखते हैं।
    - **उदाहरण:** अशोक खेमका जैसे आईएएस अधिकारियों का अनुकरणीय कार्य, जो भूमि सौदों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संघर्ष के लिये जाने जाते हैं, प्रशासनिक मशीनरी में जनता का विश्वास बहाल करता है और भ्रष्ट आचरण को रोकता है।
- **सहयोग:**
  - जब नागरिक लोक सेवकों पर भरोसा करते हैं, तो वे टीकाकरण अभियान या पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों जैसी सरकारी पहलों में सहयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं। इससे सामूहिक ज़िम्मेदारी और सामाजिक प्रगति की भावना को बढ़ावा मिलता है।
    - **उदाहरण:** पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पारदर्शी संचार और नेतृत्व ने टीकाकरण प्रयासों में नागरिकों का विश्वास एवं सहयोग हासिल करने में मदद की।

निष्कर्ष:

सी.एस. लुईस के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ईमानदारी कोई परिस्थितिजन्य गुण नहीं है, बल्कि प्रभावी लोक प्रशासन के लिये एक मुख्य सिद्धांत है। अपने मूल्यों, सिद्धांतों और विश्वासों पर कायम रहना तथा उनका पालन करना लोक सेवक को लोक प्रशासन में नैतिक बने रहने एवं लंबे समय में जनता का विश्वास हासिल करने में मदद करता है।

प्रश्न : नीति निर्माण पर संवेदना (Compassion) के प्रभावों को बताते हुए संवेदनशील समुदाय की समस्याओं का समाधान करने में इसके महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- संवेदना को परिभाषित करते हुए उत्तर लिखिये।
- नीति-निर्माण और कमज़ोर आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संवेदना के लाभों पर गहराई से विचार कीजिये।
- नीति-निर्माण और कमज़ोर आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संवेदना की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

संवेदना में दूसरे व्यक्ति के दर्द को महसूस करना और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिये कदम उठाने की इच्छा शामिल है। इसे प्राय: एक भावनात्मक गुण के रूप में देखा जाता है। हालाँकि नीति निर्माण में यह प्रभावी और समावेशी समाधान तैयार करने तथा कमज़ोर आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरता है।

मुख्य भाग:

नीति-निर्माण पर संवेदना का प्रभाव:

- **सांख्यिकी से ध्यान हटाना:**
  - संवेदना नीति निर्माताओं को मात्र सांख्यिकी और आर्थिक विचारों से आगे बढ़ने के लिये बाध्य करती है।

नोट :

- यह उन्हें डेटा के पीछे मानवीय चेहरे देखने, नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों के जीवित अनुभवों को समझने की अनुमति देता है। इससे अधिक लक्षित और मानवीय हस्तक्षेप हो सकते हैं।
  - **उदाहरण:** संवेदना बेघरों को आश्रय प्रदान करने से लेकर बेघर होने के मूल कारणों, जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे या किफायती आवास की कमी को संबोधित करने की नीति में बदलाव ला सकती है।

- **समावेशीपन को प्रोत्साहित करती है:**
  - संवेदना नीति निर्माताओं को कमज़ोर आबादी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझने के लिये प्रोत्साहित करती है।
    - **उदाहरण:** नीतियाँ निर्माण करते समय विकलांगता अधिकार समूहों के साथ परामर्श करना यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग समुदाय की आवश्यकताओं को नीति में सीधे संबोधित किया जाता है।

कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने में करुणा की भूमिका:

- **कमज़ोर आबादी के बुनियादी अधिकारों को प्राथमिकता देना:**
  - संवेदना यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ बुनियादी मानवाधिकारों जैसे- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता तक पहुँच को प्राथमिकता देती हैं, विशेषत: उन लोगों के लिये जो इन तक पहुँचने के लिये संघर्ष करते हैं।
    - **उदाहरण:** भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को संवेदनामय नीति-निर्माण का एक उदाहरण कहा जा सकता है। यह अधिनियम वंचित समुदायों की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता देता है।
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:**
  - संवेदनामय नीतियों का उद्देश्य असमानताओं को पाटना और अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है। इसमें सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा के लिये सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम या सामाजिक सुरक्षा जाल शामिल हो सकते हैं।
    - **उदाहरण:** भारत में सामाजिक असमानता को कम करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (NREGA) ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी सुनिश्चित करता है, जो कमज़ोर आबादी के लिये सुरक्षा जाल प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

नीति निर्माण में संवेदना एक कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक सामर्थ्य है। इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व को शामिल करके, हम ऐसी नीतियों का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल प्रभावी हों बल्कि मानवीय भी हों तथा कमज़ोर आबादी के जीवन को बेहतर बनाती हों। नीति निर्माण में संवेदना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि एक ऐसे विश्व का निर्माण हो सके जहाँ हर कोई खुशहाल हो।

प्रश्न : उभरती ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) प्रौद्योगिकी, मानव एवं मशीन इंटरेक्शन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) की प्रगति से संबंधित नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- BCI के नैतिक निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) मस्तिष्क एवं बाहरी कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच प्रत्यक्ष संचार मार्ग है। इससे तंत्रिका संकेतों को डिकोड करने के साथ उन्हें बाहरी प्रणालियों या उपकरणों को नियंत्रित करने हेतु आदेशों में ट्रांसलेट करके मानव-मशीन इंटरैक्शन के नए रूपों को सक्षम किया जा रहा है।

BCI से मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप होने से आध्यात्मिक एवं भौतिक क्षेत्रों के बीच की रेखा धुँधली होती है।

BCI की प्रगति से जुड़े नैतिक निहितार्थ:

- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:** BCI में अत्यधिक संवेदनशील मस्तिष्क डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण शामिल है, जिससे गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है।
- इस व्यक्तिगत डेटा के स्वामित्व, भंडारण एवं संभावित दुरुपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं।

नोट :

- **संज्ञानात्मक स्वतंत्रता और मानसिक गोपनीयता:** BCI से संभावित रूप से विचारों, भावनाओं एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में हेर-फेर हो सकती है, जिससे संज्ञानात्मक स्वतंत्रता तथा मानसिक गोपनीयता के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है।
- नैतिक विमर्श व्यक्तिगत स्वायत्तता की सीमाओं एवं बाहरी हस्तक्षेप से किसी के मन की पवित्रता को संरक्षित करने के अधिकार के इर्द-गिर्द घूमती है।
- **संवर्द्धन और समानता:** BCI प्रौद्योगिकियों का उपयोग संज्ञानात्मक संवर्द्धन के लिये किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से उपयोगकर्त्ताओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे- शिक्षा, रोज़गार या प्रतिस्पर्द्धी गतिविधियों में अनुचित लाभ मिल सकता है।
- इससे "उन्नत" और "असंवर्द्धित" व्यक्तियों के बीच विभाजन पैदा करने की क्षमता के बारे में नैतिक प्रश्न उठता है।
- **एजेंसी और ज़िम्मेदारी:** BCI से मानव और मशीन नियंत्रण के बीच की रेखाएँ धुँधली होती हैं, जिससे ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेहिता के बारे में नैतिक प्रश्न उठता है।
- मानव चेतना को सटीक रूप से डिकोड करने तथा उसका अनुकरण करने से नैतिक प्रश्न उठते हैं।

निष्कर्ष:

उभरते हुए BCIs में मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने की व्यापक संभावनाएँ हैं, इससे मानवीय एजेंसी तथा समानता के बारे में गहन नैतिक चिंताओं को भी जन्म मिलता है, जिनका सावधानीपूर्वक समाधान किया जाना चाहिये। जोखिमों को कम करने हेतु मज़बूत शासन ढाँचे की स्थापना करते हुए BCIs की उपयोगिता का लाभ उठाने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण इस क्षेत्र को प्रासंगिक बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

प्रश्न : लोक सेवा में हितों के टकराव की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। व्यक्तिगत हित एवं व्यावसायिक कर्त्तव्यों के बीच टकराव की स्थिति का सिविल सेवक द्वारा किस प्रकार समाधान किया जाना चाहिये? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- हितों के टकराव को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।
- हितों के टकराव के प्रकारों का उल्लेख कीजिये।
- हितों के टकराव को प्रबंधित करने के लिये लोक सेवकों के लिये रणनीति सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

- लोक सेवा में हितों के टकराव की अवधारणा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जो सिविल सेवा में ईमानदारी, निष्पक्षता और लोगों के विश्वास से संबंधित है। हितों का टकराव तब होता है जब किसी सिविल सेवक के व्यक्तिगत हित उसके पेशेवर कर्त्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों से टकराते हैं।
- ऐसी स्थितियों से निपटने के लिये नैतिक सिद्धांतों की स्पष्ट समझ तथा स्थापित मानदंडों एवं विनियमों का पालन करना आवश्यक है।

मुख्य भाग:

हितों का टकराव:

- **वास्तविक संघर्ष:** वास्तविक संघर्ष तब होता है जब किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत हित से उसके आधिकारिक निर्णय स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं।
  - **उदाहरण:** किसी निविदा प्रक्रिया की देख-रेख करने वाले किसी लोक सेवक का एक नज़दीकी रिश्तेदार उस परियोजना के लिये बोली लगाने वाली कंपनी का मालिक हो।
- **स्पष्ट संघर्ष:** हितों का स्पष्ट संघर्ष तब होता है जब किसी लोक सेवक के कार्य व्यक्तिगत हितों के कारण पक्षपातपूर्ण होते हों।
  - **उदाहरण:** शिक्षा मंत्री दोस्ती का खुलासा किये बिना अपने जीवनसाथी के करीबी दोस्त के नेतृत्व में संचालित किसी निजी विश्वविद्यालय में बोलने का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। जिससे भविष्य के नीतिगत निर्णयों में संभावित पक्षपात के बारे में चिंता उत्पन्न होती है।

लोक सेवकों के लिये हितों के टकराव को प्रबंधित करने की रणनीतियाँ:

- **संभावित हितों के टकराव की पहचान तथा उन्हें प्रदर्शित करना:** सरकारी कर्मचारियों को अपने वरिष्ठों या आचार समिति के समक्ष किसी भी संभावित हितों के टकराव को प्रदर्शित करना चाहिये। पारदर्शिता से लोक विश्वास को बनाए रखने में मदद मिलने के साथ उचित कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अलग होना:** ऐसी स्थितियों में जहाँ हितों का स्पष्ट टकराव हो, सिविल सेवकों को यदि संभव हो तो विवादित मामले से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने से खुद को अलग कर लेना चाहिये।

नोट :

- यह कदम निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करने के साथ किसी भी अनुचित प्रभाव या पक्षपात की धारणा को रोकने में सहायक है।

- **स्वतंत्र निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र:** संभावित हितों के टकराव की निगरानी और जाँच करने के लिये स्वतंत्र निरीक्षण निकायों या समितियों की स्थापना से लोक विश्वास एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - इन तंत्रों के पास गैर-अनुपालन या अनैतिक आचरण के मामलों में उचित प्रतिबंध या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिये।
- **कार्यों का यादृच्छिक आवंटन:** सिविल सेवकों को विशिष्ट कार्यों, परियोजनाओं या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का यादृच्छिक रूप से आवंटन करने से हितों के टकराव या पक्षपात की संभावना को कम किया जा सकता है।
  - यह दृष्टिकोण विशेष रूप से अनुबंध प्रदान करने, लाइसेंस देने या विनियामक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है।
- **संघर्ष संवेदनशीलता प्रशिक्षण:** लोक सेवा विकास कार्यक्रमों में नियमित रूप से संघर्ष संवेदनशीलता प्रशिक्षण को शामिल किया जाना चाहिये। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को संभावित संघर्षों की पहचान करने, जोखिमों को समझने तथा शमन के लिये रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष:

नैतिक सिद्धांतों का पालन करने तथा हितों के टकरावों की पहचान, प्रदर्शन एवं प्रबंधन के लिये सक्रिय कदम उठाने से सिविल सेवक लोगों का विश्वास बनाए रखने एवं सुशासन मानकों को कायम रखने के साथ यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके पेशेवर कर्त्तव्यों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से पालन हो तथा जिन नागरिकों की वे सेवा करते हैं उनके व्यापक हित को प्राथमिकता दी जाए।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

निबंध

1. उल्लेखनीय विचारों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो उन्हें क्रियान्वित करने की इच्छाशक्ति की।

2. सतत् आशावाद, शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है।

3. जिन स्थितियों का सामना किया जाता है उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब तक सामना न किया जाए तब तक कुछ भी नहीं बदला जा सकता है।

   सुना हुआ अक्सर तथ्य के बजाय एक दृष्टिकोण होता है और देखा हुआ आमतौर पर सत्य के बजाय एक दृष्टिकोण होता है।

4. करीब से देखने पर एक त्रासदी है, लेकिन दूर से देखने पर एक सुखद अनुभव है।

   अस्तित्व की पहेली खोए हुए पहलुओं को ढूँढने में निहित नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि प्रत्येक पहलू संपूर्ण को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है।

5. किसी व्यक्ति के मूल्यांकन का अंतिम मापदंड यह नहीं है कि वह आराम तथा सुविधा के क्षणों में किस स्थिति में है, बल्कि यह है कि वह चुनौती एवं संघर्ष के समय किस स्थिति में है।

   नैतिकता का आशय ऐसे दृष्टिकोण से है जो उन लोगों के प्रति हमारी धारणा पर प्रभाव डालता है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नापसंद करते हैं।

■■■

The Vision

नोट :